सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

राजस्थान सरकार

वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या 2

(अनुपालन लेखापरीक्षा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

राजस्थान सरकार
वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या 2
(अनुपालन लेखापरीक्षा)

विषय सूची

विषय	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना		v
कार्यकारी सारांश		vii
भाग-I: राज्य सरकार के विभागों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा आक्षेप		
अध्याय-I: सामान्य		
परिचय	1.1	1
लेखापरीक्षित इकाइयों का प्रालेख	1.2	1
लेखापरीक्षा के लिये प्राधिकार	1.3	2
लेखापरीक्षा की योजना तथा संचालन	1.4	3
लेखापरीक्षा आक्षेपों पर सरकार/विभागों का उत्तर	1.5	3
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	1.6	6
प्रतिवेदन के इस भाग की व्यापकता	1.7	7
अध्याय-II : अनुपालन लेखापरीक्षा		
वाहनों पर कर		
कर प्रशासन और लेखापरीक्षा के परिणाम	2.1	9
वाहन और सारथी एप्लीकेशनों की लेखापरीक्षा	2.2	10
मोटर वाहनों पर कर की अवसूली	2.3	23
परिवहन वाहनों से एक बारीय कर की अवसूली	2.4	25
एकमुश्त कर की बकाया किस्तों की वसूली/अवसूली	2.5	26
खान प्राप्तियां		
परिचय	2.6	27
अल्पावधि अनुज्ञापत्रों का प्रशासन	2.7	28
ईंट मिट्टी अनुज्ञापत्र धारक द्वारा ईंट मिट्टी का अवैध उत्खनन	2.8	48

विषय	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग		
फर्जी बैंक प्रत्याभूति के विरुद्ध राशि की वसूली के लिये उदासीन दृष्टिकोण से परिहार्य हानि राशि ₹ 2.27 करोड़	2.9	50
मूल्य भिन्नता का अधिक भुगतान राशि ₹ 17.04 करोड़	2.10	52
भाग–II: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा आक्षेप		
1. राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं स्वायत्त निकायों का परिचय		
सामान्य	1.1	55
लेखापरीक्षा अधिदेश	1.2	55
लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं कार्यक्षेत्र	1.3	55
अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद	1.4	56
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	1.5-1.6	56-57
राज्य विधायिका में स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को रखे जाने की स्थिति	1.7	57
राजकीय उपक्रम समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा	1.8	58
2. स्वायत्त निकायों पर अनुपालन लेखापरीक्षा आक्षेप		
राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी)		
परिचय	2.1	58
राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग की संरचना एवं उद्देश्य	2.2-2.4	59-61
राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग की शक्तियां	2.5	61
राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग की कार्यप्रणाली	2.6	62
3. राजकीय उपक्रमों पर अनुपालन लेखापरीक्षा आक्षेप		
राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड		
सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना एवं इसके संचालन व रखरखाव में चूक	3.1	82

विषय	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड		
प्रसारण प्रभारों का निरर्थक भुगतान	3.2	86

परिशिष्ट		
परिशिष्ट संख्या	**विषय**	**पृष्ठ**
1	विभागों का संक्षिप्त प्रालेख	91
2	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा अनुच्छेदों का आयु-वार विश्लेषण दर्शाने वाला विवरण पत्र	93
3	अधिशुल्क, डीएमएफटी, आरएसएमईटी में राशि की कटौती का अभाव या कम कटौती को दर्शाने वाला विवरण पत्र	95
4	मूल्य भिन्नता संगणना पत्रक-खेतड़ी	96
5	लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों की सूची	98
6	निरीक्षण प्रतिवेदनों पर प्रत्युत्तर के अभाव को दर्शाने वाला विवरण पत्र	100
7	सीएंडएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) और 20(1) के तहत लेखापरीक्षित स्वायत्त निकायों को सौपे गए कार्यों की समीक्षा पर वार्षिक विवरणी	104
8	आरईआरसी का विनियामक नियंत्रण	105
9	आरईआरसी द्वारा बनाए गए प्रमुख विनियमों की स्थिति, जो 2016-21 के दौरान लागू रहे	107
10	2016-17 से 2020-21 के दौरान वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा अर्द्धवार्षिक एसओपी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को दर्शाने वाला विवरण पत्र	109

प्रस्तावना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत करने हेतु 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिये यह प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन दो भागों में है। प्रतिवेदन के भाग-I में राज्य सरकार के 16 विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष समाहित हैं तथा भाग-II राज्य के 31 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सरकारी कंपनियां एवं सांविधिक निगम) एवं चार स्वायत्तशासी निकायों की नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 तथा उसके अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा तथा लेखों के विनियमन, 2020 के अंतर्गत की गई अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणामों से संबंधित है।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित मामले उनमें से हैं जो वर्ष 2020-21 के दौरान अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आये तथा उनमें से भी हैं जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आये थे, किन्तु विगत प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जा सके तथा जहां कहीं आवश्यक हुआ वहां वर्ष 2020-21 के बाद के प्रकरण भी शामिल हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानक, 2017 के अनुरूप की गयी है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन राजस्थान सरकार के सरकारी विभागों, स्वायत्तशासी निकायों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न मामलों से संबंधित है। अनुपालन लेखापरीक्षा से तात्पर्य लेखापरीक्षित संस्थाओं के व्यय और राजस्व की जांच से है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत के संविधान के प्रावधानों, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विभिन्न आदेशों और निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है या नहीं।

यह प्रतिवेदन दो भागों में है। **भाग-I** में राज्य सरकार के विभागों से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई है तथा **भाग-II** में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्तशासी निकायों से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई है। इस प्रतिवेदन में **₹ 58.12** करोड़ की राशि के 11 अनुच्छेद हैं। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे उल्लिखित हैं:

भाग-I: राज्य सरकार के विभागों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

इस भाग में **₹ 41.19** करोड़ की राशि के आठ अनुच्छेद शामिल हैं जिसमें दो विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा, अर्थात् **'वाहन और सारथी एप्लीकेशनों की लेखापरीक्षा'** और **'अल्पावधि अनुज्ञापत्रों का प्रशासन - खान विभाग'**, तथा परिवहन विभाग, स्थान एवं भू विज्ञान विभाग तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अन्य अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में शामिल प्रमुख जांच परिणामों का सारांश नीचे प्रस्तुत किया गया है:

परिवहन विभाग

वाहन और सारथी एप्लीकेशनों की लेखापरीक्षा

परिवहन विभाग के संचालन में सुधार के लिए सारथी और वाहन एप्लीकेशनों को राजस्थान में क्रमशः सितंबर 2009 और अक्टूबर 2009 से लागू किया था । इन एप्लीकेशनों के उपयोग और प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए लेखापरीक्षा की गयी। लेखापरीक्षा ने अप्रैल 2016 से मार्च 2021 तक राजस्थान राज्य में वाहन और सारथी के डंप डाटा जिसमें 10.14 लाख प्रकरण थे का विश्लेषण आईडिया सॉफ्टवेयर का उपयोग करके दुपहिया तथा तिपहिया वाहनों को छोड़कर सभी वाहनों का किया।

यह देखा गया कि डाटा प्रविष्टि में त्रुटियाँ हुईं, जिसके परिणामस्वरूप वाहन में गलत प्रविष्टियाँ हुईं। 119 प्रकरणों में, वाहनों के पंजीकरण की दिनांक को वाहनों के क्रय की दिनांक से पहले दर्ज किया गया था जिससे पता चला कि वाहन, क्रय की दिनांक से 1 से 74 दिन पहले पंजीकृत किए गए थे। इसके अलावा, 15,584 वाहनों का सकल वाहन भार त्रुटिपूर्ण दर्ज किया गया था, अर्थात् 15,570 वाहनों का वजन शून्य से तीन किलोग्राम तक दर्शाया गया था, जबकि 14 वाहनों का वजन एक लाख किलोग्राम से अधिक दर्ज किया गया था। इसके अतिरिक्त, डुप्लीकेट चेसिस या इंजन नंबर वाले 712 वाहन परिवहन विभाग में पंजीकृत थे। सारथी के आंकड़ों के विश्लेषण

में पाया गया कि 166 लर्नर लाइसेंस, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को जारी किये गए। यह इंगित करता है कि ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए जाँचें प्रभावी नहीं थी।

यह भी पाया गया कि बिजनेस नियमों को सॉफ्टवेयर के साथ मैप नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप पंजीकरण शुल्क और हाइपोथिकेशन शुल्क की कम वसूली के प्रकरण सामने आए।

निर्धारित छह महीने की वैधता के समक्ष, 1,677 भारत स्टेज (बीएस)-III वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र छह महीने से कम और 21,429 वाहनों को छह महीने से अधिक के लिए जारी किए गए थे। बीएस-IV एवं बीएस-VI वाहनों के लिये 3.83 लाख प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र एक वर्ष से कम अवधि के लिए जारी किये गए और 3,310 वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक के लिए जारी किये गए जबकि निर्धारित मानक वैधता अवधि एक वर्ष थी।

परिवहन विभाग ने वाहन और सारथी एप्लीकेशनों के डाटा की सटीकता की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया। सिस्टम में बिजनेस नियमों को शामिल करने की योजनाओं को भी स्वीकार किया गया, जो सटीकता में सुधार हेतु प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि सरकार/विभाग इन पर विचार कर सकता है कि:

1. ***डाटा एंट्री की त्रुटियों को सुधारने की आवश्यकता है जिससे सिस्टम की विश्वसनीयता और शुद्धता बनी रहे;***
2. ***स्थिति को सुधारने के लिए उचित कार्यवाही किया जाना आवश्यक है जिसमें सिस्टम की कमजोरी की पहचान एवं सुधार सम्मिलित है;***
3. ***वाहन में डाटा की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए, लेखापरीक्षा द्वारा चिन्हित किये गए मामलों को सुधारना और ऐसे ही अनियमितताओं को सुधारना महत्वपूर्ण है। यह डाटा की विश्वसनीयता और शुद्धता को बनाये रखने में मदद करेगा;***
4. ***केन्द्रीय मोटर वाहन नियमों के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से पीयूसी प्रमाण पत्र जारी करने हेतु कोई प्रणाली विकसित कर सकता है;***
5. ***विभिन्न मॉड्यूलों की उपयोगिता का आंकलन करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह वाहन एप्लीकेशन के उद्देश्यों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य अखिल भारतीय स्तर पर वाहनों और ड्राइवरों से सम्बन्धित दस्तावेजों के लिए समान मानक स्थापित करने एवं अंतरसंचालनीयता सुनिश्चित करना है;***
6. ***डाटा की शुद्धता के लिए इनपुट और सत्यापन नियंत्रण में सुधार के लिए सिस्टम की समीक्षा करने की आवश्यकता है। एक चेंज मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, जिससे बिजनेस नियमों को त्वरित रूप से प्रणाली में अपडेट किया जा सके, के लिए स्पष्ट जिम्मेदारियों और भूमिकाओं के साथ बनाया जाना चाहिए।***

वर्ष के दौरान परिवहन विभाग की 12 इकाइयों की लेखापरीक्षा भी की गयी। ध्यान में आई प्रमुख अनियमितताएँ इस प्रकार हैं:

- वाहन स्वामियों ने 680 वाहनों का मोटर वाहन कर राशि ₹ 3.37 करोड़ का भुगतान नहीं किया। तथापि, विभाग ने देय राशि की वसूली हेतु कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की।
- एक मुश्त कर राशि ₹ 0.50 करोड़ 81 वाहनों के संबंध में भुगतान नहीं की गयी। तथापि, कराधान अधिकारियों ने बकाया कर की वसूली हेतु कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की।
- वाहन स्वामियों ने 301 वाहनों का एक मुश्त कर राशि ₹ 2.07 करोड़ जमा नहीं कराया। तथापि, कराधान अधिकारियों ने बकाया कर की वसूली हेतु कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की।

खान प्राप्तियां

अल्पावधि अनुज्ञापत्रों का प्रशासन

सरकारी, अर्द्धशासकीय, स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थान या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त या वित्त पोषित संगठन आदि के कार्यों के निष्पादन के लिए निर्दिष्ट अवधि के भीतर, निर्दिष्ट क्षेत्र से खनिज की निर्दिष्ट मात्रा का उत्खनन तथा निर्गमन के लिए अल्पावधि अनुज्ञापत्र दिये जाते है। अप्रैल 2018 से मार्च 2021 तक की अवधि के लिए "अल्पावधि अनुज्ञापत्रों का प्रशासन" पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा की गई। लेखापरीक्षा हेतु खनि अभियंताओं/सहायक खनि अभियंताओं के नौ कार्यालयों का चयन किया गया था।

उक्त कार्यालयों के अभिलेखों की जांच से पता चला कि ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से आवेदन प्राप्त करने और अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी करने के निर्देशों के बावजूद, एक खनि अभियंता के कार्यालय में ऑफ़लाइन प्रणाली के माध्यम से 550 में से 491 आवेदन भौतिक रूप में प्राप्त हुए। इसके अलावा, नौ चयनित कार्यालयों में से किसी ने भी *ई-एसटीपी* जारी नहीं की। यह पाया गया कि चयनित अल्पावधि अनुज्ञापत्र धारकों में से किसी ने भी अधिशुल्क निर्धारण के लिए ऑनलाइन रिटर्न जमा नहीं किया था, जबकि निदेशक, खान एवं भूविज्ञान द्वारा निर्देश जारी किये गये थे। संबंधित अधिकारियों ने भी ई-रिटर्न जमा करना सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई शुरू नहीं की क्योंकि कोई दंडात्मक प्रावधान निर्धारित नहीं थे।

इसके अलावा, 46 अल्पावधि अनुज्ञापत्र ₹ 13.20 करोड़ की बकाया राशि को अग्रिम जमा किये बिना ही अनियमित रूप से जारी किए गए थे। यह पाया गया कि नमूना-जांच के लिए चयनित 492 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों में से 127 अल्पावधि अनुज्ञापत्र धारकों द्वारा कार्य पूरा होने की नियत तिथि के बाद भी रॉयल्टी के आकलन के लिए रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए गए थे। यह विलम्ब दो से 40 महीने का था जिसमें ₹ 411.23 करोड़ की राशि के कार्य आदेश शामिल थे। इसके अलावा, 38 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों का मूल्यांकन उद्यमता से नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप अवैध रूप से उपभोग किए गए खनिज के मूल्य की मांग कायम नहीं की गई। यह देखा गया कि 3,757 कार्यों में से 2,857 कार्य, राशि ₹ 368.81 करोड़ के अल्पावधि अनुज्ञापत्र प्राप्त किए बिना निष्पादित किए गए थे।

लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि सरकार/विभाग इस पर विचार कर सकता है कि:

1. ***आवेदनों के ऑनलाईन निपटान तथा संलग्न दस्तावेजों की जांच के लिये एक ऑनलाईन चैक लिस्ट प्रदान करने पर, इससे दक्षता, पारदर्शिता और दस्तावेजीकरण में सुधार के साथ ही निगरानी में भी सहायता होगी। रिक्त/अहस्ताक्षरित आवेदन स्वीकार करने में गलती करने वाले कार्मिकों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिये;***
2. ***अधिशुल्क/फीस आदि का भुगतान न करने वालों की पहचान करने के किए ऑनलाईन प्रणाली में प्रभावी जांच शुरू करने और दोषी कार्मिकों पर जिम्मेदारी तय की जानी चाहिये;***
3. ***अल्पावधि अनुज्ञापत्र धारकों द्वारा ऑनलाइन विवरणी जमा करने के लिये नियमों में प्रावधान जोड़ने और विवरणी जमा न करने पर शास्ती का प्रावधान करना। अल्पावधि अनुज्ञापत्रों का विवरण ऑनलाइन करने से पारदर्शिता रहेगी तथा यह राजस्व के रिसाव के खिलाफ निवारक भूमिका भी निभाएगा;***
4. ***अल्पावधि अनुज्ञापत्रों के ऑनलाइन निर्धारण के लिए एक मॉड्यूल विकसित करना जिसका उद्देश्य मैन्युअल निर्धारण से उत्पन्न होने वाले राजस्व के रिसाव को रोकना हो;***
5. ***शुद्ध और त्रुटि रहित मूल्यांकन/निर्धारण सुनिश्चित करने के लिये निर्धारण करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना तथा***
6. ***अल्पावधि अनुज्ञापत्रों के बिना कार्यो के निष्पादन से बचने के लिये खान विभाग की वेबसाइट को निर्माण विभागों और पंचायती राज संस्थानों की वेबसाइट से जोड़ने के लिए राज्य सरकार के निर्देशों के अनुपालन में तेजी लाना।***

वर्ष के दौरान स्थान एवं भू विज्ञान विभाग के 21 कार्यालयों की भी लेखापरीक्षा की गयी। यह देखा गया कि विभाग ने अनियमित रूप से ईंट मिट्टी का परमिट जारी किया और परमिट धारक को अनुमत्य गहराई से अधिक ईंट मिट्टी की खुदाई करने से रोकने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप अवैध उत्खनन हुआ तथा ₹ 1.16 करोड़ की 0.46 लाख मीट्रिक टन ईंट मिट्टी की क्षपत हुई।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई प्रमुख अनियमितताएं इस प्रकार हैं:

फर्जी बैंक गारंटी के विरुद्ध प्रतिभूति मोचन करने तथा अपने खण्डीय कार्यालयों के मध्य अप्रभावी संचार के कारण जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एक संवेदक से ₹ 2.27 करोड़ की वसूली करने में विफल रहा।

गलत सूचकांकों को अपनाने, सूचकांकों की गिरावट की प्रवृत्ति की निगरानी न करने तथा प्रभावी आंतरिक नियंत्रण की कमी के कारण जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा ₹ 17.04 करोड़ के मूल्य भिन्नता दावों का अधिक भुगतान हुआ।

भाग–II: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं स्वायत्त निकायों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा

प्रतिवेदन के इस भाग में **'राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग की कार्यप्रणाली'** (एक स्वायत्त निकाय) पर एक विषयगत लेखापरीक्षा एवं राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के व्यवहारों की नमूना जांच में पाये गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को उजागर करने वाले दो अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेदों सहित तीन अनुच्छेद सम्मिलित हैं जिनका मौद्रिक मूल्य ₹ 16.93 करोड़ है।

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग की कार्यप्रणाली

आरईआरसी अपने विनियम के तहत संस्थाओं से टैरिफ और एआरआर आवेदनों को समय पर जमा करने के लिए बाध्य नहीं कर सका क्योंकि इसके समय पर अनुपालन के लिए कोई प्रभावी तंत्र नहीं था और इन आवेदनों को जमा करने में 11 दिन से लेकर 428 दिन तक की महत्वपूर्ण देरी हुई। इसके अतिरिक्त, आरईआरसी ने स्वयं टैरिफ आदेश जारी करने के लिए निर्धारित समय-सीमा को पार कर लिया। वार्षिक आधार पर एआरआर के लिए ट्रू-अप तंत्र का उचित कार्यान्वयन भी आरईआरसी द्वारा प्रभावी ढंग से सुनिश्चित नहीं किया गया था। ये देरी अक्सर विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई अधूरी जानकारी या डाटा के कारण होती है, जिससे आदेशों को समय पर जारी करने में और परेशानी होती है।

आरईआरसी ने एनटीपी 2016 के निर्देशों की अनदेखी की, जो नियामक परिसंपत्तियों के निर्माण को हतोत्साहित करता है, एवं वितरण अनुज्ञाप्तिधारियों को दक्षता में सुधार सुनिश्चित किए बिना, जिसके परिणामस्वरूप भविष्य में उपभोक्ताओं के लिए विद्युत की लागत कम हो सकती थी, राजस्व अंतर को लगातार बढ़ाए जाने की अनुमति प्रदान की।

एआरआर एवं ट्रूइंग अप में आरओई की अनुमति देने में आरईआरसी के दृष्टिकोण में स्थिरता का अभाव था क्योंकि इसने एआरआर एवं ट्रूइंग अप में आरओई अनुमत्य किए जाने में समान एवं तर्कसंगत दृष्टिकोण नहीं अपनाया था। क्रय के विद्युत समझौतों, नवीकरण क्रय दायित्व (आरपीओ) के अनुपालन के साथ-साथ निष्पादन के मानक (एसओपी) प्रतिवेदनों की जांच के संबंध में निगरानी तंत्र में कमियां थीं। आरईआरसी ने एसओपी विनियम 2021 में सेवाओं के 16 गारंटीकृत मानक के लिए मुआवजे के स्वचालित भुगतान की व्यवस्था भी निर्धारित नहीं की थी।

लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि आरईआरसी विचार कर सकता है कि:

1. ***विनियमों की ठोस अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु प्रासंगिक विनियमों के माध्यम से आवश्यक दंडात्मक प्रावधानों को लागू करे;***
2. ***अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा आवेदनों के प्रस्तुतीकरण एवं टैरिफ के निर्धारण के साथ-साथ एआरआर के अनुमोदन हेतु निर्दिष्ट समय-सीमा की ठोस अनुपालना सुनिश्चित करे;***
3. ***वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की दक्षता सुधारने हेतु कठोर उपाय करे एवं राजस्व अंतर केवल असाधारण परिस्थितियों में ही अनुमत करे;***
4. ***आरओई की अनुमति प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक एवं पारदर्शी तंत्र अपनाए, तथा विद्युत क्रय समझौतों, आरपीओ का अनुपालन एवं एसओपी प्रतिवेदनों के संबंध में निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करे; एवं***
5. ***सभी गारंटीकृत सेवाओं के लिए वैध शिकायतों के समक्ष क्षतिपूर्ति के स्वचालित भुगतान करे।***

प्रारूप अनुच्छेद

राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड

कंपनी द्वारा नियुक्त ठेकेदार ने न्यूनतम गांरटीकृत विद्युत के उत्पादन में चूक की। कंपनी ने चूक के लिए कार्यवाही करने के बजाए ठेकेदार को अपने वित्तीय हितों की सुरक्षा किए बिना अनुचित छूट प्रदान की। कंपनी 190.60 लाख इकाईयों की उत्पादन हानि वहन करने के उपरांत भी चूककर्ता ठेकेदार से 2015-2021 हेतु ₹ 9.69 करोड़ की लागू क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने में विफल रही।

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

कंपनी ने सम्बंधित प्रसारण लाइन की व्यवहार्यता का आंकलन किये बिना दो लाइन बेज की आवश्यकता बतलायी। लाईन कार्य प्रदान करने में अत्यधिक विलम्ब के कारण ₹ 7.24 करोड़ के प्रसारण प्रभारों का निरर्थक भुगतान हुआ।

भाग–I

राज्य सरकार के विभागों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा आक्षेप

अध्याय–I

सामान्य

अध्याय-I: सामान्य

1.1 परिचय

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन का यह भाग राजस्थान सरकार के 16 विभागों[1] की अनुपालन लेखापरीक्षा से प्रकट हुये प्रकरणों से संबंधित है।

अनुपालन लेखापरीक्षा से तात्पर्य लेखापरीक्षित इकाइयों के व्ययों, प्राप्तियों के साथ-साथ संपत्तियों तथा दायित्वों से संबंधित संव्यवहारों का परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना है कि भारत के संविधान के प्रावधानों, लागू कानूनों, नियमों, विनियमनों तथा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न आदेशों तथा निर्देशों की अनुपालना की जा रही है।

इस प्रतिवेदन का मूल उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को राज्य विधायिका के ध्यान में लाना है। लेखापरीक्षा मानकों के लिये यह आवश्यक है कि प्रतिवेदित किये जाने के लिये सामग्री का स्तर, संव्यवहारों की प्रकृति, मात्रा एवं परिमाण के अनुसार होना चाहिये। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से कार्यपालिका को सुधारात्मक उपाय करने में सक्षम बनाने तथा नीतियां एवं निर्देशों को बनाने में भी जो कि संगठनों को उन्नत वित्तीय प्रबंधन की ओर ले जायेंगे, इस प्रकार, बेहतर शासन में योगदान करने की अपेक्षा की जाती है।

यह अध्याय, लेखापरीक्षा की योजना तथा विस्तार- क्षेत्र के वर्णन के अतिरिक्त गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुवर्तन की सूचना प्रदान करता है।

1.2 लेखापरीक्षित इकाइयों का प्रालेख

विभागों का नेतृत्व अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रमुख शासन सचिवों/सचिवों के द्वारा किया जाता है, जिनकी सहायता आयुक्तों/शासन उप सचिवों तथा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा की जाती है। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा आक्षेप इस प्रतिवेदन के भाग-II में शामिल किये गये हैं।

प्रतिवेदन के इस भाग में शामिल 16 विभागों के संक्षिप्त प्रालेख ***परिशिष्ट-1*** में बताये गये हैं।

वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान राजस्थान सरकार के राजकोषीय संचालन का सारांश **तालिका 1.1** में दिया गया है :

[1] नागरिक उड्डयन विभाग, उपनिवेशन विभाग, ऊर्जा विभाग, पर्यावरण विभाग, कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग, वन विभाग, उद्योग विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, पेट्रोलियम निदेशालय, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजकीय उपक्रम विभाग, राजस्थान राज्य मोटर गैराज विभाग तथा परिवहन विभाग।

तालिका 1.1: राजकोषीय संचालन का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां			संवितरण		
	2019-20	**2020-21**		**2019-20**	**2020-21**
खंड-अ: राजस्व लेखा					
कर राजस्व	59,244.98	60,283.44	सामान्य सेवायें	56,186.29	60,143.84
कर-इतर राजस्व	15,714.16	13,653.02	सामाजिक सेवायें	68,313.23	74,009.59
संघीय करों/ शुल्कों का भाग	36,049.14	35,575.77	आर्थिक सेवायें	51,985.51	44,155.91
भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान	29,105.53	24,795.65	सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान	0.07	0.07
योग खंड-अ राजस्व प्राप्तियां	**1,40,113.81**	**1,34,307.88**	**योग खंड-अ राजस्व व्यय**	**1,76,485.10**	**1,78,309.41**
खंड-ब: पूंजीगत लेखा व अन्य					
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	20.42	14.08	पूंजीगत परिव्यय	14,718.05	15,270.49
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	15,669.75	373.52	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	2,255.18	491.01
लोक ऋण प्राप्तियां	46,173.72	89,964.01	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	20,032.69	41,022.99
आकस्मिकता निधि	-	-	आकस्मिकता निधि	-	-
लोक लेखा प्राप्तियां	1,93,165.05	2,08,446.75	लोक लेखा संवितरण	1,79,741.07	1,99,229.24
आरंभिक रोकड शेष	5,793.75	7,704.41	अंतिम रोकड शेष	7,704.41	6,487.51
योग खंड-ब प्राप्तियां	**2,60,822.69**	**3,06,502.77**	**योग खंड-ब संवितरण**	**2,24,451.40**	**2,62,501.24**
महायोग (अ+ब)	**4,00,936.50**	**4,40,810.65**	**महायोग (अ+ब)**	**4,00,936.50**	**4,40,810.65**

स्रोतः संबंधित वर्षो के वित्त लेखे

1.3 लेखापरीक्षा के लिये प्राधिकार

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के लिये प्राधिकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 से लिये गये हैं।

महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), राजस्थान, जयपुर द्वारा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अंतर्गत राजस्थान सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों एवं स्वायत्तशासी निकायों सहित विभागों के प्राप्तियों एवं व्यय की लेखापरीक्षा की जाती है। विभिन्न लेखापरीक्षाओं के लिये सिद्धान्त तथा कार्यपद्धतियां नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा तथा लेखाओं पर विनियमन, 2020 तथा लेखापरीक्षा मानक, 2017 में निर्धारित किये गये हैं।

1.4 लेखापरीक्षा की योजना तथा संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया का प्रारंभ सरकार के विभिन्न विभागों/संगठनों/स्वायत्तशासी निकायों एवं योजनाओं/परियोजनाओं इत्यादि के जोखिम के आंकलन से होता है। जोखिम का आंकलन, व्यय की मात्रा, गतिविधियों की महत्ता, समग्र आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की स्थिति एवं हितधारकों के सरोकारों पर आधारित है। इस प्रक्रिया में पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा निष्कर्षों को भी ध्यान में रखा जाता है। वर्ष 2020-21 के दौरान 16 विभागों की 158 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई थी।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा पूर्ण होने के उपरांत, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का समावेश करते हुये इकाइयों के प्रमुख को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये गये। इकाइयों से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के एक माह के अन्दर लेखापरीक्षा निष्कर्षों के उत्तर प्रेषित करने हेतु निवेदन किया गया। जब कभी भी उत्तर प्राप्त हुए, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निपटान कर दिया गया या अग्रेतर अनुपालना की सलाह दी गयी। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों से प्रकट होने वाले महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आक्षेपों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया।

1.5 लेखापरीक्षा आक्षेपों पर सरकार/विभागों का उत्तर

निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार संव्यवहारों की नमूना जांच एवं महत्वपूर्ण लेखों एवं अन्य अभिलेखों के संधारण के सत्यापन के लिये महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), राजस्थान, जयपुर, सरकार/विभागों की लेखापरीक्षा करते हैं। इन निरीक्षणों के पश्चात लेखापरीक्षा के दौरान पायी गयी अनियमितताओं, जिन्हें मौके पर ही निस्तारित नहीं किया गया हो, को शामिल करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाते हैं।

मार्च 2021 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण में पाया गया कि इन विभागों के लिये जारी 3,729 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित ₹ 30,571.57 करोड़ राशि के 17,146 अनुच्छेद सितम्बर 2021 के अन्त में बकाया थे।

1.5.1 30 सितम्बर 2021 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों, लेखापरीक्षा अनुच्छेदों तथा इनमें सन्निहित राशि का विभागवार विवरण **तालिका 1.2** में दर्शाया गया है :

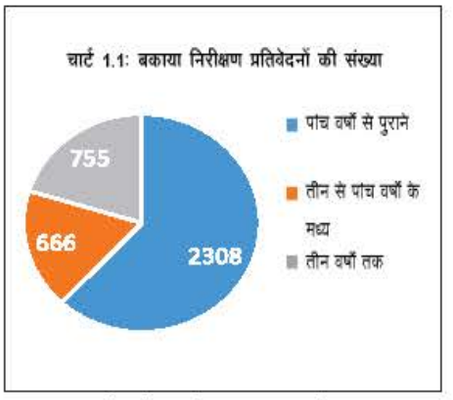
तालिका 1.2: निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा अनुच्छेदों का विभाग वार विवरण

क्र.सं.	विभाग का नाम	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की संख्या	सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)
1	नागरिक उड्डयन	7	26	51.89
2	उपनिवेशन	14	27	69.10
3	ऊर्जा	5	15	4.14
4	पर्यावरण	10	70	640.74
5	कारखाना एवं बॉयलर्स	7	22	1.81
6	वन	409	1,756	1,813.70
7	उद्योग	41	144	167.66

क्र.सं.	विभाग का नाम	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की संख्या	सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)
8	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार	11	46	1,642.43
9	खान एवं भू-विज्ञान	347	1,476	2,426.35
10	पेट्रोलियम	4	8	137.64
11	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	1,166	5,065	16,476.61
12	सार्वजनिक निर्माण	1,385	7,054	6,989.48
13	राजस्थान राज्य मोटर गैराज	6	25	16.91
14	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	16	45	37.30
15	राजकीय उपक्रम	4	10	22.09
16	परिवहन	287	1,357	71.72
योग		**3,729**	**17,146**	**30,571.57**

स्रोतः जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा उन पर प्राप्त उत्तरों के आधार पर सूचना संकलित की गयी।

जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है, लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लंबित अनुच्छेदों की दृष्टि से सार्वजनिक निर्माण विभाग में सर्वाधिक बकाया है। बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा अनुच्छेदों का आयु-वार विश्लेषण ***परिशिष्ट-2*** में वर्णित है, जो प्रकट करता है कि 2,308 निरीक्षण प्रतिवेदन (कुल बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों का 61.89 प्रतिशत) 5 वर्षों से अधिक समय से बकाया थे।



स्रोतःलेखापरीक्षा द्वारा संकलित।

बकाया इस तथ्य का सूचक है कि लेखापरीक्षा द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से ध्यान में लायी गयी त्रुटियों तथा अनियमितताओं को सुधारने के लिये कार्यालय प्रमुखों तथा विभागों को प्रभावी कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

1.5.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों के निस्तारण की निगरानी करने एवं शीघ्र प्रगति के लिये सरकार ने लेखापरीक्षा समितियों[2] का गठन किया। वर्ष 2020-21 के दौरान हुई लेखापरीक्षा समिति/लेखापरीक्षा उप-समितियों की बैठकों तथा उनमें निस्तारित अनुच्छेदों का विवरण **तालिका 1.3** में दर्शाया गया है:

[2] राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक 1/2005 दिनांक 18 जनवरी 2005 के अनुसार संबंधित विभागों के सचिव एवं महालेखाकार/उनके प्रतिनिधि को शामिल करते हुये लेखापरीक्षा समितियां बनायी गयी और शासन द्वारा निश्चित किया गया था कि लेखापरीक्षा समिति की एक बैठक का आयोजन प्रत्येक तिमाही में किया जावेगा। इसके अतिरिक्त, विभागों के अधिकारियों व महालेखाकार के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुये लेखापरीक्षा उप-समितियां भी बनायी गयी।

तालिका 1.3: लेखापरीक्षा समिति एवं लेखापरीक्षा उप-समितियों की बैठकों का विवरण

क्र.सं.	विभाग का नाम	आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या	आयोजित लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठकों की संख्या	निस्तारित अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	नागरिक उड्डयन	2	0	0	0
2	उपनिवेशन	1	0	0	0
3	ऊर्जा	3	0	0	0
4	पर्यावरण	0	0	0	0
5	कारखाना एवं बॉयलर्स	2	0	0	0
6	वन	1	2	11	8.71
7	उद्योग	2	1	5	0.01
8	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार	1	0	0	0
9	खान एवं भू-विज्ञान	3	3	46	92.45
10	पेट्रोलियम	3	0	0	0
11	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	1	0	0	0
12	सार्वजनिक निर्माण	3	1	65	52.93
13	राजस्थान राज्य मोटर गैराज	2	0	0	0
14	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	1	0	0	0
15	राजकीय उपक्रम	2	0	0	0
16	परिवहन	3	0	0	0
योग		**30**	**7**	**127**	**154.10**

स्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा संकलित।

तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2020-21 के दौरान किसी भी विभाग ने लेखापरीक्षा समिति की न्यूनतम आवश्यक चार बैठकें आयोजित नहीं की। इसके अलावा, पर्यावरण विभाग के संबंध में वर्ष 2020-21 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई थी। केवल चार विभागों यथा वन, उद्योग, खान एवं भू-विज्ञान तथा सार्वजनिक निर्माण विभागों में लेखापरीक्षा उप-समितियों की बैठकें हुई जहां राशि ₹ 154.10 करोड़ के 127 अनुच्छेद निस्तारित किये गये। विभाग बकाया अनुच्छेदों के शीघ्र निस्तारण के लिए लेखापरीक्षा समिति/लेखापरीक्षा उप-समिति की अधिक बैठकें आयोजित कर सकते हैं।

1.5.3 प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों का उत्तर

तथ्यात्मक विवरण जारी किये जाने के बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेद पांच संबंधित विभागों[3] के

[3] वन, खान एवं भू-विज्ञान, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सार्वजनिक निर्माण तथा परिवहन।

प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित कर उनसे यह अनुरोध करते हुये भेजे गये कि वे छः सप्ताह में उनके उत्तर भिजवा दें।

कुल 13 प्रारूप अनुच्छेदों को (इस प्रतिवेदन के आठ अनुच्छेदों में समेकित) सितम्बर 2021 तथा मार्च 2022 के मध्य संबंधित विभागों के प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को प्रेषित किया गया। सभी प्रारूप अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त हो गये एवं उन्हें उपयुक्त रूप से प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है।

1.6 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

राज्य सरकार के वित्त विभाग ने निश्चित किया (दिसम्बर 1996) कि सभी अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं, जो कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किये जा चुके हैं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां जो कि लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत रूप से पुनरीक्षित हों, प्रतिवेदन के राज्य विधायिका में रखे जाने के तीन माह के अन्दर जनलेखा समिति को प्रस्तुत की जायेगी। 31 जुलाई 2022 तक अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर कोई व्याख्यात्मक टिप्पणियां बकाया नहीं थी।

जनलेखा समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

31 जुलाई 2022 तक जनलेखा समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (राजस्व क्षेत्र/आर्थिक क्षेत्र/राजस्व एवं आर्थिक क्षेत्र/सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा अनुच्छेदों पर चर्चा की स्थिति **तालिका 1.4** में दर्शायी गयी है:

तालिका 1.4: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित एवं चर्चा किये गये निष्पादन लेखापरीक्षाऐं/अनुच्छेद

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि		निष्पादन लेखापरीक्षाओं/अनुच्छेदों की संख्या			
		लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित		चर्चा किये गये	
		निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुच्छेद
2016-17	राजस्व क्षेत्र	–	7	–	4
	आर्थिक क्षेत्र	1	9	1	9
	सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र	1	2	1	2
2017-18	राजस्व क्षेत्र	–	7	-	3
	आर्थिक क्षेत्र	2	5	2	5
	सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र	-	3	-	3
2018-19	राजस्व एवं आर्थिक क्षेत्र	1	12	-	-
	सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र	-	3	-	–
2019-20	अनुपालन	–	7	–	–

स्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा संकलित।

वर्ष 2015-16 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (राजस्व क्षेत्र/आर्थिक क्षेत्र/सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं अनुच्छेदों पर चर्चा पूरी हो चुकी है।

1.7 प्रतिवेदन के इस भाग की व्यापकता

प्रतिवेदन के इस भाग में आठ अनुच्छेद शामिल है। अनुच्छेदों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 41.19 करोड़ है। इन पर चर्चा अध्याय-II में की गई है। विभागों/सरकार ने ₹ 40.38 करोड़ के लेखापरीक्षा आक्षेपों को स्वीकार किया है (दिसम्बर 2023 तक)। स्वीकार किये गये लेखापरीक्षा आक्षेपों में से विभागों ने दिसम्बर 2023 तक ₹ 2.03 करोड़ वसूल किये जो कि वर्ष 2020-21 के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों के उत्तर में की गई वसूली (₹ 5.14 करोड़) के अतिरिक्त थे। इसके अलावा, संबंधित विभागों ने वर्ष 2020-21 के दौरान गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित आक्षेपों के संबंध में ₹ 30.22 करोड़ की वसूली की थी। इस प्रकार, लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वर्ष के दौरान की गई कुल वसूली ₹ 37.39 करोड़ थी।

अध्याय–II

अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय–II : अनुपालन लेखापरीक्षा

वाहनों पर कर

2.1 कर प्रशासन और लेखापरीक्षा के परिणाम

मोटर वाहनों पर करों से प्राप्तियां जो कि केन्द्रीय एवं राज्य मोटर वाहन अधिनियमों एवं इनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के प्रावधानो के अन्तर्गत देय है, सरकार के स्तर पर प्रमुख सचिव (परिवहन) द्वारा प्रशासित किया जाता है। परिवहन आयुक्त-सह-शासन सचिव राजस्थान सरकार परिवहन विभाग (विभाग) के प्रमुख है तथा इनकी सहायता छः अतिरिक्त परिवहन आयुक्त और चार उप परिवहन आयुक्त द्वारा की जाती है। सम्पूर्ण राज्य को 12 क्षेत्रों[1] में विभाजित किया गया है, जिनके प्रमुख क्षेत्रीय परिवहन-सह-पदेन के रूप में प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी होते है। इसके अतिरिक्त, 42 परिवहन जिले[2] हैं, जिनके प्रमुख जिला परिवहन अधिकारी होते है।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारियों के अधीन 52 पंजीकरण कार्यालय[3] हैं और मार्च 2021 के अंत तक यहाँ 2.02 करोड वाहन पंजीकृत थे। इनमें से 12 इकाइयों[4] को नमूना जांच के लिए चुना गया था जिनमें 53.40 लाख वाहन पंजीकृत थे। इनमें से 52,802 वाहनों को नमूना जांच के लिए चयनित किया गया था। संवीक्षा के दौरान कई प्रकरण कर की अवसूली/कम वसूली, शास्ति, ब्याज और कम्पाउंडिंग शुल्क के कम भुगतान के पाये गए। समान प्रकृति की त्रुटियाँ पिछले वर्षों में भी बताई गयी थी परन्तु इन्हें सुधारा नहीं गया तथा लेखापरीक्षा किये जाने तक इनकी पहचान भी नहीं की गयी थी। ये प्रकरण उदाहरण मात्र हैं और अभिलेखों की नमूना-जांच पर आधारित हैं। इसके अलावा, परिवहन विभाग के द्वारा उपयोग मे लिये जा रहे दो एप्लीकेशनों जो कि वाहन और सारथी हैं, की भी लेखापरीक्षा की गयी थी। वर्ष के दौरान, विभाग ने 7,655 प्रकरणों में ₹ 16.03 करोड़ के कम निर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं को स्वीकार किया। इनमें से, 7,375 प्रकरण जिनमे राशि ₹ 15.08 करोड़ सम्मिलित थी वर्ष 2020-21 के दौरान की गयी लेखापरीक्षा में और शेष को

1 क्षेत्रः अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, दौसा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, पाली, सीकर और उदयपुर।

2 परिवहन जिलेः आबू रोड, बालोतरा, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, भीनमाल, भिवाड़ी, बूंदी, चौमू, चूरू, डीडवाना, धोलपुर, दूदू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, केकड़ी, खेतड़ी, किशनगढ़, कोटपूतली, नागौर, नोहर, नोखा, फलौदी, प्रतापगढ़, राजसमंद, रामगंज मंडी, सवाई माधोपुर, शाहपुरा (भीलवाड़ा), शाहपुरा (जयपुर), सिरोही, श्री गंगानगर, सुजानगढ़, टोंक, रतनपुर (टीसीसी), शाहजहाँपुर (टीसीसी) और क्षेत्रीय स्तर पर बारह परिवहन जिले।

3 52 पंजीकरण कार्यालयों में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी की अध्यक्षता वाले 12 क्षेत्र और जिला परिवहन अधिकारी की अध्यक्षता वाले 40 परिवहन जिले शामिल हैं। जिला परिवहन अधिकारी की अध्यक्षता वाले दो परिवहन जिलों को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि वहां वाहन पंजीकृत नहीं थे। ये रतनपुर और शाहजहाँपुर में सीमा पर कर संग्रहण से संबंधित कार्य में शामिल हैं।

4 कोविड के कारण जयपुर के नजदीक की इकाईयों का चयन लेखापरीक्षा हेतु किया गया था।

पूर्व के वर्षों की लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाया गया था। वर्ष 2020-21 के दौरान, 276 प्रकरणों में ₹ 1.03 करोड़ की वसूली की गई, जिसमें से राशि ₹ 0.46 करोड़ के 75 प्रकरण 2020-21 की लेखापरीक्षा में और शेष पूर्व के वर्षों में इंगित किये गये थे। एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा "वाहन और सारथी एप्लीकेशनों की लेखापरीक्षा" और कुछ उदाहरणात्मक प्रकरण राशि ₹ 7.71 करोड़ पर चर्चा अनुवर्ती अनुच्छेदों में की गयी है।

2.2 वाहन और सारथी एप्लीकेशनों की लेखापरीक्षा

वाहन और सारथी एप्लीकेशनों को राजस्थान में परिवहन विभाग के संचालन में सुधार के लिए लाया गया था। अप्रैल 2016 से मार्च 2021 तक के डाटा की लेखापरीक्षा में डाटा की शुद्धता और सॉफ़्टवेयर मैपिंग की समस्याएं पाई गयी। इनमें डाटा प्रविष्टियों की त्रुटियाँ थीं, जैसे की पंजीकरण की गलत तिथियाँ और वाहन का गलत कुल सकल भार। वाहनों को डुप्लीकेट चैसिस नंबर और इंजन नंबरों से पंजीकृत किया गया था, जो कि अप्रभावी जांच को इंगित करता है। बिजनेस नियमों को सही रूप से समन्वित नहीं किया गया था, जिससे कारण शुल्क का आंकलन कम हुआ। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्रों की वैधता में विचलन था। अनुशंसित मॉड्यूल जैसे 'सीएनजी वाहन सेवा' और 'पीयूसीसी' का उपयोग नहीं किया जा रहा था। कम उम्र के लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए थे। परिवहन विभाग ने लेखापरीक्षा के परिणामों को स्वीकारते हुए, 'वाहन' और 'सारथी' एप्लीकेशनों में डाटा की शुद्धता को बढ़ाने की आवश्यकता को स्वीकार किया।

2.2.1 परिचय

परिवहन विभाग के कार्य मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित किए गये हैं। विभाग का प्राथमिक कर्तव्य राज्य में मोटर वाहन कानूनों के प्रावधानों का प्रवर्तन कराना है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) ने दो सॉफ्टवेयर/एप्लीकेशन मानकीकृत एवं लागू किये:

- वाहन-वाहन पंजीकरण सेवा और
- सारथी- ड्राइविंग लाइसेंस सेवा।

सॉफ्टवेयर लागू करने के मुख्य उद्देश्य थे:

- अंतर-संचालनीयता सुनिश्चित करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर वाहनों और ड्राइवरों से संबंधित दस्तावेजों के लिए समान मानकों को स्थापित करना,
- शुद्धता और समय पर सूचना की उपलब्धता,
- तेज, बेहतर और पारदर्शी सेवाएं प्राप्त करना, और
- मोटर वाहन अधिनियम और नियमों का उचित कार्यान्वयन।

परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा क्रमशः सितंबर 2009 और अक्टूबर 2009 से सारथी और वाहन सॉफ्टवेयर पैकेज को लागू किया गया था।

वाहन – यह एक लचीली और व्यापक प्रणाली है जो कि वाहन पंजीकरण, फिटनेस, करों, परमिट और प्रवर्तन की गतिविधियों का ध्यान रखती है। इस एप्लीकेशन द्वारा वाहनों से संबंधित सभी संव्यवहारों का अभिग्रहण किया जाता है।

सारथी – यह आमजन को ड्राइविंग लाइसेंस से सम्बन्धित संव्यवहारों को इलेक्ट्रॉनिक मोड पर आवेदन करने एवं सम्बंधित आगामी प्रक्रिया के लिए सुविधा प्रदान करता है। इस एप्लीकेशन द्वारा ड्राइविंग लाइसेंसों से संबंधित सभी संव्यवहारों का अभिग्रहण किया जाता है।

पूर्व में जुलाई से अक्टूबर 2011 की अवधि के दौरान एक निष्पादन लेखापरीक्षा 'परिवहन विभाग में कंप्यूटरीकरण' की गयी थी जिसमें "वाहन, सारथी और नेशनल परमिट सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ़्टवेयर" के क्रियान्वयन एवं उन पर नियंत्रण की जांच सम्मिलित थी। परिवहन विभाग के चयनित 10 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के अगस्त 2011 तक के डाटा का विश्लेषण एमएस-एक्सेस और एमएस-एक्सेल एप्लीकेशन का उपयोग करके किया गया था। निष्पादन लेखापरीक्षा का ध्येय नए सिस्टम की प्लानिंग और क्रियान्वयन, लीगेसी डाटा का अंतरण, डाटा की शुद्धता, डाटा का बचाव और सुरक्षा, बिजनेस की निरंतरता और आपदा में बहाली और हार्डवेयर संपदा का प्रबंधन आदि था। निष्पादन लेखापरीक्षा को भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष की रिपोर्ट संख्या 3 (राजस्व प्राप्तियाँ) में सम्मिलित किया गया था। जन लेखा समिति ने इस पर चर्चा की और सरकार की अनुपालना को 16 अगस्त 2018 को स्वीकार किया। वर्तमान लेखापरीक्षा में उन मुद्दों को देखा गया है जिन्हें पूर्व की लेखापरीक्षा/निष्पादन लेखापरीक्षा में सम्मिलित नहीं किया गया था।

2.2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्याः

- अधिनियमों/नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए डाटा मैपिंग का कार्य समय पर किया गया; और
- एप्लीकेशनों के लिए परिकल्पित समग्र उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशनों के डाटा का उचित उपयोग किया गया था।

2.2.3 कार्यक्षेत्र एवं पद्धति

वाहन और सारथी एप्लीकेशनों की लेखापरीक्षा कार्यालय परिवहन आयुक्त में की गयी थी। अप्रैल 2016 से मार्च 2021 तक की अवधि के राजस्थान राज्य से सम्बन्धित सभी वाहनों (दुपहिया और तिपहिया वाहनों को छोड़कर) के वाहन और सारथी के डम्प डाटा (10,13,535 प्रकरण) का विश्लेषण आईडिया सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया गया था। लेखापरीक्षा आपत्तियों को, चार इकाइयों क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (दौसा), क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (कोटा), क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (जयपुर) और जिला परिवहन अधिकारी

(बालोतरा) से प्रमाणित किया गया। परिणामों को विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (नवंबर 2021 और दिसम्बर 2023)। सरकार का उत्तर जनवरी 2022 और दिसम्बर 2023 में प्राप्त हुआ, जिसे उपयुक्त स्थानों पर सम्मिलित किया गया है।

2.2.4 लेखापरीक्षा के मानदंड

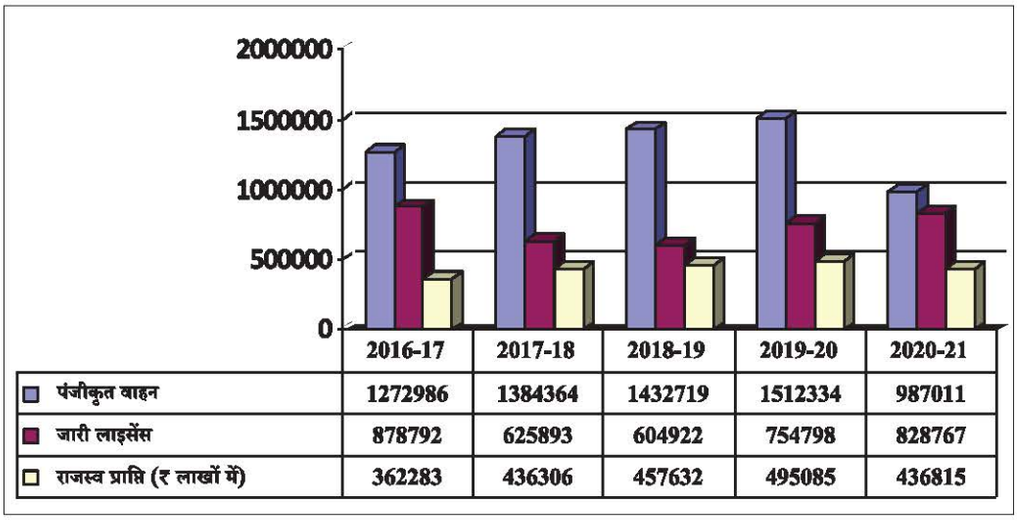
लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोत से अपनाये गये:

- मोटर वाहन अधिनियम, 1988;
- केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989;
- राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951;
- राजस्थान मोटर वाहन कराधान नियम, 1951;
- राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 तथा भारत सरकार एवं परिवहन विभाग, राजस्थान द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाएं, परिपत्र, आदेश, दिशा-निर्देश।

2.2.5 क्रियाकलापों एवं राजस्व का निष्पादन

वाहनों का पंजीयन एवं इन के संचालन के लिए लाइसेंसों को जारी करना विभाग की महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान विभाग में पंजीकृत वाहनों, जारी लाइसेंसों और कुल एकत्रित राजस्व का विवरण **चार्ट-1** में दर्शाया गया है:

चार्ट-1: परिवहन विभाग का कार्य निष्पादन



	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
पंजीकृत वाहन	1272986	1384364	1432719	1512334	987011
जारी लाइसेंस	878792	625893	604922	754798	828767
राजस्व प्राप्ति (₹ लाखों में)	362283	436306	457632	495085	436815

स्रोत: परिवहन विभाग का सांख्यिकीय सार (2020-21)।

कुल राजस्व संग्रह और पंजीकृत वाहनों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है, परन्तु कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण वर्ष 2020-21 के दौरान वाहनों के पंजीकरण और राजस्व संग्रहण में भारी गिरावट आई थी।

लेखापरीक्षा परिणाम

लेखापरीक्षा का प्रथम उद्देश्य यह आंकलन करना था कि क्या अधिनियमों/नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए डाटा मैपिंग का कार्य समय पर किया गया था।

इस लेखापरीक्षा उद्देश्य के अंतर्गत, यह पाया गया कि डाटा मैपिंग उचित ढंग से नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप क्रय की तारीखों, कुल वाहन भार, बैठक क्षमता, डुप्लीकेट इंजन नम्बर, डुप्लीकेट चेसिस नम्बर, और वाहनों की गलत श्रेणी में प्रविष्टयां थीं। इनके अलावा, बिजनेस नियम भी सॉफ़्टवेयर के साथ मैप नहीं किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप वाहनों के गलत वर्गीकरण के कारण पंजीकरण शुल्क और हाइपोथिकेशन शुल्क आदि कम प्राप्त हुए। अनुवर्ती अनुच्छेदों में इन आक्षेपों की विस्तृत चर्चा की गई है।

2.2.6 वाहन में त्रुटिपूर्ण प्रविष्ठियां

वाहन के डम्प डाटा के विश्लेषण में वाहनों के इनपुट किये गए विवरणों से संबंधित अनियमितताओ की एक श्रृंखला ध्यान में आयी। इन सभी विसंगतियों के कारण वाहन एप्लीकेशन में वाहनों की गलत सूचनायें दिखलाई जा रही थी। तथापि, इससे राजस्व पर प्रभाव नहीं पड़ा। मुख्य परिणाम नीचे दिये गए हैं:

- 119 मामलों में, वाहनों के पंजीकरण की दिनांक को वाहनों के क्रय की दिनांक से पहले दर्ज किया गया था। विशेष रूप से, विक्रय इनवॉइस के अनुसार वाहनों का पंजीकरण उनके वास्तिवक क्रय की दिनांक या डिलीवरी डेट से 1 से 74 दिन पहले दर्ज हुआ था।
- यह देखा गया कि 15,584 वाहनों का सकल कुल वाहन भार का विवरण वाहन में त्रुटिपूर्ण दर्ज किया गया था। सिस्टम के द्वारा 15,570 वाहनों का सकल कुल वाहन भार 0 किलोग्राम से 03 किलोग्राम और 14 वाहनों का 1,00,000 किलोग्राम से अधिक स्वीकार किया गया था।
- यह पाया गया कि 1,219 वाहनों में, वाहन के प्रकार के आधार पर बैठक क्षमता त्रुटिपूर्ण दर्ज की गयी थी। इन में से 120 भार वाहनों की बैठक क्षमता 10 से 100 यात्रियों की सीमा में दर्शायी गयी थी। इसके अतिरिक्त, सात कारों को 10 से 50 यात्री तक की बैठक क्षमताओं के साथ दर्शाया गया था। विशेष रूप से, 1,018 यात्री वाहन, जैसे कि बसें जो कि 10 से अधिक यात्री ले जाने के लिए डिज़ाइन की गई थी, उन्हें केवल एक से तीन यात्रियों की बैठक क्षमता के साथ ग़लत दर्शाया गया था।
- कुल 2,273 भारी माल वाहन (एचजीवी)/भारी यात्री वाहन (एचपीवी)/मध्यम माल वाहन (एमजीवी)/मध्यम यात्री वाहन (एमपीवी) को हल्के माल वाहन (एलजीवी)/हल्के यात्री वाहन (एलपीवी) के रूप में दिखाया गया था। इसी प्रकार, 3,123 हल्के माल वाहन/ हल्के यात्री वाहनों को भारी माल वाहन/भारी यात्री वाहन/मध्यम माल वाहन/मध्यम यात्री वाहन के रूप में दिखाया गया था।

सरकार द्वारा उत्तर दिया गया (दिसम्बर 2023) कि त्रुटियों को सुधारने के लिए निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही का आंकलन करने के लिए, लेखापरीक्षा द्वारा इन मामलों की नमूना जाँच करने पर पाया गया कि अनियमितताओं को सुधारा जाना बकाया था। (जनवरी 2024)।

सिफारिश 1 : विभाग को डाटा एंट्री की त्रुटियों को सुधारने की आवश्यकता है जिससे सिस्टम की विश्वसनीयता और शुद्धता बनी रहे।

2.2.7 डुप्लीकेट इंजन नंबर/चेसिस नंबर वाले वाहनों का पंजीकरण

विक्रय प्रमाण पत्र यानी फॉर्म-21, वाहन पंजीकरण के समय एक आवश्यक दस्तावेज होता है जिसमें चेसिस नम्बर (वीआईएनः- वाहन पहचान संस्था) और इंजन नम्बर सम्मिलित होते है जो कि यूनिक कोड होते हैं, जो वाहन डीलर या निर्माता द्वारा प्रत्येक वाहन को दिए जाते हैं।

वाहन के डम्प डाटा की समीक्षा में पाया गया कि 712 वाहनों के डुप्लीकेट चेसिस नम्बर या इंजन नम्बर थे। विवरण **तालिका 2.1** में दिया गया हैः

तालिका 2.1: डुप्लीकेट चेसिस और इंजन वाले वाहनों का विवरण

क्र. सं.	डुप्लीकेट	वाहनों की संख्या							
		'सी' श्रेणी	'ई' श्रेणी	'एफ' श्रेणी	'जी' श्रेणी	'पी' श्रेणी	'टी' श्रेणी	'यू' श्रेणी	कुल
1	चेसिस नम्बर	29	-	-	74	-	2	15	120
2	इंजन नम्बर	349	10	04	160	20	13	36	592
	कुल	**378**	**10**	**04**	**234**	**20**	**15**	**51**	**712**

स्रोतः वाहन डम्प डाटा।

इन प्रकरणों की नमूना जांच करने के लिए, दो परिवहन कार्यालयों (जिला परिवहन अधिकारी, बालोतरा और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जयपुर) से 16 वाहनों से संबंधित आवश्यक अभिलेखों का अनुरोध किया गया। जिला परिवहन अधिकारी, बालोतरा अनुरोध किये गये अभिलेख उपलब्ध कराने में असफल रहे। तथापि, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जयपुर ने तीन वाहनों से संबंधित फ़ोल्डर उपलब्ध करवाए। इन फ़ोल्डर्स की संवीक्षा करने पर यह पाया गया कि एक वाहन जिसके एक ही चेसिस और इंजन नम्बर थे, जो कि पूर्व में अरूणाचल राज्य में स्वामित्व और पंजीकरण संस्था एआर 06ए 1862 में पंजीकृत था, राजस्थान में दो बार विक्रय किया गया और दो विभिन्न पंजीकरण संस्था आरजे 14 जीएल 1860 और आरजे 14 जीएन 0891 में पंजीकृत किया गया था। इस प्रकार, नमूना जांच के परिणाम डम्प डाटा के विश्लेषण के परिणामों को मान्य करते है।

सरकार ने उत्तर (दिसंबर 2023) दिया कि वाहन में अब जाँचें प्रभावी बना दी गयी है ताकि नए पंजीकरण या बैकलॉग-एंट्री के समय इंजन/चेसिस नंबर की डुप्लिकेट एंट्री को रोका जा सके। पहले की गई गलतियों को सुधारने के लिए भी निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

विभाग द्वारा की गई कार्यवाही के आंकलन के लिए, लेखापरीक्षा के द्वारा आक्षेपित प्रकरणों की नमूना जांच में यह पाया गया कि इन अनियमितताओं को सुधारा जाना बकाया था (जनवरी 2024)।

सिफारिश 2: विभाग द्वारा स्थिति को सुधारने के लिए उचित कार्यवाही किया जाना आवश्यक है, जिसमें सिस्टम की कमजोरी की पहचान एवं सुधार सम्मिलित है।

2.2.8 वाहनों के गलत वर्गीकरण के कारण पंजीकरण शुल्क की कम प्राप्ति

2.2.8.1 निर्माण उपकरण वाहन (सीईवी)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) ने केन्द्रीय मोटर वाहन नियमों के नियम 81 के अंतर्गत अधिसूचना दिनांक 29 दिसम्बर 2016, के तहत विभिन्न श्रेणियों के वाहनों को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने या नवीनीकरण करने और नए पंजीकरण चिह्न प्रदान करने के लिए शुल्क निर्धारित किया था। निर्माण उपकरण वाहनों को "अन्य" (ई-श्रेणी)[5] के रूप में वर्गीकृत करना आवश्यक था और प्रति वाहन ₹ 3,000 का पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया था।

अप्रैल 2016 से मार्च 2021 के दौरान राज्य में पंजीकृत 24,514 'ई' श्रेणी वाहनों (अन्य) से संबंधित डाटा के विश्लेषण में यह पाया गया कि 5,314 वाहनों को गलत तरीके से अन्य श्रेणी के बजाय भारी माल वाहन और मध्यम माल वाहन के रूप में वर्गीकृत किया गया था। वाहन के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 89.65 लाख के पंजीकरण शुल्क की कम प्राप्ति हुई। कम प्राप्ति का विवरण नीचे **तालिका 2.2** में दिया गया है:

तालिका 2.2: पंजीकरण शुल्क की कम प्राप्ति का विवरण

क्र.सं.	वाहनों की संख्या	निर्धारित शुल्क (₹ प्रति वाहन)	प्रभारित शुल्क (₹ प्रत्येक वाहन)	फीस की कम वसूली (₹ प्रत्येक वाहन)	फीस की कुल कम वसूली (₹ लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=2X5)
1	44	3,000	300	2,700	1.19
2	372	3,000	600	2,400	8.93
3	1,212	3,000	1,000	2,000	24.24
4	3,686	3,000	1,500	1,500	55.29
योग	**5,314**				**89.65**

स्रोतः वाहन पोर्टल डम्प डाटा।

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम 81 के अन्तर्गत वाहनों की श्रेणी के अनुसार पंजीकरण शुल्क एकत्रित नहीं किया गया था।

सरकार ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2023) कि त्रुटिपूर्ण प्रकरणों की जांच एवं वसूली हेतु निर्देश जारी किये जा चुके हैं तथा वाहनों के सही वर्गीकरण एवं तदनुसार शुल्क वसूल करने हेतु प्रणाली में संशोधन किया जा रहा है। विभाग द्वारा 402 वाहनों से ₹ 6.71 लाख की राशि को वसूल किया जा चुका है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (जनवरी 2024)।

[5] ई-श्रेणी - निर्माण उपकरण वाहन।

2.2.8.2 हल्के, मध्यम और भारी मोटर वाहन

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमों के नियम 81 के अंतर्गत मोर्थ की अधिसूचना दिनांक 29 दिसंबर 2016, के अनुसार वाहनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी या नवीनीकरण करने और नए पंजीकरण चिह्न प्रदान करने के लिए निर्धारित शुल्क निम्न प्रकार है:

I. वाहन जिनका सकल वाहन भार 7,500 किलोग्राम से कम है, हल्के मोटर वाहन श्रेणी में आवृत हैं, इनका पंजीकरण शुल्क, परिवहन वाहन के लिए ₹ 1,000, गैर परिवहन वाहन के लिए ₹ 600 और आयातित वाहन के लिए ₹ 5,000 है।

II. वाहन जिनका सकल वाहन भार 12,000 किलोग्राम से कम लेकिन 7,500 किलोग्राम से अधिक है, मध्यम मोटर वाहन में आवृत है, इनका पंजीकरण शुल्क ₹ 1,000 था। वाहन जिनका सकल वाहन भार 12,000 किलोग्राम से अधिक है, भारी मोटर वाहन में आवृत्त है और इनका पंजीकरण शुल्क ₹ 1,500 निर्धारित है।

अवधि दिसम्बर 2016 से मार्च 2021 के दौरान हल्का मोटर वाहन/मध्यम मोटर वाहन/भारी मोटर वाहन श्रेणी के तहत पंजीकृत वाहनों से संबंधित डाटा विश्लेषण में पाया गया कि:

अ. कुल 1,291 वाहन जो कि हल्के मोटर वाहन/मध्यम मोटर वाहन (परिवहन वाहन) (सकल वाहन भार 12,000 किलोग्राम तक) श्रेणी के अन्तर्गत थे से ₹ 1,000 प्रति वाहन के स्थान पर ₹ 200 से ₹ 600 तक प्रति वाहन गलत पंजीकरण शुल्क प्रभारित किया गया था।

ब. कुल 1,441 वाहन जो कि भारी मोटर यान/भारी माल वाहन (परिवहन वाहन) (सकल वाहन भार 12,000 किलोग्राम से अधिक) श्रेणी के अन्तर्गत थे, से ₹ 1,500 प्रति वाहन के स्थान पर ₹ 600 से ₹ 1,000 तक प्रति वाहन गलत पंजीकरण शुल्क प्रभारित किया गया था।

स. कुल 3,039 वाहन जो कि हल्के मोटर वाहन (गैर-परिवहन) श्रेणी के अन्तर्गत थे, से ₹ 600 प्रति वाहन के स्थान पर ₹ 0 से ₹ 400 तक प्रति वाहन गलत पंजीकरण शुल्क प्रभारित किया गया था।

वाहन की श्रेणी के अनुसार पंजीकरण शुल्क की उचित मैपिंग के अभाव में, ₹ 27.17 लाख का पंजीकरण शुल्क कम एकत्र हुआ। विवरण **तालिका 2.3** और **2.4** में नीचे दिया गया है:

तालिका 2.3: परिवहन वाहनों से पंजीकरण शुल्क की कम प्राप्ति का विवरण

क्र.सं.	वाहनों की संख्या जिनसे शुल्क कम वसूल किया गया था	शुल्क ₹ में जो नियमानुसार वसूल किया जाना था (प्रत्येक वाहन)	शुल्क जो लिया गया ₹ (प्रत्येक वाहन)	फीस की कम वसूली ₹ में (प्रत्येक वाहन)	फीस की कुल कम वसूली (₹ लाख में)
वाहन का सकल वाहन भार 12000 किलोग्राम तक					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=2X5)
1	01	1,000	200	800	0.01
2	642	1,000	300	700	4.49

क्र.सं.	वाहनों की संख्या जिनसे शुल्क कम वसूल किया गया था	शुल्क ₹ में जो नियमानुसार वसूल किया जाना था (प्रत्येक वाहन)	शुल्क जो लिया गया ₹ (प्रत्येक वाहन)	फीस की कम वसूली ₹ में (प्रत्येक वाहन)	फीस की कुल कम वसूली (₹ लाख में)
3	19	1,000	400	600	0.11
4	629	1,000	600	400	2.52
योग (अ)	**1,291**				**7.13**
सकल वाहन भार 12000 किलोग्राम से अधिक					
1	434	1,500	600	900	3.91
2	1,007	1,500	1,000	500	5.04
योग (ब)	**1,441**				**8.95**
महायोग (अ+ब)	**2,732**				**16.08**

स्रोतः वाहन डम्प डाटा।

तालिका 2.4: हल्के मोटर वाहनों (गैर परिवहन) से पंजीकरण शुल्क की कम प्राप्ति का विवरण

क्र.सं.	वाहनों की संख्या जिनसे शुल्क कम वसूल किया गया	शुल्क ₹ में जो नियमानुसार वसूल किया जाना था ₹ में (प्रत्येक वाहन)	शुल्क जो लिया गया ₹ में (प्रत्येक वाहन)	फीस की कम वसूली ₹ में (प्रत्येक वाहन)	फीस की कुल कम वसूली (₹ लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=2X5)
1	26	600	00	600	0.16
2	01	600	20	580	0.01
3	01	600	50	550	0.01
4	2,407	600	200	400	9.63
5	69	600	300	300	0.21
6	535	600	400	200	1.07
योग	**3,039**				**11.09**

स्रोतः वाहन डम्प डाटा।

सरकार ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2023) कि नये वाहन के पंजीकरण के समय भार के अनुसार वाहन के सही वर्गीकरण तथा पंजीकरण के समय शुल्क की स्वतः गणना की प्रणाली प्रभावी बना दी गयी है। यह भी सूचित किया कि संबंधित क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि त्रुटिपूर्ण मामलों की जाँच करें और देय शुल्क की वसूली करें। विभाग द्वारा 1,248 वाहनों के संबंध में ₹ 4.82 लाख की राशि की वसूली की जा चुकी है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (जनवरी 2024)।

2.2.9 हाईपोथिकेशन शुल्क की कम प्राप्ति

केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 60 के अनुसार, सभी प्रकार के वाहनों के लिए किराया खरीद/लीज/हाईपोथिकेशन अनुबंध (नियम 81 में निर्धारित शुल्क) के लिए ₹ 100 थी। तथापि अधिसूचना दिनांक 29 दिसम्बर 2016 के द्वारा, मोर्थ ने केन्द्रीय मोटर वाहन नियम

के नियम 81 के अंतर्गत विभिन्न वाहन श्रेणियों के लिए किराया स्वरीद/लीज/हाइपोथिकेशन का शुल्क निम्न प्रकार निर्धारित किया:

(i) वाहन जिसका सकल वाहन भार 7,500 किलोग्राम से अधिक है, उसके लिए हाईपोथिकेशन शुल्क ₹ 3,000;

(ii) वाहन जिसका सकल वाहन भार 7,500 किग्रा से कम है, उसके लिए हाईपोथिकेशन शुल्क ₹ 1,500।

डम्प डाटा का विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि 984 वाहन जो मध्यम माल वाहन/मध्यम मोटर वाहन और भारी माल वाहन/भारी मोटर वाहन श्रेणी के हैं, से प्रति वाहन ₹ 3,000 के स्थान पर ₹ 100 से ₹ 1,500 तक गलत हाईपोथिकेशन शुल्क प्रभारित किया गया।

इसी तरह, डम्प डाटा[6] का विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि 51 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी कार्यालयों से सम्बंधित 2,700 वाहन जो हल्के माल वाहन/हल्के मोटर वाहन की श्रेणी में आवृत थे, से प्रति वाहन ₹ 1,500 के स्थान पर ₹ 100 से ₹ 1,000 तक का गलत हाईपोथिकेशन शुल्क प्रभारित किया गया।

इस प्रकार, मोर्थ की अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार मैपिंग नहीं करने के परिणामस्वरूप 3,684 वाहन स्वामियों से ₹ 60.31 लाख के हाईपोथिकेशन शुल्क की कम प्राप्ति हुई जैसा कि नीचे दी गई **तालिका 2.5** एवं **2.6** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.5: एमएमवी/एमजीवी और एचएमवी/एचजीवी वाहनों से हाईपोथिकेशन शुल्क की कम प्राप्ति का विवरण

क्र.सं.	वाहनों की संख्या जिनसे शुल्क कम वसूल किया गया	शुल्क ₹ में जो नियमानुसार वसूल किया जाना था (प्रत्येक वाहन)	शुल्क जो लिया गया ₹ में (प्रत्येक वाहन)	फीस की कम वसूली ₹ में (प्रत्येक वाहन)	फीस की कुल कम वसूली (₹ लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3-4)	(6=2X5)
1	557	3,000	100	2,900	16.15
2	427	3,000	1,500	1,500	6.41
योग	**984**				**22.56**

स्रोत: वाहन डम्प डाटा।

तालिका 2.6: एलएमवी/एलजीवी वाहनों से हाईपोथिकेशन शुल्क की कम प्राप्ति का विवरण

क्र.सं.	वाहनों की संख्या जिनसे शुल्क कम वसूल किया गया	शुल्क ₹ में जो नियमानुसार वसूल किया जाना था (प्रत्येक वाहन)	शुल्क जो लिया गया ₹ में (प्रत्येक वाहन)	फीस की कम वसूली ₹ में (प्रत्येक वाहन)	फीस की कुल कम वसूली (₹ लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	2,687	1,500	100	1,400	37.62
2	12	1,500	500	1,000	0.12
3	1	1,500	1,000	500	0.01
योग	**2,700**				**37.75**

स्रोत: वाहन डम्प डाटा।

[6] डम्प डाटा में 10.13 लाख वाहनों के विवरण सम्मिलित है।

सरकार ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2023) कि वाहन के पंजीकरण के समय भार के अनुसार वाहन के सही वर्गीकरण तथा पंजीकरण के समय शुल्क की स्वतः गणना की प्रणाली को प्रभावी बना दिया गया है। यह भी अवगत करवाया गया कि संबंधित क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारियों को त्रुटिपूर्ण प्रकरणों की जांच कर देय शुल्क की वसूली करने हेतु निर्देश दे दिए गए हैं। विभाग द्वारा 354 वाहनों के संबंध में ₹ 6.33 लाख की राशि की वसूली की जा चुकी है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (जनवरी 2024)।

सिफारिश 3: वाहन में डाटा की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए, लेखापरीक्षा द्वारा चिन्हित किये गए मामलों को सुधारना और ऐसे ही अनियमितताओं को सुधारना महत्वपूर्ण है। यह डाटा की विश्वसनीयता और शुद्धता को बनाये रखने में मदद करेगा।

लेखापरीक्षा का दूसरा उद्देश्य यह आंकलन करना था कि क्या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के डाटा का उपयोग उचित रूप से किया जा रहा है, जिससे एप्लीकेशन के निर्धारित सभी उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके।

लेखापरीक्षा के इस उद्देश्य के अन्तर्गत, यह पाया गया कि वाहन और सारथी सॉफ्टवेयर का उपयोग कुशलतापूर्वक नहीं किया जा रहा था, जिससे प्रदूषण प्रमाण पत्र गलत वैधता के साथ और ड्राइविंग लाइसेंस अनियमित रूप से जारी किये गये। इसके अतिरिक्त, विभिन्न मॉड्यूल्स जैसे कि रिफंड मॉड्यूल और सीएनजी वाहन सेवा मॉड्यूल आदि का उपयोग नहीं हो रहा था। उपरोक्त सभी मुद्दों और उनके प्रभाव की चर्चा अनुवर्ती अनुच्छेदों में की गई है।

2.2.10 प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र

केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115 में यह प्रावधान है कि एक मोटर वाहन का संधारण इस प्रकार किया जाएगा जिससे उत्सर्जन मानकों का पालन हो। उपरोक्त नियमों का नियम 115 (7), प्रावधित करता है कि वाहन के प्रथमतः पंजीकृत होने की दिनांक से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात, प्रत्येक वाहन राज्य सरकार द्वारा इस आशय हेतु प्राधिकृत एजेंसी द्वारा जारी वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) रखेगा। भारत स्टेज (बीएस)-III वाहनों हेतु यह प्रमाण पत्र छः माह हेतु वैध है। तथापि बीएस-IV एवं बीएस-VI अनुपालित वाहनों के प्रकरणों में पीयूसी प्रमाण पत्र की वैधता एक वर्ष है। राजस्थान मोटर वाहन जांच केंद्र योजना (ऑनलाइन) 2017, प्रदूषण जांच केन्द्रों की संचालन प्रक्रिया निर्धारित करने, योजना को व्यवसायोन्मुख बनाने एवं वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से आरम्भ की गयी थी।

(i) प्रदूषण जांच हेतु लंबित वाहनों एवं प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र जारी किये गए वाहनों से सम्बंधित आंकड़ों के विश्लेषण में पाया गया कि 2016-17 से 2020-21 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र प्राप्त नही करने वाले वाहनों की संख्या 81 प्रतिशत से 94 प्रतिशत के मध्य थी।

तालिका 2.7: वर्षवार जारी किये गए पीयूसीसी एवं एक वर्ष में वाहनों की संचयी संख्या का विवरण

वर्ष	पीयूसीसी हेतु लंबित वाहनों की संख्या	जारी किये गए पीयूसी प्रमाण पत्र	कमी	कमी प्रतिशत में
2016-17	1,36,32,176	8,56,923	1,27,75,253	94
2017-18	1,49,00562	12,06,130	1,36,94,432	92
2018-19	1,62,80,006	28,27,612	1,34,52,394	82
2019-20	1,77,09,949	30,32,659	1,46,77,290	83
2020-21	1,87,10,774	35,37,848	1,51,72,926	81

स्रोतः परिवहन विभाग की सम्बन्धित वर्ष की सांस्यिकी रिपोर्ट।

(ii) जनवरी 2017 से जनवरी 2022 की अवधि के दौरान जारी किये पीयूसी प्रमाण पत्रों के डाटा के विश्लेषण में पाया गया कि 4,09,865 पीयूसी प्रमाण पत्र बीएस-III, बीएस-IV, एवं बीएस -VI वाहनों की निर्धारित वैधता मानकों के अनुसार जारी नहीं किये गये थे। विवरण नीचे **तालिका 2.8** में दिया गयाः

तालिका 2.8: पीयूसी प्रमाणपत्र की गलत वैधता अवधि का विवरण

क्र.सं.	वाहन मानदंड	जारी किये गये प्रमाणपत्र की वैधता (दिनों में)				योग
		180 दिनों से कम	180 दिनों से अधिक	365 दिन से कम	365 दिन से अधिक	
1	बीएस -III	1,677	21,429	लागू नहीं	लागू नहीं	23,106
2	बीएस-IV/VI	लागू नहीं	लागू नहीं	3,83,449	3,310	3,86,759
योग		**1,677**	**21,429**	**3,83,449**	**3,310**	**4,09,865**

स्रोतः वाहन डम्प डाटा।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 1,677 पीयूसी प्रमाण पत्र, बीएस-III वाहनों के लिये छः माह से कम की अवधि हेतु जारी किये गये थे और 21,429 वाहनों को पीयूसी प्रमाण पत्र छः माह से लम्बी अवधि के लिये जारी किये गये थे जबकि निर्धारित मानक वैधता अवधि छः माह थी। बीएस-IV एवं बीएस-VI वाहनों के लिये 3,83,449 पीयूसी प्रमाण पत्र एक वर्ष से कम अवधि के लिए जारी किये गए और 3,310 वाहनों के लिए पीयूसी प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक के लिए जारी किये गए जबकि निर्धारित मानक वैधता अवधि एक वर्ष थी।

यह स्पष्ट है कि इन घटित होने वाली अनियमितताओं का पता लगाने और उनका समाधान करने के लिए कोई प्रणाली मौजूद नही थी।

प्रकरण अगस्त 2021 में सरकार के संज्ञान में लाया गया। सरकार ने कमियों को दूर करने हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को कहा (नवम्बर 2021)। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा सरकार को अवगत कराया (दिसम्बर 2021) कि पीयूसी वैधता एवं उत्सर्जन मानकों के मध्य मैपिंग का कार्य, जो कि पूर्व में विद्यमान नहीं था, वाहन टीम को दिया चुका है तथा प्रगतिरत है।

सरकार ने उत्तर में (दिसम्बर 2023) कहा कि इस सम्बन्ध में वाहन के अद्यतन किये जाने का कार्य प्रगति पर है। अद्यतन किये जाने के सम्बन्ध में आगामी सूचना प्रतीक्षित है (जनवरी 2024)।

सिफारिश 4: विभाग, केन्द्रीय मोटर वाहन नियमों के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से पीयूसी प्रमाण पत्र जारी करने हेतु कोई प्रणाली विकसित कर सकता है।

2.2.11 सारथी के माध्यम से अनियमित ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाना

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 3 के अनुसार कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर तब तक मोटरयान नहीं चलाएगा जब तक कि उसके पास सक्षम अधिकारी द्वारा उसे जारी किया गया वैध लाइसेंस नहीं हो। मोटर वाहन को चलाने हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। तथापि, एक व्यक्ति जिसने 16 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, मोटर साईकिल जिसकी इंजन क्षमता 50 सीसी से अधिक ना हो चला सकता है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 9 (6) प्रावधित करता है कि, जिस प्रकार के वाहन के लिए आवेदन किया गया है, वैसे ही वाहन को चलाने हेतु क्षमता परीक्षण किया जायेगा।

सारथी के आंकड़ों के विश्लेषण में पाया गया कि 166 लर्नर लाइसेंस 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को जारी किये गए, जो कि निम्नानुसार है:

(i) गियर के साथ मोटर साइकिल (गैर-परिवहन) हेतु कुल 83 लर्नर लाइसेंस, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को जारी किये गए।

(ii) हल्के मोटर वाहन के लिए कुल 81 लर्नर लाइसेंस, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को जारी किये गए।

(iii) दो लर्नर लाइसेंस मध्यम मोटर वाहन एवं भारी मोटर वाहन हेतु 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को जारी किये गए।

सरकार ने प्रत्युत्तर में कहा (दिसम्बर 2023) कि सारथी के नवीनतम संस्करण में आवेदक की आयु सम्बन्धी नियंत्रण/जांच प्रभावी है। अग्रेत्तर, लाइसेंस की बैकलाग प्रविष्टियों में भी जांच प्रभावी कर दी गयी है। यह भी सूचित किया गया कि आक्षेपित प्रकरणों की जांच तथा सुधारात्मक कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये थे।

लेखापरीक्षा द्वारा लाइसेंसों के भौतिक अभिलेख मांगे गए, परन्तु विभाग ने अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाये। विभाग ने बताया कि तीन लाइसेंस निरस्त (जनवरी 2023) किये गए हैं। अन्य मामलों में आगामी कार्यवाही प्रतीक्षित है (जनवरी 2024)।

2.2.12 मॉड्यूल्स का उपयोग नहीं किया जाना

2.2.12.1 रिफंड मॉड्यूल

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 7 के साथ पठित राजस्थान मोटर वाहन कराधान नियम, 1951 का नियम 26 यह प्रावधान करता है कि यदि वाहन स्वामी द्वारा देय कर से अधिक कर का भुगतान किया गया है तो वह कुछ शर्तों के साथ रिफंड का हकदार होगा।

वाहन में उपलब्ध मॉड्यूलों के विश्लेषण करने पर पाया गया की विभाग द्वारा रिफंड करने की प्रक्रिया के लिए रिफंड मॉड्यूल का उपयोग नहीं किया जा रहा था। वर्ष 2020-21 के दौरान 413 प्रकरणों में राशि ₹ 3.10 करोड़ का रिफंड भौतिक रूप से ही किया गया था जिसके परिणामस्वरूप स्वचालन का स्तर अपूर्ण रहा।

सरकार ने उत्तर (दिसम्बर 2023) दिया कि राजस्थान राज्य में रिफंड मॉड्यूल का उपयोग नहीं किया जा रहा है तथापि, रिफंड मॉड्यूल का उपयोग नहीं करने के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया।

2.2.12.2 सीएनजी वाहन सेवा मॉड्यूल

मोर्थ ने (15 नवंबर 2018) सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115 के अधीन, सुरक्षा और मानकों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए सीएनजी/एलपीजी किट के रेट्रो फिटमेंट के लिए मॉड्यूल को लागू करने के निर्देश दिये थे।

वाहन में 'सीएनजी वाहन सेवा' मॉड्यूल निर्माताओं द्वारा सीएनजी/एलपीजी किटों की वस्तुसूची विवरण अपलोड करने और डीलरों द्वारा फिट किए गए इन किटों के साथ वाहनों को लिंक करने के लिए बनाया गया था।

वाहन में उपलब्ध मॉड्यूलों की समीक्षा में पाया गया कि मोर्थ के इस सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों के बावजूद राजस्थान राज्य में 'सीएनजी वाहन सेवा' मॉड्यूल का उपयोग नहीं किया जा रहा था। इस तरह, वाहनों में लगे सीएनजी/एलपीजी किटों को ट्रैक करने का मॉड्यूल का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

सरकार ने उत्तर (दिसम्बर 2023) में बताया कि मॉड्यूल जून 2023 से लागू कर दिया गया था, हालाँकि, देरी के कारणों को उपलब्ध नहीं करवाया गया।

2.2.12.3 पीयूसीसी मॉड्यूल

केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 62 के अनुसार फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र अनिवार्य था।

वाहन एप्लीकेशन की समीक्षा में पाया गया की विभाग के द्वारा पीयूसी प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) मॉड्यूल का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए नहीं किया जा रहा था कि वाहन जिसको फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है, के पास वैध पीयूसीसी है। यह भी देखा गया कि 37 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में से 24 के द्वारा पीयूसीसी मॉड्यूल को लागू किया जा चुका है।

सरकार ने उत्तर दिया (दिसंबर 2023) कि इस संबंध में वाहन के अद्यतन करने का कार्य प्रगति पर है।

सिफारिश 5: विभाग को विभिन्न मॉड्यूलों की उपयोगिता का आंकलन करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह वाहन के उद्देश्यों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य अखिल भारतीय स्तर पर वाहनों और ड्राइवरों से सम्बन्धित दस्तावेजों के लिए समान मानक स्थापित करना एवं अंतरसंचालनीयता सुनिश्चित करना है।

2.2.13 लेखापरीक्षा मूल्यांकन

मोटर वाहन अधिनियम,1988 और मोटर वाहन नियमों के क्रियान्वयन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वाहन और सारथी पोर्टल की संकल्पना की गयी थी। तथापि, डाटा की समीक्षा करने पर पाया गया कि ऐसे कई उदाहरण थे जहां नियमों को सही तरीके से लागू नही किया गया था, या जहां सत्यापन नियंत्रण की कमी ने डाटा की शुद्धता और विश्वसनीयता के बारे में चिंताएं पैदा की थी। इसके अलावा, नियमों की गलत मैपिंग के परिणामस्वरूप पंजीकरण शुल्क और हाईपोथिकेशन शुल्क की कम प्राप्ति हुई परिणामस्वरूप राज्य को राजस्व की हानि हुई।

विभाग ने प्रस्तुत सभी तथ्यों को स्वीकार किया और उत्तर दिया कि वाहन और सारथी सॉफ्टवेयर डाटा की शुद्धता में सुधार करने के लिए उपाय किये जा रहे है और आवश्यक बिजनेस नियमों को सिस्टम में शामिल किया जा रहा है।

सिफारिश 6: सरकार को डाटा की शुद्धता के लिए इनपुट और सत्यापन नियंत्रण में सुधार के लिए सिस्टम की समीक्षा करने की आवश्यकता है। एक चेंज मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, जिससे बिजनेस नियमों को त्वरित रूप से प्रणाली में अपडेट किया जा सके के लिए स्पष्ट जिम्मेदारियों और भूमिकाओं के साथ बनाया जाना चाहिए।

2.3 मोटर वाहनों पर कर की अवसूली

वाहन स्वामियों द्वारा 680 वाहनों का मोटर वाहन कर एवं विशेष पथ कर राशि ₹ 3.37 करोड़ का भुगतान नहीं किया जाना।

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4 और 4-बी तथा इसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अनुसार, सभी परिवहन वाहनों जिनको राज्य में उपयोग या उपयोग हेतु रखे गए हैं पर मोटर वाहन कर और विशेष पथकर का आरोपण एवं संग्रहण राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दरों से किया जाता है, केवल उन वाहनों को छोड़कर जिन्होंने धारा 4-सी के अंतर्गत एक मुश्त कर का भुगतान किया हो। अधिसूचना दिनांक 9 मार्च 2011 के अनुसार, देय कर पर दिनांक 10 अक्टूबर 2017 तक 5 प्रतिशत की दर से अधिभार भी देय था। तत्पश्चात अधिसूचना दिनांक 11 अक्टूबर 2017 के अनुसार अधिभार 6.25 प्रतिशत की दर से देय था। अधिसूचना दिनाक 1 मई 2003 के अनुसार अनुमत्य अवधि के पश्चात् कर का भुगतान नहीं करने पर देयकर की राशि के दुगने के अध्यधीन रहते हुए प्रतिमाह या उसके भाग के लिए 1.5 प्रतिशत की दर से शास्ति भी आरोपणीय थी। इसके अलावा, राजस्थान मोटर

वाहन कराधान नियम,1951 के नियम 8 और 33 कराधान अधिकारी, को कर की वसूली हेतु नोटिस देने का अधिकार प्रदान करते हैं।

चयनित 11 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी के कुल 2,13,875 वाहनों, में से 55,758 वाहनों की नमूना जांच की गई थी। इन कार्यालयों के वर्ष 2016-17 से 2019-20 की अवधि के पंजीकरण अभिलेख्, कर खातों, सामान्य सूचकांक रजिस्टर और वाहन सॉफ्टवेयर की नमूना जांच (जून 2020 और जनवरी 2021 के मध्य) के दौरान, पाया गया कि 680 वाहनों स्वामियों द्वारा कर का भुगतान नहीं किया गया था। अभिलेखों में इस तथ्य का कोई साक्ष्य उपलब्ध नही था जो यह सिद्ध करते हों कि वाहन सड़क पर नहीं चल रहे थे या अन्य जिलों/राज्यों को स्थानांतरित हो गए थे या उनके पंजीकरण प्रमाण पत्र समर्पित कर दिये गये थे। तथापि, कराधान अधिकारियों द्वारा बकाया कर की वसूली हेतु कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी थी। इसके परिणामस्वरूप कर एवं अधिभार ₹ 3.37 करोड़ की वसूली नहीं हुई। विवरण **तालिका 2.9** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.9: कर एवं अधिभार की अवसूली का विवरण

क्र.सं.	वाहनों की श्रेणी	वाहनों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	कार्यालयों के नाम जहां अनियमितताएं पाई गई
1.	माल वाहन	154	0.40	जिला परिवहन अधिकारी - गुड्स जयपुर और टोंक
2.	परिवर्तित माल वाहन	307	1.32	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी - अजमेर जिला परिवहन अधिकारी - दूदू, गुड्स जयपुर, कोटपूतली, किशनगढ़ और शाहपुरा
3.	डम्पर/टिप्पर	116	0.38	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी - सीकर जिला परिवहन अधिकारी - गुड्स जयपुर, कोटपूतली
4.	कॉन्ट्रैक्ट कैरिज (अखिल भारतीय परमिट)	13	0.42	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी -अजमेर जिला परिवहन अधिकारी - पीवी-द्वितीय जयपुर
5.	स्टेज कैरिज (ग्रामीण मार्ग)	39	0.21	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी -सीकर जिला परिवहन अधिकारी - किशनगढ़
6.	स्टेज कैरिज (अन्य मार्ग)	51	0.64	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी - दौसा और सीकर जिला परिवहन अधिकारी - पीवी-द्वितीय जयपुर
योग		**680**	**3.37**	

स्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा संकलित।

इन प्रकरणों को इंगित किए जाने के बाद (जून 2021), नौ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा सूचित किया गया (अक्टूबर 2021 से दिसम्बर 2023 के मध्य) कि 274 वाहनों से सम्बंधित ₹ 1.01 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (जनवरी 2024)।

इस प्रकार की अनियमितताओं को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के गत वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (राजस्व क्षेत्र) में नियमित रूप से उठाया गया है। गत तीन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (2016-17 से 2018-19) में भी राशि ₹ 49.71 करोड़ के 9,843 प्रकरणों को लेखापरीक्षा

द्वारा इंगित किया जा चुका है। विभाग ने उन आपत्तियों को स्वीकार किया और 2,610 प्रकरणों में ₹ 11.56 करोड़ (23.25 प्रतिशत) की वसूली की। तथापि, यह देखा गया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद ही विभाग द्वारा कार्यवाही की गयी थी। इस तरह की अनियमितताओं की लगातार पुनरावृत्ति न हो इसके लिए विभाग को अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं में उचित जांचों का निर्माण कर सक्रिय कार्यवाही करनी चाहिए।

2.4 परिवहन वाहनों से एक बारीय कर की अवसूली

वाहन मालिकों द्वारा 81 परिवहन वाहनों के संबंध मे राशि ₹ 0.50 करोड़ का एक बारीय कर का भुगतान नहीं किया गया। तथापि, विभाग ने बकाया देय राशि की वसूली हेतु सख्त कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की।

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार गैर-परिवहन और परिवहन वाहनों पर एक बारीय कर[7], राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा निर्धारित दरों पर देय है। देय कर पर अधिभार भी आरोपित है। अनुमत्य अवधि के पश्चात कर का भुगतान नहीं करने पर, देय कर की राशि के दुगने के अध्यधीन रहते हुए प्रतिमाह या उसके भाग के लिए 1.5 प्रतिशत की दर से शास्ति भी देय है।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सीकर एवं जिला परिवहन अधिकारी, टोंक की लेखापरीक्षा के दौरान, कुल 18,409 मालवाहक वाहनों में से 7,000 वाहनों के अभिलेखों की नमूना जांच की गई। इन वाहनों के कर खातों की वाहन डाटा और *ई-ग्रास*[8] डाटा के साथ समीक्षा (सितंबर 2020 और जनवरी 2021 के मध्य) में पाया गया कि 81 परिवहन वाहनों के वाहन स्वामियों द्वारा एक बारीय कर का भुगतान नहीं किया गया था। अभिलेखों में यह सूचना उपलब्ध नहीं थी कि उक्त वाहन सड़क पर नहीं चल रहे थे या अन्य जिलों/राज्यों को स्थानांतरित हो गए थे या उनके पंजीकरण प्रमाण पत्र समर्पित कर दिये गये थे। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि विभाग के द्वारा वाहन एप्लीकेशन में वाहनों के कर निर्धारण का डाटा अद्यतन नहीं किया गया था, जिसके कारण कर न चुकाने वाले करदाताओं को चूककर्ताओं की सूची में शामिल नहीं किया जा सका। इसलिए, विभाग चूककर्ताओं की प्रभावी निगरानी एवं बकाया कर की वसूली में विफल रहा। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत देय राशि की वसूली के लिए कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.50 करोड़ की राशि के एक बारीय कर (अधिभार सहित) की वसूली नहीं हुई।

[7] एक बारीय कर के अंतर्गत सभी गैर-परिवहन वाहन, 16,500 सकल कुल भार तक के परिवहन वाहन (माल) और परिवहन वाहन (यात्री) जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट बैठक क्षमता 22 को शामिल किया गया है।

[8] **"ऑनलाइन सरकारी प्राप्तियां लेखा प्रणाली (ई-ग्रास)** राजस्थान सरकार की एक ई-गवर्नेंस पहल है, जो मिशन मोड परियोजना श्रेणी में है और एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा है।"

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2021)। सरकार ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2021 और दिसम्बर 2023 के मध्य) कि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सीकर द्वारा दो वाहनों से ₹ 0.01 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। हालांकि, वाहन सॉफ्टवेयर में वाहनों के कर निर्धारण से संबंधित डाटा को अद्यतन न करने पर विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया था। आगामी कार्यवाही प्रतीक्षित है (जनवरी 2024)।

2.5 एकमुश्त कर की बकाया किस्तों की वसूली/अवसूली

विभाग द्वारा 301 वाहनों से एकमुश्त कर की वसूली नहीं की गयी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.07 करोड़ के एकमुश्त कर एव शास्ति की वसूली/अवसूली हुई।

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम,1951 की धारा 4-सी तथा इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गये नियमों के अनुसार परिवहन वाहनों पर एकमुश्त कर, समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा निर्धारित दरों पर देय है। वाहन स्वामी के विकल्प पर, एकमुश्त कर का भुगतान संपूर्ण अथवा छः समान किश्तों में (14 जुलाई 2014 से) एक वर्ष में किया जा सकता है। दिनांक 10 अक्टूबर 2017 तक, एकमुश्त कर पर 10 प्रतिशत की दर से अधिभार भी देय था। तत्पश्चात् अधिसूचना दिनांक 11 अक्टूबर 2017 के अनुसार अधिभार 12.50 प्रतिशत की दर से देय है। इसके अतिरिक्त, अधिसूचना दिनांक 1 मई 2003 के अनुसार अनुमत्य अवधि के पश्चात कर का भुगतान नहीं करने पर, देय कर की राशि के दुगने के अध्यधीन रहते हुए प्रतिमाह या उसके भाग के लिए 1.5 प्रतिशत की दर से शास्ति भी आरोपित है।

वर्ष 2016-17 से 2019-20 की अवधि के अभिलेखों की लेखापरीक्षा (जून 2020 और जनवरी 2021 के मध्य) के दौरान कुल 1,20,353 वाहनों[9] में से 33,850 वाहनों जो कि सात परिवहन कार्यालयों[10] से संबंधित थे की जांच में पाया गया की 286 वाहन स्वामियों द्वारा पहली या दूसरी किस्त का भुगतान करने के बाद बकाया किस्तों का भुगतान नहीं किया गया था और 15 वाहनों के सम्बन्ध में कर का भुगतान नहीं किया गया था। उक्त वाहनों के सड़क पर नहीं होने या अन्य राज्यों में स्थानांतरित होने के विवरण रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं थे। विभाग, बकाएदारों से बकाया कर की वसूली की प्रभावी निगरानी करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्निहित, देय राशि की वसूली के लिए कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.07 करोड़ के कर (अधिभार सहित) की वसूली नहीं हुई।

प्रकरण विभाग के ध्यान में लाया गया तथा सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2021)। सरकार ने उत्तर दिया (मार्च 2022 और दिसम्बर 2023 के मध्य) कि 112 वाहनों से सम्बंधित ₹ 0.84 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (जनवरी 2024)।

[9] 1,03,694 भार वाहन + 16,659 टैक्सी/मैक्सी।

[10] क्षेत्रीय परिवहन अधिकारीः अजमेर, जयपुर, सीकर, दौसा।
जिला परिवहन अधिकारीः जयपुर (भार), दूदू, टोंक।

इस प्रकार की अनियमितताओं को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के गत वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (राजस्व क्षेत्र) में नियमित रूप से उठाया गया है। गत पांच लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (2014-15 से 2018-19) में भी राशि ₹ 37.79 करोड़ के 7,102 प्रकरणों को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया जा चुका है। विभाग ने उन आपत्तियों को स्वीकार किया और 2,178 प्रकरणों में ₹ 13.01 करोड़ (34.43 प्रतिशत) की वसूली की। तथापि, यह देखा गया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद ही विभाग द्वारा कार्यवाही की गयी थी। इस तरह की अनियमितताओं की लगातार पुनरावृत्ति न हो इसके लिए विभाग को अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं में उचित जांचों का निर्माण कर सक्रिय कार्यवाही करनी चाहिए।

खान प्राप्तियां

2.6 परिचय

सरकार स्तर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम, जयपुर तथा विभाग स्तर पर निदेशक, खान एवं भूविज्ञान, उदयपुर, संबंधित अधिनियमों एवं नियमों के प्रशासन एवं क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं। एक अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), छः अतिरिक्त निदेशक, खान, छः अतिरिक्त निदेशक, भूविज्ञान और एक वित्तीय सलाहकार द्वारा निदेशक, खान एवं भूविज्ञान को सहायता प्रदान की जाती है। अतिरिक्त निदेशक, खान नौ वृत्तों के माध्यम से नियंत्रण करते है, प्रत्येक का नेतृत्व एक अधीक्षण खनि अभियंता करता है।

अपने नियंत्रणाधीन क्षेत्रों में राजस्व के निर्धारण तथा संग्रहण और खनिजों के अवैध उत्खनन और निर्गमन की रोकथाम के लिए 49 खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता उत्तरदायी हैं। खनिजों के अवैध उत्खनन एवं निर्गमन की रोकथाम के लिए विभाग में एक पृथक सतर्कता शाखा है जिसके प्रमुख अतिरिक्त निदेशक, खान (सतर्कता) हैं।

खान एवं भूविज्ञान विभाग में 130 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां[11] थीं। इनमें से 21 इकाइयों[12] का लेखापरीक्षा के लिए चयन[13] किया गया, जिनमें से 18,463 प्रकरणों[14] में से लेखापरीक्षा ने 9,531 प्रकरणों[15] (51.62 प्रतिशत) का चयन एवं जांच की। इनमें 2,606 प्रकरणों में

[11] अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं भूविज्ञान विभाग और निदेशक खान एवं भूविज्ञान विभाग, कार्यालय के अलावा 128 अन्य इकाईयां इसमें शामिल हैं।

[12] अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पैट्रोलियम, जयपुर, अतिरिक्त निदेशक, खान जयपुर, अधीक्षण खनि अभियंता जयपुर, अधीक्षण खनि अभियंता (सतर्कता) जयपुर, अधीक्षण भूवैज्ञानिक जयपुर, खनि अभियंताः अजमेर, जयपुर, सीकर, मकराना; खनि अभियंता (सतर्कता) सीकर, सहायक खनि अभियंताः नीमकाथाना, टोंक, दौसा, कोटपुतली, अजमेर, जयपुर, सीकर, मकराना, सहायक खनि अभियंता (सतर्कता): नीम का थाना, टोंक एवं कोटपुतली।

[13] कोविड-19 महामारी के कारण जयपुर के आसपास स्थित इकाईयों का लेखापरीक्षा के लिये चयन किया गया।

[14] कुल 18463 प्रकरणः 2,786 खनन पट्टे, 61 अधिशुल्क संग्रहण ठेके/अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेके, 720 खदान अनुज्ञप्ति, 8,737 खनिज के अवैध खनन/परिवहन के प्रकरण, 451 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत वसूली के प्रकरण, 1,773 राजस्व निर्धारण के प्रकरण, रिफंड का एक प्रकरण, 1,237 बकाया के प्रकरण एवं 2,697 अल्पावधि अनुज्ञापत्र।

[15] कुल 9531 प्रकरणों का चयन कर जांच की गयीः 672 खनन पट्टे, 60 अधिशुल्क संग्रहण ठेके/अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेके, 76 खदान अनुज्ञप्ति, 6,255 खनिज के अवैध खनन/परिवहन के प्रकरण, 240 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत वसूली के प्रकरण, 329 राजस्व निर्धारण के प्रकरण, रिफंड का एक प्रकरण, 475 बकाया के प्रकरण एवं 1,423 अल्पावधि अनुज्ञापत्र।

₹ 480.95 करोड़ की कमियां पायी गयी। इसके अतिरिक्त "अल्पावधि अनुज्ञापत्रों के प्रशासन" पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा की गयी, जिसमें ₹ 13.01 करोड़ की अनियमितताएं पायी गयी। लेखापरीक्षा ने पूर्ववर्ती वर्षों में भी समान त्रुटियां ध्यान में लाई थी परन्तु ये अनियमितताऐं बनी रही तथा अगली लेखा परीक्षा किये जाने तक इनकी पहचान भी नहीं हो पाई थी। लेखापरीक्षा में पायी गयी त्रुटियों, कमियों और अन्य सम्बन्धित मुद्दों के सारभूत अनुपात ने इंगित किया कि सरकार को आंतरिक लेखापरीक्षा को मजबूत करने सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता थी ताकि ऐसी त्रुटियों को गठित होने/पुनरावृत्ति से बचा जा सके। वर्ष 2020-21 के दौरान, विभाग ने 1,027 प्रकरणों में ₹ 339.62 करोड़ के राजस्व की कम वसूली को स्वीकार किया, जिसमें से 801 प्रकरण जिनमें राशि ₹ 331.31 करोड़ निहित थी, वर्ष 2020-21 के एवं शेष पूर्व वर्षों की लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये। विभाग ने पिछले वर्षों से संबंधित 209 प्रकरणों में ₹ 1.03 करोड़ वसूल किये। "अल्पावधि अनुज्ञापत्रों का प्रशासन" पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा और कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों जिनमें राशि ₹ 14.17 करोड़ अन्तर्निहित हैं पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

2.7 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों का प्रशासन

खनन पट्टे और खदान अनुज्ञप्तियों से खनिजों के खनन एवं बिक्री की अनुमति दी जाती है जबकि अल्पावधि अनुज्ञापत्रों (एसटीपी) के द्वारा सरकारी, अर्द्धशासकीय, स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थान या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त या वित्त पोषित संगठन आदि के कार्यों के निष्पादन के लिए निर्दिष्ट अवधि के भीतर, निर्दिष्ट क्षेत्र से खनिज की निर्दिष्ट मात्रा का उत्खनन/निर्गमन के लिए अनुमति दी जाती है। अप्रैल 2018 से मार्च 2021 तक की अवधि के लिए अल्पावधि अनुज्ञापत्रों का प्रशासन एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा की गई। लेखापरीक्षा में विभिन्न अनियमितताएं ध्यान में आईं जैसे कि आवेदन ऑनलाईन जमा करने के निर्देशों के बावजूद अल्पावधि अनुज्ञापत्र अनुदान के लिये ऑफलाईन आवेदन प्राप्त होना, नमूना जांच किये गये किसी भी कार्यालय द्वारा ई-अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी नहीं किया जाना, आवेदनों की अपर्याप्त जांच के कारण पूरा विवरण भरे बिना या खाली आवेदनों पर अल्पावधि अनुज्ञापत्रा जारी करना, अल्पावधि अनुज्ञापत्र धारकों द्वारा ऑनलाईन विवरणी जमा नहीं करना, रॉयल्टी जमा किए बिना अनियमित रूप से अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी किया जाना और अल्पावधि अनुज्ञापत्र धारकों द्वारा अल्पावधि अनुज्ञापत्र के निर्धारण के लिए अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाना। तत्परतापूर्वक मूल्यांकन नहीं करने के परिणामस्वरूप अवैध रूप से उपभोग किये गये खनिज कीमत की मांग कायम नहीं हो सकी। विभागों के बीच समन्वय की कमी के परिणामस्वरूप कई अनियमितताएं हुईं, जिनमें अनाधिकृत खनिज का उपयोग, रॉयल्टी और अन्य बकाया की कम वसूली/अवसूली शामिल हैं।

2.7.1 परिचय

राज्य सरकार ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 15 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खदान अनुज्ञप्तियों, खनन पट्टों और अन्य अप्रधान खनिज रियायतों के अनुदान को विनियमित करने के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 (आरएमएमसी नियम, 2017) बनाये।

खनिजों को एक वैध खनन पट्टा/खदान अनुज्ञप्ति या खान एवं भू विज्ञान विभाग (विभाग) द्वारा जारी एक वैध अल्पावधि अनुज्ञापत्र के माध्यम से उत्खनित और हटाये जा सकते हैं। खनन पट्टा/खदान अनुज्ञप्ति, आवेदकों को खनिजों के उत्खनन एवं विक्रय हेतु अनुदानित की जाती हैं, जबकि अल्पावधि अनुज्ञापत्र का अर्थ सरकारी, अर्द्धशासकीय, स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थान या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त या वित्त पोषित संगठन आदि के कार्यों के निष्पादन के लिए निर्दिष्ट अवधि[16] के भीतर, निर्दिष्ट क्षेत्र से, खनिज की निर्दिष्ट मात्रा के उत्खनन एवं हटाये जाने हेतु प्रदान किया जाने वाला अनुज्ञापत्र से है।

विभाग का वेब आधारित प्रोग्राम

विभाग ने अल्पावधि अनुज्ञापत्र/खनन पट्टों के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने, लगभग सभी सरकारी बकाया राशि जमा करने, ऑनलाइन ई-रवन्ना/ई-ट्रांजिट पास बनाने, मांग और संग्रहण पंजिका के संधारण, जारी किए गए अनुज्ञापत्र/अल्पावधि अनुज्ञापत्र का डाटा, जमा की गई राशि और तुला-यंत्रों का पैनल बनाने के लिये 'खान एवं भू विज्ञान विभाग ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली' (डीएमजीओएमएस) नामक एक वेब-आधारित प्रोग्राम विकसित किया था। यह प्रणाली 10 अक्टूबर 2017 से कार्य कर रही है।

2.7.2 अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी करने प्रक्रिया

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार अल्पावधि अनुज्ञापत्र के अनुदान के लिए प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं।

1. अधिशुल्क के भुगतान का विकल्प

कार्य के निष्पादन में खनिज के उपभोग के लिए अधिशुल्क का भुगतान करने के लिए ठेकेदार निम्नलिखित विकल्पों में से कोई भी विकल्प चुन सकता है :-

(i) संबंधित निर्माण विभाग[17] द्वारा रनिंग बिलों से अधिशुल्क की कटौती,

(ii) अल्पावधि अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन के साथ अधिशुल्क का अग्रिम भुगतान,

(iii) खरीदे गये या उपयोग किये गये खनिज की संपूर्ण मात्रा अधिशुल्क भुगतान की हुई काम में ली जावेगी, ऐसा अभिवचन करेगा।

[16] राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 51(7) के अनुसार अल्पावधि अनुज्ञापत्र की कालावधि कार्य आदेश की अवधि के बराबर होगी जब तक कि कम अवधि के लिये आवेदन न किया गया हो।

[17] निर्माण विभाग जैसे की सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिंचाई विभाग, नगर सुधार न्यास आदि।

(iv) संबंधित निर्माण विभाग द्वारा रनिंग बिलों से निर्दिष्ट दरों[18] पर अधिशुल्क की कटौती।

ठेकेदार अधिशुल्क निर्धारण के लिए अभिलेख प्रस्तुत करेगा और उपरोक्त विकल्प (iv) के अलावा प्रत्येक विकल्प में संबंधित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा।

2. आवेदन प्रस्तुत करना

अल्पावधि अनुज्ञापत्र के अनुदान के लिए ठेकेदार द्वारा संबंधित खनि अभियन्ता या सहायक खनि अभियन्ता को खनिजों की मात्रा और उस अवधि का उल्लेख करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके लिए अनुज्ञापत्र की आवश्यकता है। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों की प्रति कार्य आदेश, अनुसूची-जी[19] या मात्रा का बिल, उस क्षेत्र का विवरण और योजना जहां से खनिज की खुदाई की जाएगी, क्षेत्र का राजस्व अभिलेख, भूमि आवेदक की नहीं होने पर *खातेदार*[20] की सहमति हैं। अक्टूबर 2018 से इसे डीएमजीओएमएस प्रणाली पर ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

3. अल्पावधि अनुज्ञापत्रों को जारी करना

आवेदन प्राप्त होने पर, संबंधित खनि अभियन्ता या सहायक खनि अभियन्ता नियमों के तहत आवश्यक मंजूरी या अनुमोदन जैसे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालन की सहमति या पर्यावरण विभाग से पर्यावरण स्वीकृति आदि प्राप्त होने के बाद अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी कर सकता है।

तथापि, संबंधित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता लिखित कारणों के साथ, किसी भी क्षेत्र में किसी भी खनिज के लिए अल्पावधि अनुज्ञापत्र देने से इनकार कर सकेगा और इसकी सूचना आवेदक को दी जायेगी। अल्पावधि अनुज्ञापत्र की अवधि कार्य आदेश की अवधि के समान होगी जब तक कि कम अवधि के लिए आवेदन नहीं किया गया हो। खनिजों पर अधिशुल्क, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमों के अनुसार देय होगा। अधिशुल्क के अलावा, अल्पावधि अनुज्ञापत्र धारक को संबंधित नियमों में निर्दिष्ट दरों के अनुसार जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास (डीएमएफटी) और राजस्थान राज्य अन्वेषण न्यास (आरएसएमईटी) निधि में भी योगदान देना होगा।

जब ठेकेदार क्रम संख्या 1(i) से (iii) में उल्लेखित अधिशुल्क के भुगतान के लिए किसी भी विकल्प को चुनता है, तो अल्पावधि अनुज्ञापत्र धारक/ठेकेदार, निर्माण विभाग द्वारा जारी उपभोग प्रमाण पत्र के साथ संबंधित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता को अधिशुल्क निर्धारण के लिये अभिलेख प्रस्तुत करेगा। अधिशुल्क निर्धारण के बाद, संबंधित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता अल्पावधि अनुज्ञापत्र धारक/ठेकेदार को अदेयता प्रमाण पत्र जारी करेगा। निर्माण विभाग अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद अंतिम बिल का भुगतान

[18] सड़क निर्माण/चौड़ाईकरण, भवन निर्माण के मामले में कार्य की कुल लागत का तीन प्रतिशत तथा मरम्मत और अन्य कार्यों के मामले में डेढ प्रतिशत है।

[19] यह संविदा दस्तावेज में शामिल मात्राओं और मूल्यों की एक अनुसूची है।

[20] *खातेदार* सरकारी भूमि पर किरायेदार होते है, जिन्हें कृषि प्रयोजन के लिये भूमि दी जाती है।

करेगा। तथापि, क्रम संख्या 1(iv) विकल्प के मामले में स्थान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा किसी निर्धारण की आवश्यकता नहीं होगी और अधिशुल्क की कटौती संबंधित निर्माण विभाग द्वारा रनिंग बिलों से की जायेगी।

2.7.3 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों से राजस्व

पिछले चार वर्षों में, अल्पावधि अनुज्ञापत्रों से राजस्व संग्रहण एवं विभाग के कुल राजस्व संग्रहण पेट्रोलियम के अलावा का प्रतिशत नीचे **तालिका 2.10** में दिया गया है:

तालिका 2.10: अल्पावधि अनुज्ञापत्रों से राजस्व

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पेट्रोलियम के अलावा कुल राजस्व	अल्पावधि अनुज्ञापत्रों से राजस्व	कुल राजस्व का प्रतिशत
2018-19	5,110.40	98.95	1.94
2019-20	4,347.20	88.93	2.05
2020-21	4,797.22	100.20	2.09

स्रोतः विभागीय वेब-आधारित प्रणाली डीएमजीओएमएस।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अल्पावधि अनुज्ञापत्रों से राजस्व 2018-19 में ₹ 98.95 करोड़ से घटकर 2019-20 में ₹ 88.93 करोड़ रह गया और 2020-21 में फिर से बढकर ₹ 100.20 करोड़ हो गया। तथापि, कुल राजस्व में अल्पावधि अनुज्ञापत्रों से प्राप्ति का प्रतिशत राजस्व हिस्से में बढोतरी की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

2.7.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा यह जांच करने के लिये की गयी थी कि क्या:

- अल्पावधि अनुज्ञापत्र विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, प्रक्रियाओं, आदेशों के अनुसरण में जारी किये जा रहे थे, तथा
- शुल्क/अधिशुल्क निर्धारित दरों के अनुसार संग्रहित और समय पर जमा किये गये थे।

2.7.5 कार्य क्षेत्र और कार्य प्रणाली

विभाग में नौ वृत्त कार्यालय तथा 49 स्थानि अभियन्ता/सहायक स्थानि अभियन्ता कार्यालय हैं। नौ स्थानि अभियन्ता/सहायक स्थानि अभियन्ता कार्यालयों[21] (प्रत्येक वृत्त से एक कार्यालय) का लेखापरीक्षा हेतु चयन इंटरएक्टिव डाटा एक्सट्रैक्शन एनालिसिस (आईडिया) के माध्यम से यादृच्छिक (रेण्डम) प्रणाली से किया गया। निर्माण विभागों[22]/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)/स्थानीय निकायों[23] से संकलित सूचनाओं की संबंधित

[21] नौ चयनित स्थानि अभियन्ता/सहायक स्थानि अभियन्ता कार्यालय अजमेर, अलवर, आमेट, बालेसर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा तथा बीकानेर।

[22] निर्माण विभाग अर्थात् सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिंचाई विभाग, आदि।

[23] पंचायती राज विभाग, शहरी स्थानीय निकाय और नगरीय सुधार न्यास आदि।

स्नि अभियन्ता/सहायक स्नि अभियन्ता कार्यालयों के अभिलेखों से जांच की गई। अप्रैल 2018 से मार्च 2021 की अवधि में जारी अल्पावधि अनुज्ञापत्र और अन्य संबंधित अभिलेखों की जून और नवंबर 2021 के बीच नमूना जांच की गई। 9,250 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों में से 717 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों के अभिलेखों की नमूना जांच की गयी। इन अल्पावधि अनुज्ञापत्रों[24] का चयन आईडिया सॉफ्टवेयर से रेण्डम सेम्पलिंग के आधार पर किया गया।

लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2022)। सरकार का उत्तर मार्च 2022 और जून 2022 में प्राप्त हुआ। उत्तरों को संबंधित अनुच्छेदों में उचित रूप से शामिल किया गया है। निदेशक और विभागीय अधिकारियों के साथ 21 सितंबर 2022 को एक समापन परिचर्चा आयोजित की गयी। निदेशक, स्नान एवं भूविज्ञान ने निष्कर्षों को स्वीकार किया।

लेखापरीक्षा परिणाम

लेखापरीक्षा उद्देश्य 1: क्या अल्पावधि अनुज्ञापत्र विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, प्रक्रियाओं और आदेशों के अनुसरण में जारी किये जा रहे थे।

इस लेखापरीक्षा उद्देश्य के अंतर्गत यह देखा गया कि अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी करते समय नियमों, प्रक्रियाओं और आदेशों की पूर्णतया पालना नहीं की जा रही थी। अल्पावधि अनुज्ञापत्र, आवेदकों द्वारा प्रस्तुत अपूर्ण शपथ पत्रों के आधार पर जारी किये गये थे और कुछ प्रकरणों में उन्हें खाली आवेदन पत्रों पर भी जारी किया गया था। स्नि अभियंताओं द्वारा अल्पावधि अनुज्ञापत्र पंजिका का संधारण नहीं किया गया था, इन पंजिकाओं के अभाव में ठेकेदारों का विवरण और उनके द्वारा प्रस्तुत अधिशुल्क भुगतान के विकल्प कार्यालयों में उपलब्ध नहीं थे। जिससे उत्तरदायी ठेकेदारों से अधिशुल्क की वसूली सुनिश्चित करने में इन कार्यालयों हेतु कठिनाई उत्पन्न हुई। इनके अलावा, अल्पावधि अनुज्ञापत्रों के अधिशुल्क निर्धारण की उचित निगरानी भी नहीं हुई। अधिशुल्क निर्धारण के लिये अभिलेख प्रस्तुत नहीं करना और ऑनलाईन विवरणी जमा नहीं करने जैसी अनियमितताएं भी देखी गयी। इन बिन्दुओं पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में विस्तार से चर्चा की गयी है।

2.7.6 अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी करना

2.7.6.1 ऑनलाइन प्रणाली से अल्पावधि अनुज्ञापत्र आवेदनों की प्राप्ति और निपटान

निदेशक, स्नान एवं भूविज्ञान के आदेश दिनांक 05 अक्टूबर 2018 तथा 10 दिसंबर 2018 के अनुसार अल्पावधि अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे और ठेकेदारों को ऑनलाइन अल्पावधि अनुज्ञापत्र (*ई-एसटीपी*) जारी किये जावेंगे। तदनुसार, अल्पावधि अनुज्ञापत्र के लिए स्नियों का निर्गमन केवल ई-रवन्नाओं के माध्यम से ही किया जाएगा।

[24] प्रत्येक चयनित कार्यालय में से 75 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों का चयन किया गया। इनके अतिरिक्त, 42 अनुज्ञापत्रों को भी जोखिम के आधार पर सहायक स्नि अभियन्ता, बालेसर में चुना गया।

चयनित स्नि अभियन्ता/सहायक स्नि अभियन्ता कार्यालयों में अल्पावधि अनुज्ञापत्रों के लिए प्राप्त आवेदनों के ऑनलाइन और ऑफलाइन अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान पाया गया कि:

- स्नि अभियंता बांसवाड़ा में, अल्पावधि अनुज्ञापत्र के लिए 550 आवेदनों में से 491 (89 प्रतिशत से अधिक) भौतिक रूप में प्राप्त हुए।
- स्नि अभियंता अजमेर और स्नि अभियंता बारां कार्यालयों में डीएमजीओएमएस के माध्यम से 1,140 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुये। तथापि, कार्यालयों द्वारा केवल 931 आवेदनों पर कार्यवाही (अप्रैल 2018 से मार्च 2021) की गई। निस्तारित आवेदनों को मैनुअल पंजिका में दर्ज किया गया। शेष 209 आवेदनों को न तो मैनुअल पंजिका में दर्ज किया गया और न ही कार्यालयों द्वारा उन पर कार्यवाही की गयी। इन आवेदनों को या तो अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी कर या आवेदनों को कारण सहित स्वारिज करते हुए निस्तारण किया जाना चाहिए था। जबकि, ऐसा नहीं किया गया।
- इसके अलावा, नौ चयनित कार्यालयों में से किसी ने भी *ई-एसटीपी* जारी नहीं की।

इस प्रकार, निदेशक, स्वान एवं भूविज्ञान के आदेश की पालना नहीं की गयी जिसके परिणामस्वरूप आवेदन प्राप्त होने की तिथि और *ई-एसटीपी* जारी करने के संबंध में पारदर्शिता की कमी हुई।

सरकार ने प्रत्युत्तर दिया (मई 2022) कि क्षेत्र का निरीक्षण और अन्य प्रक्रियाओं के कारण *ई-एसटीपी* की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाईन मोड के माध्यम से पूरा किया जाना संभव नहीं था। तथापि, अनुज्ञापत्र जारी होने के बाद आवेदकों को डीएमजीओएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा और इस संबंध में निर्देश जारी किये जायेंगे। सरकार का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जो प्रक्रियाएं ऑनलाईन नहीं की जा सकीं, उन्हें कम से कम भौतिक रूप से किया जा सकता था और फिर सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ *ई-एसटीपी* जारी की जा सकती थी। इसके आगे, लेखापरीक्षा द्वारा बाद में पुनः जांच किये जाने पर पाया कि निदेशक, स्वान एवं भूविज्ञान द्वारा जारी निर्देशों का अभी तक (जनवरी 2024) पालन नहीं किया जा रहा था।

2.7.6.2 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों के लिए प्रस्तुत आवेदनों में पाई गई कमियां

- **अल्पावधि अनुज्ञापत्र धारकों द्वारा अपूर्ण शपथ पत्र प्रस्तुत करना।**

राजस्थान अप्रधान स्वनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 51(9)(iv) में कहा गया है कि निर्माण ठेकेदार को मात्रा के बिल या अनुसूची-जी और एक स्व-प्रमाणित वचनपत्र के साथ एक विकल्प प्रस्तुत करना आवश्यक होगा जिसमें कहा गया हो कि उपयोग की गई स्वनिज की संपूर्ण मात्रा पर अधिशुल्क का भुगतान किया जाएगा।

चयनित स्नि अभियंता कार्यालयों के अभिलेखों का परीक्षण करने पर दो कार्यालयों में निम्नलिखित कमियां प्रकट हुईः

खनि अभियंता, बांसवाड़ा

कुल 762 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों में से 75 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों की नमूना जांच की गई। यह देखा गया कि 38 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों के अभिलेखों में राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 51(9)(iv) के तहत अपेक्षित स्व-प्रमाणित वचनपत्र नहीं पाये गये।

खनि अभियंता, अजमेर

कुल 870 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों में से 75 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों की नमूना जांच की गई। आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए चार वचनपत्रों में अनियमितताएं देखी गईं, अर्थात् ओवरराइटिंग (एक प्रकरण), गलत कार्य आदेश संख्या का उल्लेख किया गया (एक प्रकरण), आवेदक के हस्ताक्षर नहीं मिले (एक प्रकरण) और कार्यादेश संख्या का उल्लेख नहीं किया गया (एक प्रकरण)। खनि अभियंता अजमेर ने इन कमियों को नजरंदाज करते हुए आवेदकों को अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी कर दिये। उपरोक्त कमियां दर्शाती हैं कि वचनपत्र की जांच और अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी करने के दौरान यथोचित उद्यम नहीं किया गया।

सरकार ने खनि अभियंता, बांसवाड़ा के संबंध में उत्तर दिया (मई 2022) कि भविष्य में आवेदनों के साथ स्वप्रमाणित वचनपत्र लिये जायेंगे। खनि अभियंता, अजमेर के संबंध में यह उत्तर दिया कि अभ्युक्तियों की अनुपालना प्रस्तुत करने हेतु निर्देश जारी किये गये।

- **रिक्त आवेदन पत्रों पर अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी करना**

खनि अभियंता बांसवाड़ा द्वारा 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान जारी कुल 762 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों में से चयनित 75 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों की जांच से ध्यान में आया कि तीन मामलों में, ठेकेदारों द्वारा रिक्त आवेदन पत्र जमा किए गए थे। एक अन्य मामले में आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं थे। तथापि, खनि अभियंता बांसवाड़ा ने इन सभी तीनों प्रकरणों में नियमों में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन किये बिना अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी कर दिये।

सरकार ने उत्तर दिया (मई 2022) कि ये आवेदन पत्र अब पूरे भरे जा चुके हैं। उत्तर से स्पष्ट है कि रिक्त/अहस्ताक्षरित आवेदनों पर अल्पावधि अनुज्ञापत्र स्वीकृत करते समय खनि अभियंता कार्यालय ने लापरवाही बरती। दोषी कार्मिकों की जिम्मेदारी तय कर उन पर उचित कार्यवाही की जाये।

सिफारिश 1: विभाग आवेदनों के ऑनलाईन निपटान तथा संलग्न दस्तावेजों की जांच के लिये एक ऑनलाईन चैक लिस्ट प्रदान करने पर विचार कर सकता है, इससे दक्षता, पारदर्शिता और दस्तावेजीकरण में सुधार के साथ ही निगरानी में भी सहायता होगी। रिक्त/अहस्ताक्षरित आवेदन स्वीकार करने में गलती करने वाले कार्मिकों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिये।

2.7.7 अल्पावधि अनुज्ञापत्र पंजिकाओं का संधारण नहीं करना

विभागीय मैनुअल के अनुसार, प्रत्येक खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता कार्यालय द्वारा एक पंजिका का संधारण किया जाना था जिसमें अल्पावधि अनुज्ञापत्र का विवरण होना चाहिए था।

इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 15 नवम्बर 2011 के अनुसार संबंधित निर्माण विभाग द्वारा कार्यादेश तथा कार्य की अनुसूची-जी[25] की एक प्रति कार्य के निष्पादन के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले खनिजों (घन मीटर या मीट्रिक टन) के विवरण सहित क्षेत्राधिकार रखने वाले खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता को प्रस्तुत करनी थी। संबंधित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता को यह सुनिश्चित करना था कि ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत विकल्प के अनुसार निर्माण विभाग अधिशुल्क की वसूली करता है।

चयनित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता कार्यालयों के अभिलेखों की जांच से पता चला कि:

- दो खनि अभियंता कार्यालयों[26] ने 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान वांछित पंजिका का संधारण नहीं किया तथा
- खनि अभियंता अलवर ने यद्यपि नियम 51(9)(ii) के तहत जारी अल्पावधि अनुज्ञापत्रों के लिए एक पंजिका संधारित की थी जो कि रायल्टी के अग्रिम भुगतान से सम्बद्ध थी, लेकिन अन्य अल्पावधि अनुज्ञापत्रों[27] के लिए कोई पंजिका संधारित नहीं की गयी थी।
- इस प्रकार, इन तीन कार्यालयों द्वारा जारी किए गए 2,504 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों[28] (कार्यालयों द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सूचना) की निगरानी निर्देशित पंजिका के माध्यम से नहीं की गयी।

पंजिकाओं के अभाव में, सभी उत्तरदायी ठेकेदारों से अधिशुल्क की वसूली सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदारों के विवरण और उनके द्वारा प्रस्तुत अधिशुल्क भुगतान के विकल्प इन कार्यालयों में उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा, अल्पावधि अनुज्ञापत्रों के अधिशुल्क निर्धारण की निगरानी भी नहीं की गई।

सरकार ने उत्तर दिया (मई 2022) कि इन अल्पावधि अनुज्ञापत्रों की प्रोफाइल/पंजिका बनाने के लिए डीएमजीओएमएस में पर्याप्त प्रावधान थे। यह भी कहा गया कि संबंधित कार्यालयों द्वारा अल्पावधि अनुज्ञापत्र प्रोफाइल/पंजिका को अद्यतन किया जा रहा था।

इसलिये उत्तर और भी स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि संबंधित कार्यालय प्रोफाइल/पंजिका को उचित रूप से अद्यतन नहीं कर रहे थे, जबकि इसके लिए प्रावधान मौजूद थे। ऑनलाइन

[25] यह संविदा दस्तावेज में शामिल मात्रा और मूल्यों की एक अनुसूची हैं।

[26] खनि अभियंता : बांसवाड़ा और बीकानेर।

[27] अन्य अल्पावधि अनुज्ञापत्र : नियम 51(9)(i, iii और iv) के तहत जारी अल्पावधि अनुज्ञापत्र।

[28] अल्पावधि अनुज्ञापत्र-2,504: खनि अभियंता अलवर-886, खनि अभियंता बांसवाड़ा-550 एवं खनि अभियंता बीकानेर-1068।

पंजिका में महत्वपूर्ण जानकारियों का अभाव है, जैसे न्यास निधि के लिए अंशदान, अल्पावधि अनुज्ञापत्र शुल्क, कार्य में आवश्यक एवं प्रयुक्त स्वनिज की मात्रा, अदेयता प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि और अंतिम बिल के भुगतान की तिथि आदि। इस प्रकार, भले ही इस पंजिका का उपयोग किया गया हो, लेकिन राज्य/विभाग, ठेकेदार द्वारा सभी संदायों का भुगतान किया गया है या नहीं का पालन करने और निगरानी करने की स्थिति में नहीं था।

इसी तरह का प्रकरण 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के अनुच्छेद 7.4.4.1 के माध्यम से विभाग के ध्यान में लाया गया था। तथापि, विभाग आज तक एक प्रभावी तंत्र विकसित करने में विफल रहा है (जनवरी 2024)।

सिफारिश 2: विभाग अधिशुल्क/फीस आदि का भुगतान न करने वालों की पहचान करने के किए ऑनलाईन प्रणाली में प्रभावी जांच शुरू करने पर विचार कर सकता है और दोषी कार्मिकों पर जिम्मेदारी तय की जानी चाहिये।

2.7.8 अल्पावधि अनुज्ञापत्र धारकों द्वारा अभिलेख प्रस्तुत करना

राजस्थान अप्रधान स्वनिज रियायत नियम 2017 के नियम 51(9) के अनुसार, ठेकेदार को प्रत्येक मामले में अधिशुल्क निर्धारण के लिए अभिलेख जमा कराने होगें सिवाय इसके कि जब अल्पावधि अनुज्ञापत्र उप नियम (9)(iv) के तहत जारी किया गया हो।

इसके अलावा, राजस्थान अप्रधान स्वनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 2(iv) के अनुसार निर्धारण अधिकारी का अर्थ है स्वनि अभियंता, सहायक स्वनि अभियंता या राज्य सरकार द्वारा निर्धारण करने के लिये अधिकृत कोई अन्य अधिकारी।

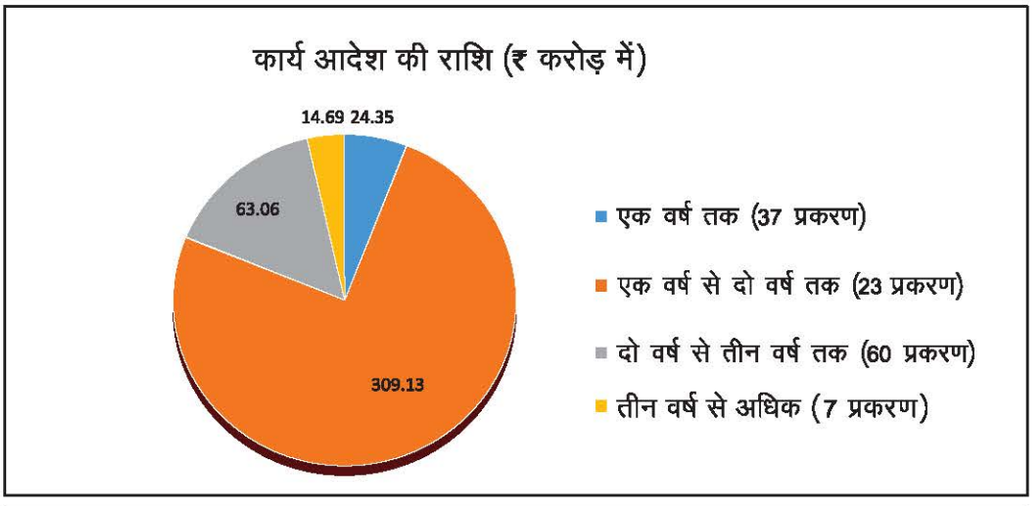
2.7.8.1 निर्धारण के लिए अभिलेख प्रस्तुत न करना

चयनित स्वनि अभियंता/सहायक स्वनि अभियंता कार्यालयों द्वारा जारी किए गए 6,784 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों में से 492 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों के अभिलेखों की जांच से पता चला कि 127 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों से संबंधित कुल राशि ₹ 411.23 करोड़ मूल्य के कार्य थे जिन्हें अप्रैल 2018 और मार्च 2021 के बीच पूर्ण किया जाना था, जैसा कि कार्य आदेशों में दर्शाया है। लेकिन, अल्पावधि अनुज्ञापत्र धारक निर्धारित कार्य पूर्णता तिथि से दो से 40 महीने के विलम्ब के पश्चात् भी अधिशुल्क निर्धारण के लिए अभिलेख प्रस्तुत करने में विफल रहे, जैसा कि नीचे **तालिका 2.11** में दर्शाया गया है:

तालिका–2.11: निर्धारण हेतु अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जाने का विवरण

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	नमूना जांच किये गये अल्पावधि अनुज्ञापत्र	अभिलेख प्रस्तुत न करना (अल्पावधि अनुज्ञापत्र संख्या)	कार्य पूर्ण होने की निधारित तिथि के बाद का समय (माह में)	कार्यादेशों की राशि (₹ करोड़ में)
1	खनि अभियंता अजमेर	50	5	2 से 28	5.24
2	खनि अभियंता आमेट	50	8	4 से 28	4.80
3	खनि अभियंता बीकानेर	50	29	5 से 38	250.86
4	खनि अभियंता भरतपुर	50	22	5 से 35	49.89
5	खनि अभियंता भीलवाड़ा	50	18	8 से 40	4.46
6	सहायक खनि अभियंता बालेसर	92	16	2 से 38	2.72
7	खनि अभियंता बांसवाड़ा	50	10	9 से 35	22.00
8	सहायक खनि अभियंता बारां	50	18	10 से 37	71.07
9	खनि अभियंता अलवर	50	1	10	0.19
	योग	**492**	**127**	**2 से 40**	**411.23**

स्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा संकलित।



चित्र 1: अल्पावधि अनुज्ञापत्र जिनके लिए अधिशुल्क निर्धारण के लिए अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गये का सचित्र निरूपण।

विभाग, 23 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों में अधिशुल्क निर्धारण के लिए अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण कुल ₹ 309.13 करोड़ के कार्यों में, अधिशुल्क और डीएमएफटी अंशदान का उचित मूल्यांकन करने में विफल रहा तथा एक से दो वर्ष के बाद भी सही राशि की वसूली से अनभिज्ञ रहा।

सरकार ने प्रत्युत्तर दिया (मई 2022) कि अधिशुल्क निर्धारण हेतु अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर नोटिस जारी किये जा रहे हैं। सात अल्पावधि अनुज्ञापत्रों का अधिशुल्क निर्धारण हो चुका

है। लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अनुपालन के लिए संबंधित कार्यालयों को निर्देश भी जारी किए गए थे।

2.7.8.2 अधिशुल्क निर्धारण के लिए ऑनलाईन विवरणी जमा न करना

निदेशक, खान एवं भूविज्ञान ने प्रभावी निगरानी हेतु अल्पावधि अनुज्ञापत्रों के लिए आवेदन ऑनलाइन जमा करने और डीएमजीओएमएस पर अल्पावधि अनुज्ञापत्र का विवरण अपलोड करने के आदेश जारी किये (10 दिसंबर 2018)। इसके अलावा, अल्पावधि अनुज्ञापत्र धारकों को अधिशुल्क निर्धारण के लिए ऑनलाइन विवरणी जमा करना आवश्यक था। हालांकि, अल्पावधि अनुज्ञापत्र के ऑनलाइन विवरणी प्रस्तुत न करने के लिए कोई शास्ति का प्रावधान निर्धारित नहीं किया गया था।

चयनित कार्यालयों में 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान 2,466 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों का अधिशुल्क निर्धारण किया गया था, जिनमें से 225 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों को लेखापरीक्षा जांच के लिए चयन किया गया। डीएमजीओएमएस पर उपलब्ध सूचनाओं के विश्लेषण से पता चला कि अल्पावधि अनुज्ञापत्र धारकों द्वारा अधिशुल्क निर्धारण के लिए ऑनलाइन विवरणी प्रस्तुत नहीं की गयी। संबंधित अधिकारियों ने भी ई-विवरणी जमा करना सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की, क्योंकि शास्ति आरोपण हेतु कोई प्रावधान नहीं थे।

ई-विवरणी के अभाव में, संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता ऑनलाइन पोर्टल अर्थात् डीएमजीओएमएस के माध्यम से खनिजों की खपत और अधिशुल्क वसूली की निगरानी करने में सक्षम नहीं थे। परिणामस्वरूप ऑनलाइन पोर्टल अपने वांछित उद्देश्यों को पूरी तरह से प्राप्त करने में विफल रहा।

सरकार ने उत्तर दिया (मई 2022) कि ऑनलाइन विवरणी जमा करने के लिए नियमों में कोई प्रावधान नहीं थे। तथापि, निदेशक, खान एवं भूविज्ञान द्वारा विवरणी जमा करने के लिए डीएमजीओएमएस में उपयुक्त व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए गए थे। यद्यपि वास्तविकता यह है कि नियमों में ऑनलाइन विवरणी जमा करने का प्रावधान अभी भी लंबित हैं (जनवरी 2024)।

सिफारिश 3: राज्य सरकार अल्पावधि अनुज्ञापत्र धारकों द्वारा ऑनलाइन विवरणी जमा करने के लिये नियमों में प्रावधान जोड़ने और विवरणी जमा न करने पर शास्ति का प्रावधान करने पर विचार कर सकती है। अल्पावधि अनुज्ञापत्रों का विवरण ऑनलाइन करने से पारदर्शिता रहेगी तथा यह राजस्व के रिसाव के खिलाफ निवारक भूमिका भी निभाएगा।

लेखापरीक्षा उद्देश्य 2: क्या फीस/अधिशुल्क निर्धारित दरों के अनुसार संग्रहित की गई तथा समय पर जमा की गई।

इस लेखापरीक्षा उद्देश्य के अंतर्गत यह देखा गया कि आवेदकों ने अधिशुल्क और डीएमएफटी अंशदान की राशि ₹ 13.20 करोड़ अग्रिम जमा नहीं कराई थी लेकिन उन्हें अल्पावधि

अनुज्ञापत्र जारी किये गये। अल्पावधि अनुज्ञापत्रों के दोषपूर्ण अधिशुल्क निर्धारण होने के परिणामस्वरूप राशि ₹ 0.72 करोड़ की वसूली नहीं हुई। इसके अतिरिक्त, अन्य सरकारी विभागों के साथ समन्वय की कमी के कारण वैध अल्पावधि अनुज्ञापत्रों के बिना ही कार्यों का निष्पादन हुआ। इसके अलावा, अनुमत्य मात्रा से अधिक खनिजों के उपयोग के साथ-साथ अधिशुल्क और डीएमएफटी अंशदान की अवसूली या कम वसूली के उदाहरण भी चिह्नित किये गये। पंचायत समितियों द्वारा खनिजों की खरीद में भी अनियमिततायें पायी गयी। इन अभ्युक्तियों पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में विस्तार से चर्चा की गयी है।

2.7.9 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों का निर्धारण तथा अधिशुल्क और अन्य बकाया का संग्रहण

2.7.9.1 अधिशुल्क एवं डीएमएफटी राशि का अग्रिम भुगतान न करना

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के नियम 51(9)(ii) के अनुसार ठेकेदार आवश्यक मात्रा, परमिट शुल्क, डीएमएफटी में अंशदान और अधिशुल्क राशि के साथ अनुज्ञापत्र के लिये आवेदन करेगा। ठेकेदार को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उपभोग प्रमाण पत्र के साथ निर्धारण के लिए अभिलेख प्रस्तुत करने होगें और संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के नियम 77 में प्रावधान है कि स्थिर भाटक, अधिशुल्क, वार्षिक खदान अनुज्ञप्ति शुल्क, अधिशुल्क संग्रहण ठेके, अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका राशि तथा डीएमएफटी फंड और राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (आरएसएमईटी) फंड के लिए योगदान पर नियत तिथि से 18 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज प्रभारित किया जायेगा।

सहायक खनि अभियंता बालेसर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 117 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों में से 46 अल्पावधि अनुज्ञापत्र, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के नियम 51(9)(ii) के तहत जारी किये गये थे। नियमों के अनुसार, ठेकेदार को आवेदन के समय अधिशुल्क और डीएमएफटी फंड में योगदान की राशि अग्रिम जमा कराना आवश्यक था। तथापि, ये अल्पावधि अनुज्ञापत्र अधिशुल्क और डीएमएफटी फंड में योगदान राशि ₹ 13.20 करोड अग्रिम जमा किये बिना ही अनियमित रूप से जारी किये गये थे।

कुल 29 अल्पावधि अनुज्ञापत्र धारकों ने बाद में सम्पूर्ण अधिशुल्क राशि जमा करा दी। तथापि, शेष 17 प्रकरणों में ₹ 2.63 करोड़ जमा किये जाने बकाया थे (जुलाई 2022)। 46 प्रकरणों में से, छह प्रकरणों में सम्पूर्ण डीएमएफटी अंशदान राशि का अग्रिम भुगतान किया गया था, 24 प्रकरणों में डीएमएफटी अंशदान राशि का भुगतान देरी से किया गया और शेष 16 प्रकरणों में ₹ 0.33 करोड़ डीएमएफटी अंशदान का भुगतान किया जाना शेष था।

इस प्रकार, कुल ₹ 2.96 करोड़ अधिशुल्क और डीएमएफटी अंशदान राशि का भुगतान नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, 2018-2021 की अवधि के लिये अधिशुल्क और डीएमएफटी

फंड में अंशदान के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज राशि ₹ 1.87 करोड़ आरोपित अथवा वसूली नहीं की गयी।

सरकार ने उत्तर दिया (मई 2022) कि अल्पावधि अनुज्ञापत्र धारकों को ई-रवन्ना जारी करने की अनुमति देने से पहले अधिशुल्क और डीएमएफटी राशि प्राप्त की जा रही थी। यह भी उत्तर दिया गया कि ठेकेदारों और संबंधित निर्माण विभागों को अधिशुल्क, डीएमएफटी और देय ब्याज की शेष राशि 15 दिनों में जमा कराने के लिए नोटिस जारी किये गये थे। तथापि, प्रत्युत्तर इस बात पर मौन था कि इन अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन के बिना अल्पावधि अनुज्ञापत्र कैसे जारी किये गये और क्या राजस्व के नुकसान के लिए संबंधित कार्मिकों के विरूद्ध कोई कार्रवाई की जा रही थी।

2.7.9.2 त्रुटिपूर्ण निर्धारण

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 51(9)(iii) में प्रावधान है कि ठेकेदार अल्पावधि अनुज्ञापत्र के लिए स्व-प्रमाणित वचनपत्र के साथ आवेदन करेगा कि खनिज की संपूर्ण मात्रा की खरीद या उपयोग रॉयल्टी का भुगतान कर किया जाएगा और अधिशुल्क निर्धारण के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उपयोग प्रमाण पत्र के साथ अधिशुल्क भुगतान खनिजों का रिकॉर्ड प्रस्तुत करेगा और संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता से अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 48(5) और राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के नियम 54(5) के अनुसार जब भी कोई व्यक्ति बिना कानूनी प्राधिकार के किसी खनिज रियायत या किसी अन्य अनुमति के अतिरिक्त किसी भी भूमि से कोई खनिज प्राप्त करता है और जहां इस प्रकार प्राप्त खनिज का पहले ही निर्गमन या उपभोग कर लिया है, सक्षम प्राधिकारी उक्त खनिज की कीमत वसूल करेगा, जो कि देय अधिशुल्क राशि का दस गुना होगी साथ ही प्रशमन शुल्क भी देय होगा।

चयनित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों के अभिलेखों की जांच में यह पाया गया कि 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 51(9)(iii) के तहत 2,466 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों का निर्धारण किया गया था तथा सभी प्रकरणों में अदेय प्रमाण पत्र जारी किये गये थे। चयनित 225 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 38 प्रकरणों में निर्धारण यथोचित उद्यम से नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने निर्धारण के लिये ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत ई-रवन्ना/ई-ट्रांजिट पास/रॉयल्टी रसीदों में विभिन्न अनियमितताएं देखीं। इन निर्धारणों में निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का विवरण नीचे **तालिका 2.12** में दिया गया है:

तालिका 2.12: निर्धारण में पायी गयी अनियमितताओं का विवरण

क्रम संख्या	निर्धारण में पायी गयी अनियमिततायें	प्रकरणों की संख्या	मात्रा मै.टन में	राशि (₹ लाख में)
1	ट्रांजिट पासों का दोहरा समायोजन अर्थात प्रथम तथा अंतिम बिलों के साथ प्रस्तुत ट्रांजिट पासों की समान प्रतियां या विभिन्न खनिजों के लिये समान ट्रांजिट पास प्रस्तुत किये गये थे।	2	361	1.00
2	बिलों के साथ प्रस्तुत ट्रांजिट पास कार्य पूर्ण होने के पश्चात विभाग द्वारा जारी किये गये थे।	9	3,228	10.19
3	रॉयल्टी रसीदों/ट्रांजिट पासों/रवन्नाओं में अल्प अवधि अनुज्ञापत्र धारकों के नाम और कार्य के स्थान का उल्लेख नहीं किया गया था फिर भी निर्धारण के समय उन पर विचार किया गया/स्वीकार किया गया।	10	10,456	30.72
4	प्रस्तुत ट्रांजिट पास अन्य कार्यों से संबंधित थे।	1	168	0.47
5	ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्यों में प्रयुक्त खनिज की मात्रा के लिये ट्रांजिट पास/रवन्ना प्रस्तुत नहीं किया गया था। तथापि विभाग द्वारा अदेयता प्रमाण पत्र जारी किये गये।	6	7,627	21.38
6	प्रस्तुत किये गये ट्रांजिट पास कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व की दिनांक के जारी किये गये थे।	9	1,452	4.11
7	उपयोग किये गये खनिज की कम मात्रा का निर्धारण किया गया था।	1	1,620	4.54
	योग	**38**	**24,912**	**72.41**

स्रोतः संबंधित खनि अभियंताओं/सहायक खनि अभियंताओं के अभिलेखों के आधार पर संकलित सूचना।

उपरोक्त कमियों के बाद भी, संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंताओं ने इन दस्तावेजों को खनिजों के अधिशुल्क भुगतान के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया और अदेयता प्रमाण पत्र जारी किये, जिसके परिणामस्वरूप विभाग के खर्च पर ठेकेदारों को अनुचित लाभ मिला। इसके बजाय, उपभोग किये गये खनिजों को अवैध माना जाना चाहिये था तथा खनिजों की कीमत, अधिशुल्क की दस गुना राशि जो कि ₹ 72.41 लाख होती है, वसूल की जानी चाहिए थी।

सरकार ने उत्तर दिया (मई 2022) कि नोटिस जारी किये जा रहे हैं और राशि की वसूली के लिए कार्यवाही की जायेगी। तथापि, खनि अभियंता आमेट के एक प्रकरण में, यह उत्तर दिया गया कि अधिशुल्क निर्धारण खनिज उपभोग विवरण में दर्शायी मात्रा के अनुसार किया गया था। इसके अलावा, ठेकेदार द्वारा आक्षेपित की गई उपयोगित खनिज मात्रा के अधिशुल्क भुगतान के साक्ष्य भी प्रस्तुत किया गये थे, इसलिए कोई वसूली योग्य राशि लम्बित नहीं थी। खनि अभियंता आमेट के बारे में उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि क्यूबिक मीटर को मीट्रिक टन में परिवर्तित करने के लिए रूपांतरण कारक को अस्थायी उपभोग विवरण में 1.4 के रूप में लिया गया था, जबकि अंतिम उपभोग विवरण में रूपांतरण कारक को 1.1 के रूप में लिया गया था। हालांकि, खनि अभियंता ने इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए खनिज मात्रा का अधिशुल्क निर्धारण किया। आगामी प्रगति अपेक्षित है (जनवरी 2024)।

सिफारिश 4: विभाग अल्पावधि अनुज्ञापत्रों के ऑनलाइन निर्धारण के लिए एक मॉड्यूल विकसित करने पर विचार कर सकता है, जिसका उद्देश्य मैन्युअल निर्धारण से उत्पन्न होने वाले राजस्व के रिसाव को रोकना है।

सिफारिश 5: विभाग शुद्ध और त्रुटि रहित मूल्यांकन/निर्धारण सुनिश्चित करने के लिये, निर्धारण करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने पर विचार कर सकता है।

2.7.10 अन्य सरकारी विभागों के साथ समन्वय का अभाव

राजस्थान अप्रधान स्वनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 51 में ठेकेदारों के बिलों से राशि की कटौती की प्रक्रिया निर्धारित है। निर्माण विभाग, स्थानीय निकाय और अन्य संबंधित संगठन प्रत्येक रनिंग बिल पर अधिशुल्क एवं डीएमएफटी फंड और आरएसएमईटी फंड में योगदान के लिए उत्तरदायी होंगे, जहाँ ठेकेदार रनिंग बिल से अधिशुल्क एवं डीएमएफटी फंड और आरएसएमईटी फंड में योगदान का विकल्प चुनता है।

इसके अलावा, नियम 51(9)(ii) में प्रावधान है कि ठेकेदार मात्रा के बिल या अनुसूची-जी, अनुज्ञापत्र फीस, डीएमएफटी फंड में योगदान और अधिशुल्क राशि के साथ अनुज्ञापत्र के लिये आवेदन कर सकता है। ठेकेदार को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उपभोग प्रमाण पत्र के साथ अधिशुल्क निर्धारण के लिए अभिलेख प्रस्तुत करना होगा और संबंधित स्वनि अभियंता/ सहायक स्वनि अभियंता से अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

स्वान एवं भूविज्ञान विभाग को नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अन्य विभागों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय करना चाहिए ताकि स्वीकृत किये गये निर्माण कार्यों, स्वनिज के उपभोग, अधिशुल्क की कटौती, डीएमएफटी और आरएसएमईटी फंड में योगदान, स्वान विभाग द्वारा ठेकेदारों को अदेयता प्रमाण पत्र जारी किए बिना अंतिम भुगतान आदि की नियमित जानकारी प्राप्त हो सके। तथापि, विभाग द्वारा ऐसा नहीं किया गया जिनके परिणामों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

2.7.10.1 अल्पावधि अनुज्ञापत्रों के बिना निर्माण कार्यो का निष्पादन

चयनित छः निर्माण विभागों[29] द्वारा संधारित कार्य अनुबंध पंजिकाओं के विश्लेषण और इन कार्यालयों द्वारा उपलब्ध करवायी गई सूचनाओं की संवीक्षा में पाया गया कि ठेकेदारों को 4,560 कार्य आदेश जारी किए गए थे, जिनमें से 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान उनके द्वारा 3,757 कार्य निष्पादित किये गये थे। तथापि, केवल 900 निर्माण कार्यों के लिए अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी किये गये थे। इसलिए शेष 2,857 निर्माण कार्य राशि ₹ 368.81 करोड़ के अल्पावधि अनुज्ञापत्र प्राप्त किए बिना ही निष्पादित किये गये। ये कार्य

[29] जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर निगम, अजमेर विकास प्राधिकरण, जल संसाधन विभाग एवं नगर पालिका।

सड़क नवीनीकरण, पैच मरम्मत, भवनों के निर्माण आदि से संबंधित थे, जिनके निष्पादन में स्वनिजों के उपयोग की आवश्यकता थी। अल्पावधि अनुज्ञापत्र प्राप्त किये बिना कार्यों के निष्पादन का विवरण नीचे **तालिका 2.13** में दिया गया है:

तालिका-2.13: अल्पावधि अनुज्ञापत्र प्राप्त किये बिना कार्यों के निष्पादन का विवरण

क्रम संख्या	खनिज/सहायक खनि अभियंता कार्यालय का नाम	निर्माण विभागों की संख्या	कार्यादेशों के अनुसार निर्माण कार्य	निष्पादित कार्य	निर्माण कार्यों के लिये जारी अल्पावधि अनुज्ञापत्र संख्या	बिना अल्पावधि अनुज्ञापत्र के निष्पादित कार्यों की संख्या	बिना अल्पावधि अनुज्ञापत्र के निष्पादन कार्यों की राशि (₹ करोड़ में)
1	स्वनि अभियंता अजमेर	2	563	490	0	490	72.04
2	स्वनि अभियंता आमेट	3	264	217	42	175	46.28
3	स्वनि अभियंता बीकानेर	2	1,107	886	161	725	58.12
4	स्वनि अभियंता भरतपुर	2	536	316	18	298	21.15
5	स्वनि अभियंता भीलवाड़ा	4	950	765	360	405	48.85
6	स्वनि अभियंता अलवर	3	380	374	316	58	8.41
7	स्वनि अभियंता बांसवाड़ा	1	343	343	0	343	24.30
8	सहायक स्वनि अभियंता बारां	2	417	366	3	363	89.66
	योग	**19**	**4,560**	**3,757**	**900**	**2,857**	**368.81**

स्रोतः निर्माण विभागों द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर संकलित।

सरकार ने प्रत्युत्तर दिया (मई 2022) कि इन मुद्दों को दूर करने के लिए स्थान विभाग की वेबसाइट को निर्माण विभागों की वेबसाइट से जोड़ने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं (22 दिसंबर 2021)। इसके बाद निदेशक, स्थान एवं भूविज्ञान ने पिछले निर्देशों का अनुपालन कराने के लिये पुनः निर्देश जारी किये (18 नवंबर 2022)। तथापि, डीएमजीओएमएस की जांच से पता चला कि अभी तक (जनवरी 2024) ऐसा नहीं किया गया है।

वैध अल्पावधि अनुज्ञापत्र के बिना स्वनिजों के उपयोग के कुछ उदाहरणात्मक मामले नीचे दिये गये हैं:

(i) वैध अल्पावधि अनुज्ञापत्र के बिना खनिज का उपयोग

साधारण मिट्टी

तटबंधों, सड़कों, रेलवे, भवनों आदि के निर्माण में भरने या समतल करने के लिए उपयोग की जाने वाली "साधारण मिट्टी" को भारत सरकार द्वारा दिनांक 08 फरवरी 2000 को अधिसूचना के माध्यम से एक अप्रधान स्वनिज के रूप में अधिसूचित किया गया था। चूंकि राज्य

सरकार द्वारा खनिज साधारण मिट्टी, का कोई खनन पट्टा जारी नहीं किया गया था, इसलिए खनिज साधारण मिट्टी केवल अधिशुल्क के अग्रिम भुगतान पर अल्पावधि अनुज्ञापत्र के तहत प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार, प्रत्येक ठेकेदार, जिसे निर्माण में खनिज साधारण मिट्टी का उपयोग करना था, उसे राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के विकल्प 51(9)(ii) के तहत अल्पावधि अनुज्ञापत्र प्राप्त करना था। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के नियम 74(2)(ix) के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, रेलवे ट्रैक के निर्माण के अलावा बोरो लैंड से साधारण मिट्टी की खुदाई और सरकारी कार्यों में सड़क या तटबंध, एनीकट, नहरों और बांधो के निर्माण में उपयोग किए जाने पर कोई किराया, अधिशुल्क या शुल्क नहीं लिया जाएगा। चयनित कार्यालयों एवं कार्यकारी एजेंसियों के अभिलेखों की समीक्षा के दौरान खनिज साधारण मिट्टी के उपयोग संबंधित पायी गयी अनियमितताओं को निम्नलिखित अनुच्छेद में बताया गया है।

खनि अभियंता बीकानेर के अल्पावधि अनुज्ञापत्रों, जारी अदेयता प्रमाण पत्रों और परियोजना निदेशक, राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड (आरएसआरडीसीसीएल), बीकानेर द्वारा पारित अंतिम बिलों की संवीक्षा में पाया गया कि दो ठेकेदारों ने विकल्प 51(9)(iii) के तहत खनि अभियंता बीकानेर एवं सहायक खनि अभियंता चूरू को आवेदन किया एवं उन्हें अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी किये गये, जिससे वे निर्माण कार्यों में खनिज ग्रिट/बैलास्ट बजरी/क्रेशर डस्ट, रेत एवं पत्थर का उपयोग कर सकें। खनिज साधारण मिट्टी के लिए कोई अल्पावधि अनुज्ञापत्र प्राप्त नहीं किया गया। हालांकि ठेकेदारों द्वारा राज्य राजमार्ग (एसएच-06) के निर्माण में खनिज साधारण मिट्टी का उपयोग किया गया। कार्य पूरा होने के बाद खनि अभियंता, बीकानेर एवं सहायक खनि अभियंता चूरू द्वारा ठेकेदारों को अदेयता प्रमाण पत्र जारी किये गये (जुलाई एवं नवम्बर 2020)।

दोनों निर्माण कार्यों के अंतिम बिलों की संवीक्षा में पाया गया कि ठेकेदारों द्वारा खनिज साधारण मिट्टी (मात्रा 11.17 लाख मीट्रिक टन) का उपयोग वैध अल्पावधि अनुज्ञापत्र प्राप्त किए बिना किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों से खनिज (साधारण मिट्टी) की कीमत राशि ₹ 4.47 करोड़ की वसूली नहीं हो सकी। विवरण नीचे **तालिका 2.14** में दिया गया है:

तालिका-2.14: वैध अल्पावधि अनुज्ञापत्र के बिना खनिज साधारण मिट्टी के उपयोग का विवरण

खनिज/ सहायक खनि अभियंता कार्यालय	कार्य आदेश संख्या एवं दिनांक	ठेकेदार का नाम	कार्य का नाम	अंतिम बिल के अनुसार कार्य में उपयोगित साधारण मिट्टी की मात्रा (लाख मीट्रिक टन में)	रॉयल्टी का दस गुणा (दर ₹ प्रति टन)	खनिज की कीमत (₹ करोड़ में) {5x6}
1	2	3	4	5	6	7
खनि अभियंता बीकानेर	03/ 25.04.2018	मैसर्स केआरए - एससीसी जेवी जोधपुर	डूंगरगढ-सरदारशहर-राजगढ सड़क किमी 71/000 से 133/000 तक का विकास कार्य (एस.एच.-06)	2.50	40	1.00

खनिज/ सहायक खनि अभियंता कार्यालय	कार्य आदेश संख्या एवं दिनांक	ठेकेदार का नाम	कार्य का नाम	अंतिम बिल के अनुसार कार्य में उपयोगित साधारण मिट्टी की मात्रा (लाख मीट्रिक टन में)	रॉयल्टी का दस गुणा (दर ₹ प्रति टन)	खनिज की कीमत (₹ करोड़ में) {5x6}
1	2	3	4	5	6	7
सहायक खनि अभियंता चूरू	04/ 01.05.2018	मैसर्स राजेन्द्र सिंह भाम्बू इन्फ्रा प्रा. लिमिटेड जयपुर	डूंगरगढ-सरदारशहर-राजगढ सड़क किमी 133/000 से 231/000 तक का विकास कार्य (एस.एच.-06)	8.67	40	3.47
			योग	**11.17**		**4.47**

स्रोतः संबंधित निर्माण विभागों और खनि अभियंताओं द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं के आधार पर संकलित।

प्रकरण ध्यान (जुलाई 2021) में लाये जाने पर, खनि अभियंता बीकानेर ने प्रत्युत्तर दिया (जनवरी 2022) कि ₹ 99.82 लाख की मांग कायम की गई थी। सरकार ने प्रत्युत्तर दिया (मई 2022) कि संबंधित कार्यालयों को अनुपालना देने के लिये कहा गया था। तथापि, संबंधित कार्यालयों से उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (जनवरी 2024)।

नदी की रेत (बजरी) का उपयोग

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के नियम 51(10) के अनुसार, राष्ट्रीय या मेगा राजमार्गों, चार या छह लेन की सड़कों, के निर्माण, मरम्मत और नवीनीकरण, रेलवे ट्रैक बिछाने और मरम्मत के लिए, ठेकेदार उप-नियम (3) के अनुसार आवेदन करेंगे तथा अधिशुल्क और अन्य भुगतान उप-नियम (9) के खंड (ii) के अनुसार किया जाएगा। अन्यथा, वे नियम 44 के उप-नियम (10) के अनुसार मौजूदा खनन पट्टों से अलग अधिशुल्क भुगतान वाला रवन्ना प्राप्त कर सकते हैं।

खनि अभियंता, भीलवाड़ा द्वारा जारी (जनवरी 2019) अल्पावधि अनुज्ञापत्रों और अदेयता प्रमाण पत्रों के अभिलेखों की जांच में पाया कि एक ठेकेदार ने अधिशुल्क के अग्रिम भुगतान के बाद खनि अभियंता राजसमंद-II और खनि अभियंता भीलवाड़ा से राष्ट्रीय राजमार्ग[30] (नवम्बर 2012) के कार्य में खनिज, साधारण मिट्टी एवं चुनाई पत्थर के उपयोग के लिए 85 अनुज्ञापत्र प्राप्त किये गये (अप्रैल 2013 से दिसंबर 2016)। तथापि, यह देखा गया कि ठेकेदार ने अल्पावधि अनुज्ञापत्र प्राप्त किए बिना खनिज बजरी (मात्रा 71,216 मीट्रिक टन) का उपयोग किया, जोकि पूरी तरह से अवैध था। इसलिये, ठेकेदार खनिजों की कीमत ₹ 2.14 करोड[31] का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी था। तथापि, खनि अभियंता भीलवाड़ा

[30] भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एनएचडीपी फेज-चतुर्थ के तहत जारी डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन, और हस्तांतरण (टोल) आधार पर राजस्थान राज्य में चार लेन सड़क एनएच.-758 (किमी 0.00 से किमी 87.250 तक) राजसमंद -भीलवाड़ा खण्ड के लिए कार्य आदेश जारी किया है।

[31] 71,216 मीट्रिक टन x रॉयल्टी रू 30 प्रति टन x 10 = ₹ 2,13,64,800

द्वारा जनवरी 2019 में कार्य का अधिशुल्क निर्धारण किया गया और स्वनिज बजरी के लिए केवल अधिशुल्क राशि ₹ 0.20 करोड़ की वसूली की, जिसके परिणामस्वरूप, राशि ₹ 1.94 करोड़ की कम वसूली हुयी।

सरकार ने उत्तर दिया (मई 2022) कि ठेकेदार को शेष राशि ₹ 1.94 करोड़ की वसूली के लिए नोटिस जारी किया गया था। वसूली की कार्यवाही अभी तक प्रतीक्षित है (जनवरी 2024)।

(ii) अधिशुल्क तथा डीएमएफटी एवं आरएसएमईटी फंड में अंशदान की कम कटौती/कटौती का अभाव

(अ) राजस्थान अप्रधान स्वनिज रियायत नियम 2017 के नियम 51(9)(iv) में प्रावधान है कि ठेकेदार रनिंग बिलों से निर्दिष्ट दरों पर अधिशुल्क कटौती के लिये आवेदन करेगा और एक स्व-प्रमाणित वचनपत्र देगा कि उपयोग में लिये गये स्वनिज की पूरी मात्रा पर अधिशुल्क का भुगतान किया गया है तथा ऐसे प्रकरण में विभाग द्वारा किसी निर्धारण की आवश्यकता नहीं होगी।

इसलिए, निर्माण विभाग और स्थानीय निकाय प्रत्येक रनिंग बिल से निर्धारित राशि की कटौती के लिए जिम्मेदार होंगे, जहां ठेकेदार उपरोक्त नियम के तहत रनिंग बिलों से रॉयल्टी/ डीएमएफटी/आरएसएमईटी राशि की कटौती का विकल्प चुनता है।

डीएमएफटी नियम, 2016 के नियम 13(1)(iii) में प्रावधान है कि अप्रधान स्वनिजों के लिए भुगतान की गई अधिशुल्क राशि का 10 प्रतिशत अनुज्ञापत्र धारक द्वारा डीएमएफटी फंड के लिये भुगतान करना होगा, जो कि 12 जनवरी 2015 से प्रभावी था।

इसके अलावा, आरएसएमईटी, 2020 के नियम 8(3) के अनुसार, स्वनन पट्टाधारक, स्वदान अनुज्ञप्तिधारक, और अप्रधान स्वनिजों के अनुज्ञापत्र धारक आवंटित/अनुमत क्षेत्र से हटाए गए और/या उपभोग किए गए किसी भी स्वनिज के संबंध में ट्रस्ट फंड में पहले पांच वर्षों के लिए रॉयल्टी के दो प्रतिशत के बराबर राशि और उसके बाद राजस्थान अप्रधान स्वनिज रियायत नियम, 2017 की अनुसूची II के अनुसार भुगतान की गई रॉयल्टी के एक प्रतिशत के बराबर राशि का अंशदान करेंगे।

ठेकेदारों को 2018-19 से 2020-21 की अवधि में जारी किये गये निर्माण कार्यों की सूचना एवं सात निर्माण विभागों[32] से अधिशुल्क की कटौती और डीएमएफटी, आरएसएमईटी फंड में अंशदान की सूचना मांगी गयी थी। इन विभागों ने अधिशुल्क की कटौती, डीएमएफटी और आरएसएमईटी फंड में अंशदान का कार्य-वार विवरण प्रदान किया। सूचनाओं की संवीक्षा में पाया गया कि इन विभागों ने ₹ 1.01 करोड अधिशुल्क, डीएमएफटी और आरएसएमईटी राशि यानि अधिशुल्क राशि ₹ 76.60 लाख (172 कार्य), डीएमएफटी राशि ₹ 23.49 लाख (705 कार्य) और आरएसएमईटी राशि ₹ 0.83 लाख (137 कार्य) की या तो कटौती नहीं की

[32] जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, नगर परिषद भीलवाड़ा, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा, अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड तथा नगर पालिका।

या कम कटौती की, जैसा कि ***परिशिष्ट-3*** में दर्शाया गया है। खान एवं भूविज्ञान विभाग ने निर्माण विभागों द्वारा अधिशुल्क राशि, डीएमएफटी एवं आरएसएमईटी योगदान कटौती की निगरानी भी नहीं की।

सरकार ने उत्तर दिया (मई 2022) कि राशि की वसूली के लिए संबंधित निर्माण विभागों को पत्र लिखा गया है। जिसकी विस्तृत जानकारी अभी तक प्रतीक्षित है (जनवरी 2024)।

(ब) पंचायत समितियों द्वारा खनिजों की खरीद

खनिज क्रय हेतु निविदा प्रपत्र की शर्त के अनुसार पंचायत समितियों को ठेकेदारों के बिलों से अधिशुल्क राशि की कटौती करनी थी। तथापि, यदि फर्म द्वारा अधिशुल्क का भुगतान किया गया है, तो बिल के साथ एक शपथ पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।

चयनित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता कार्यालयों के क्षेत्र की चार पंचायत समितियों[33] में 136 ग्राम पंचायतें थीं। प्रत्येक पंचायत समिति में से पांच ग्राम पंचायतों का चयन किया गया तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत के पांच कार्यों की जांच की गई।

यह देखा गया कि वर्ष 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान, नमूना जांच की गई 16 ग्राम पंचायतों के द्वारा 51 निर्माण कार्यों में राशि ₹ 43.65 लाख के खनिजों की खरीद की गई, जिनमें अधिशुल्क राशि ₹ 3.82 लाख की कटौती की जानी थी। तथापि, न तो ठेकेदारों ने अधिशुल्क भुगतान किये हुये खनिज की आपूर्ति के लिए शपथ पत्र प्रस्तुत किया और न ही संबंधित ग्राम पंचायतों ने अधिशुल्क की कटौती की।

सरकार ने उत्तर दिया (मई 2022) कि दो कार्यालयों[34] द्वारा राशि की वसूली के लिए संबंधित पंचायत समितियों को पत्र लिखे गये हैं तथा शेष कार्यालयों के संबंध में अनुपालना मांगी गयी है। अग्रिम प्रगति अभी भी प्रतीक्षित है (जनवरी 2024)।

सिफारिश 6: विभाग अल्पावधि अनुज्ञापत्रों के बिना कार्यों के निष्पादन से बचने के लिये खान विभाग की वेबसाइट को निर्माण विभागों और पंचायती राज संस्थानों की वेबसाइट से जोड़ने के लिए राज्य सरकार के निर्देशों के अनुपालन में तेजी लाने पर विचार कर सकता है।

2.7.11 लेखापरीक्षा मूल्यांकन

अल्पावधि अनुज्ञापत्रों के प्रबंधन में कई तरह की कमियां थी। खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंताओं द्वारा पंजिकाओं का संधारण नहीं करने तथा/या संधारित पंजिकाओं में वांछित सूचनाओं के अभाव के कारण खान विभाग अधिशुल्क का समय पर निर्धारण एवं वसूली की निगरानी नहीं कर सका। चार वर्ष पहले शुरू की गई ऑनलाइन प्रणाली यानी डीएमजीओएमएस का भी निगरानी और अनुपालन बढाने में न्यूनतम प्रभाव पड़ा क्योंकि

[33] आमेट 20 ग्राम पंचायत, बालेसर 38 ग्राम पंचायत, बारां 26 ग्राम पंचायत तथा बीकानेर 52 ग्राम पंचायत।

[34] सहायक खनि अभियंता बालेसर और खनि अभियंता आमेट।

अधिकांश मामलों में, क्षेत्रीय इकाइयों ने ऑनलाइन प्रक्रियाओं के केवल एक हिस्से का ही उपयोग किया। अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए गए थे। तथापि, किसी भी कार्यालय ने ई-एसटीपी जारी नहीं किया। कई मामलों में आवेदनों की जांच किए बिना, खाली आवेदन पत्रों और अधूरे वचनपत्रों पर अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी किये गये थे।

संबंधित खनि अभियंता / सहायक खनि अभियंताओं द्वारा अधिशुल्क का निर्धारण भी सावधानीपूर्वक नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ट्रांजिट पासों का दोहरा समायोजन हुआ, ऐसे रवन्नाओं/ट्रांजिट पासों को स्वीकार किया गया जो कार्य के पूर्ण होने के बाद जारी किये गये थे या कार्य आदेश/अल्पावधि अनुज्ञापत्र की दिनांक से पहले जारी किये गये थे और ट्रांजिट पास जो कार्य से संबंधित नहीं थे। उपरोक्त कमियों के बावजूद, संबंधित खनि अभियंताओं/सहायक खनि अभियंताओ ने इन दस्तावेजों को अधिशुल्क भुगतान के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया और अदेयता प्रमाण पत्र जारी किये। ये अदेयता प्रमाण पत्र निर्माण विभागों को ठेकेदारों द्वारा देय अधिशुल्क की कटौती किये बिना ही अंतिम भुगतान के लिए अनुमति थी। इस प्रकार, ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

खान एवं भूविज्ञान विभाग और राज्य सरकार के अन्य विभागों के बीच समन्वय की कमी के परिणामस्वरूप अधिशुल्क, डीएमएफटी और आरएसएमईटी में योगदान की कम कटौती/कटौती का अभाव रहा।

समापन परिचर्चा (मई 2022) के दौरान निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग ने व्यवस्था में सुधार के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। तथापि अब तक की गयी कार्यवाही, यदि कोई हो, के बारे में लेखापरीक्षा को सूचित नहीं किया गया (जनवरी 2024)।

2.8 ईंट मिट्टी अनुज्ञापत्र धारक द्वारा ईंट मिट्टी का अवैध उत्खनन

विभाग ने अनियमित रूप से ईंट मिट्टी का अनुज्ञा-पत्र जारी किया और अनुज्ञा-पत्र धारक को अनुमत्य गहराई से अधिक ईंट मिट्टी की खुदाई करने से रोकने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप 46,419 मीट्रिक टन ईंट मिट्टी जिसका मूल्य ₹ 1.16 करोड़ था, का अवैध उत्खनन एवं उपभोग हुआ।

राज्य सरकार ने ईंट भट्टों द्वारा स्वनिज ईंट मिट्टी के उपयोग के लिए अनुज्ञापत्र जारी करने की प्रक्रिया अधिसूचित (10 जून 1994) की। जिसके अनुसार, अनुज्ञापत्र एक वर्ष की न्यूनतम अवधि और अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए दिए जा सकते थे। अनुज्ञापत्र के आवेदन के लिए खसरा संख्या के विवरण का वर्णन करते हुए एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक था जहां से ईंट मिट्टी की खुदाई की जानी थी। अनुज्ञापत्र अवधि के दौरान, अनुज्ञापत्र धारक अनुमत मात्रा तक ही ईंट मिट्टी का उत्खनन और उपयोग कर सकता है।

राज्य सरकार ने राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 में एक नया उप-नियम 63-बी जोड़ा (नवंबर 2014) जिसमें प्रावधान किया गया था कि ईंट मिट्टी, साधारण मिट्टी

और साधारण चिकनी मिट्टी के उत्खनन की अनुमति निकटवर्ती भू-तल से डेढ़ मीटर की गहराई तक होगी।

इसके बाद, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 को 1 मार्च 2017 से प्रभावी बनाया गया। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 53 (1) के अनुसार कोई ईंट मिट्टी अनुज्ञा-पत्र नहीं दिया जाएगा यदि ईंट मिट्टी की गहराई सतह से दो मीटर से अधिक है।

उपरोक्त वर्णित नियमों का उप-नियम 8(ix) निर्धारित करता है कि अनुज्ञा-पत्र धारक अनुज्ञापित क्षेत्र की सीमा के भीतर और सतह से दो मीटर की गहराई तक अपने कार्य को सीमित करेगा।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 53(2) के अनुसार एक हजार ईंटों का वजन 3.5 मीट्रिक टन था। तथापि, नियमों में संशोधन (जून 2017) द्वारा एक हजार ईंटों का भार घटाकर 2.8 मीट्रिक टन कर दिया गया।

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 48(5) और राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 54(5) के अनुसार, जब भी कोई व्यक्ति वैध अधिकार के बिना, सिवाय किसी खनिज रियायत या किसी अन्य अनुमति के, किसी भूमि से कोई खनिज उठाता है और जहां इस प्रकार उठाये गये खनिज को पहले ही निर्गमित कर दिया गया है या उपभोग कर लिया गया है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा खनिज की कीमत की वसूली की जायेगी, जो कि प्रशमन शुल्क के साथ रायल्टी के दस गुना के रूप में ली जायेगी।

कार्यालय खनि अभियंता अजमेर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा (दिसंबर 2020) के दौरान यह पाया गया कि 28 जुलाई 2014 से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रति वर्ष 12,075 मीट्रिक टन ईंट मिट्टी के उत्खनन के लिए एक अनुज्ञापत्र जारी किया गया था। ग्राम नरेली, तहसील अजमेर, जिला अजमेर के 0.35 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले खसरा क्रमांक 1228 एवं 1229 से ईंट मिट्टी की खुदाई की जानी थी। यह भी पाया गया कि विभाग ने जुलाई 2008 से जुलाई 2014 की अवधि के दौरान 67,693 मीट्रिक टन खनिज ईंट मिट्टी के उत्खनन के लिए उसी भूमि पर और उसी आवेदक को दो बार अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत किया था।

इन तथ्यों की जांच से पता चला किः

- अनुज्ञा-पत्र धारक, 26 नवंबर 2014 को नियम 63-बी जोड़े जाने के बाद, अपने स्वामित्व वाली भूमि अर्थात 0.35 हेक्टेयर से सटे जमीनी स्तर से डेढ़ मीटर की गहराई तक केवल 7,350 मीट्रिक टन ईंट मिट्टी[35] की खुदाई कर सकता था।
- चूंकि परमिट धारक को 67,693 मीट्रिक टन[36] खनिज ईंट मिट्टी के उत्खनन की अनुमति पहले ही दी जा चुकी थी, इसलिए 26 नवंबर 2014 के बाद आगे खनिज के

[35] 3,500 मीटर x 1.5 मीटर (गहराई) x 1.4 (रूपांतरण कारक) = 7,350 मीट्रिक टन।

[36] 9,975 मीट्रिक टन परमिट संख्या 45 दिनांक 23 जुलाई 2008 (एक वर्ष) + 57,718 मीट्रिक टन परमिट संख्या 741 दिनांक 28 जुलाई 2009 (पांच वर्ष) के माध्यम से।

उत्खनन की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। तथापि, नियमों में संशोधनों (26 नवम्बर 2014) की पालना को सुनिश्चित करने के लिए विभाग सतर्क नहीं था और अनुज्ञा-पत्र धारक को अनुमत मात्रा से अधिक ईंट मिट्टी का उत्खनन करने से रोकने में विफल रहा।

विभाग की असावधानी के परिणामस्वरूप 26 नवंबर 2014 से 27 जुलाई 2019 की अवधि के दौरान 46,419 मीट्रिक टन[37] स्थनिज ईंट मिट्टी राशि ₹ 1.16 करोड़[38] की कीमत का अवैध उत्खनन हुआ।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर 2021)। सरकार ने उत्तर दिया (फरवरी 2022) कि अनुज्ञा-पत्र धारक ने 2008 से 2019 की अवधि के दौरान अवैध रूप से 1.05 लाख मीट्रिक टन ईंट मिट्टी का उत्खनन किया था। शास्ति ₹ 2.08 करोड़ वसूली योग्य थी। राशि की वसूली के लिए अनुज्ञा-पत्र धारक को नोटिस जारी किया जाएगा। आगे, वसूली की प्रगति प्रतीक्षित है (जनवरी 2024)।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

2.9 फर्जी बैंक प्रत्याभूति के विरुद्ध राशि की वसूली के लिये उदासीन दृष्टिकोण से परिहार्य हानि राशि ₹ 2.27 करोड़

फर्जी बैंक प्रत्याभूति के विरुद्ध प्रतिभूति मोचन करने के एक मामले में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के बहरोड़ कार्यालय द्वारा अन्य जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कार्यालयों को वसूली हेतु सूचित करने में अत्यधिक देरी तथा अन्य कार्यालयों की निष्क्रियता के परिणामस्वरूप संवेदक को भुगतान जारी किया जाना और बकाया की वसूली नहीं होना।

मैसर्स डीम कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड जयपुर (संवेदक) को अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (ज.स्वा.अ.वि.), एनसीआर, अलवर द्वारा राशि ₹ 24.04 करोड़ का एक कार्यादेश[39] जारी किया गया था (मार्च 2016)। कार्य के प्रारम्भ एवं पूर्ण करने की निर्धारित तिथियाँ क्रमशः 13 अप्रैल 2016 व 12 अक्टूबर 2017 थी। अनुबंध की शर्त संख्या 59.1 के अनुसार संवेदक द्वारा अनुबंध राशि के 10 प्रतिशत के बराबर निष्पादन सुरक्षा राशि उपलब्ध करवायी जानी थी, जो कि कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र के जारी होने की दिनांक से 28 दिन तक मान्य होनी चाहिए थी।

संवेदक प्रारम्भ से ही कार्य की प्रगति बनाये रखने में असफल रहा, क्योंकि परियोजनावार विस्तृत कार्य योजना, डिजाईन अनुमोदन एवं सर्वेक्षण कार्य जैसी गतिविधियां देरी से हुई।

[37] 26 नवंबर 2014 से 25 जून 2017 (31,194 एमटी) + 26 जून 2017 से 26 नवंबर 2017 (4,025 एमटी) + 27 नवंबर 2017 से 27 जुलाई 2019 (11,200 एमटी)।

[38] 46,419 मीट्रिक टन ईंट मिट्टी X ₹ 25 (रॉयल्टी दर) X 10 = ₹ 1,16,04,750

[39] बहरोड़ में ₹ 1.32 करोड़ की अनंतिम राशि सहित उच्च सेवा जलाशयों को उपलब्ध कराने, बिछाने, जोड़ने और चालू करने और पंपिंग प्रणाली तथा सहायक कार्य प्रदान करने का कार्य।

संवेदक ने अक्टूबर 2019 में कार्य बंद कर दिया और राशि ₹ 9.09 करोड़ का कार्य ही पूर्ण कर सका। अनुबन्ध की शर्तों के मौलिक उल्लंघन के कारण ज.स्वा.अ.वि. ने अनुबंध को समाप्त करने, वसूली करने और शेष कार्यों के लिए नई निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया (मई 2020)। ज.स्वा.अ.वि. ने अनुबंध के अन्तिम परिणामों का आंकलन किया (सितम्बर 2020) और संवेदक के विरुद्ध ₹ 11.98 करोड़[40] की वसूलनीय राशि की गणना की।

अनुबंध की शर्त संख्या 59 के अनुसार संवेदक ने ₹ 2.27 करोड़ की बैंक प्रत्याभूति प्रस्तुत की थी (मार्च 2016) जो 16 सितम्बर 2017 तक वैध थी। तथापि, संवेदक द्वारा प्रत्याभूति का विस्तार नहीं करने के कारण अधिशाषी अभियंता, बहरोड़ ने प्रत्याभूति को इनवोक करके ₹ 2.27 करोड़ की राशि को रोके रखा (सितम्बर 2017)।

तत्पश्चात, ठेकेदार ने एसबीआई, जेवीपीडी योजना शाखा, मुंबई (एसबीआई मुंबई) द्वारा जारी (13 सितंबर 2019) ₹ 2.27 करोड़ की दूसरी बैंक प्रत्याभूति जमा कराके रोकी गई राशि जारी करने का अनुरोध किया (सितंबर 2019)। अधिशाषी अभियंता, बहरोड़ ने ईमेल (20 सितंबर 2019) के आधार पर एसबीआई मुंबई शाखा से बैंक प्रत्याभूति की पुष्टि के बाद ₹ 2.27 करोड़ की रोकी गई राशि जारी कर दी (24 सितंबर 2019)। इसके पश्चात संवेदक ने रोकी गई सुरक्षा राशि मद-II (एसडी-II)[41] को जारी करने के लिए ₹ 0.80 करोड़ की दूसरी बैंक प्रत्याभूति प्रस्तुत की (अक्टूबर 2019)। बैंक प्रत्याभूति की पुष्टि के लिए ई-मेल द्वारा पूछे जाने पर एसबीआई, मुम्बई ने उक्त संवेदक को 13 सितम्बर 2019 को जारी कथित ₹ 2.27 करोड़ की बैंक प्रत्याभूति सहित कोई भी बैंक प्रत्याभूति जारी नहीं किया जाना सूचित किया (अक्टूबर 2019)।

अधिशाषी अभियंता, बहरोड़ ने संवेदक द्वारा फर्जी बैंक प्रत्याभूति प्रस्तुत किये जाने के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी (फ़रवरी 2020) जो कि अब तक जाँच के अधीन है। अधिशाषी अभियंता ने संवेदक को फर्जी बैंक प्रत्याभूति के बारे में सूचित किया (नवम्बर 2019) और संवेदक को ₹ 2.27 करोड़ की नयी बैंक प्रत्याभूति प्रस्तुत करने को कहा। लेकिन संवेदक ने कोई नयी बैंक प्रत्याभूति प्रस्तुत नहीं की।

छः माह व्यतीत होने के बाद अधिशाषी अभियंता, बहरोड़ ने संवेदक के अन्य चालू कार्यो में से उक्त राशि की वसूली के लिए ज.स्वा.अ.वि. के अन्य कार्यालयों[42] से अनुरोध किया (अप्रैल 2020)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ज.स्वा.अ.वि. परियोजना खंड बूंदी में इस संवेदक का कार्य प्रगति पर था। तथापि, फर्जी बैंक प्रत्याभूति की उपरोक्त घटना और वसूली के निर्देशों की

[40] ₹ 6.82 करोड़ (शेष राशि ₹ 13.64 करोड़ का 50 प्रतिशत) + मात्रा बिल (बीओक्यू) मदों के विरुद्ध ₹ 5.16 करोड़ की वसूली।

[41] ₹ 0.80 करोड़

[42] कोटा और बूंदी के जोनल, वृत्त तथा खण्ड कार्यालय सहित।

जानकारी के बाद भी ज.स्वा.अ.वि. परियोजना खंड बूंदी ने जून 2020 से अगस्त 2021[43] के मध्य उसी संवेदक को इस मद में कोई वसूली किये बिना ₹ 3.11 करोड़[44] जारी कर दिए।

ज.स्वा.अ.वि. के उदासीन रवैये के कारण संवेदक को मामले को कानूनी जटिलताओं में उलझाने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। ठेकेदार ने वाणिज्यिक न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया, जिसमें वसूली को स्थगित करने का निर्णय लिया गया (अक्टूबर 2020)। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आगे निर्देश दिया (मार्च 2021) कि नई बोलियाँ वर्तमान रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन होनी चाहिए और रिट याचिका प्रक्रियाधीन थी (मई 2022)।

इस प्रकार फर्जी बैंक प्रत्याभूति की जानकारी होने के बाद भी अधिशाषी अभियंता, बहरोड़ ने वसूली के लिए तत्काल कदम नहीं उठाये और अन्य ज.स्वा.अ.वि. कार्यालयों को छः माह व्यतीत होने के पश्चात सूचित किया। इस सूचना के बाद भी अधिशाषी अभियंता, परियोजना खंड बूंदी कार्यालय राशि को वसूल करने में असफल रहा और संवेदक को ₹ 3.11 करोड़ जारी कर दिये गये। परिणामस्वरूप वसूलनीय राशि ₹ 11.98 करोड़ के विरुद्ध ज.स्वा.अ.वि. के पास केवल ₹ 1.46 करोड़ का वित्तीय धारण रह गया था।

इंगित किये जाने पर (सितम्बर 2021) राज्य सरकार ने बताया (मई 2022) कि फर्म ने वाणिज्यिक न्यायालय जयपुर में यचिका दायर की थी, जिसमें 12 अक्टूबर 2020 को स्थगन आदेश पारित किया गया है और प्रकरण अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है।

तथ्य यह है कि फर्जी बैंक प्रत्याभूति के मामले की जानकारी होने के बावजूद वसूली करने में उदासीन रवैये के कारण और संवेदक को ₹ 3.11 करोड़ की राशि जारी करने (₹ 1.89 करोड़ न्यायालय के स्थगन आदेश के पूर्व) के कारण विभाग ₹ 2.27 करोड़ वसूल करने में असफल रहा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.27 करोड़ की परिहार्य हानि हुई। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित जाने के बाद भी परियोजना खंड बूंदी में व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु विशिष्ट सुधारात्मक कदम अभी तक नहीं लिए गये थे।

2.10 मूल्य भिन्नता का अधिक भुगतान राशि ₹ 17.04 करोड़

गलत सूचकांक, सूचकांकों के गिरावट की प्रवृत्ति की गैर निगरानी तथा प्रभावी आन्तरिक नियन्त्रण के अभाव के परिणामस्वरूप ₹ 17.04 करोड़ के मूल्य भिन्नता दावों का अधिक भुगतान।

लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम (लो.नि.वि.एवं ले.नि.) भाग प्रथम के नियम 22(xviii) के अनुसार संभागीय अधिकारी, सरकारी हितों की रक्षा करते हुए अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार, संवेदक को समय पर भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा। अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार राजकीय हितों की रक्षा करने के लिये संभागीय अधिकारी जिम्मेदार होगा। लो.नि.वि.एंव ले.नि.

[43] जून 2020 से अक्टूबर 2020 (न्यायालय के स्थगन आदेश तक)- ₹ 1.89 करोड़ तथा नवम्बर 2020 से अगस्त 2021- ₹ 1.22 करोड़।

[44] ₹ 2.41 करोड़ (चालू बिल भुगतान) + ₹ 0.70 करोड़ (एसडी-II)।

के भाग प्रथम का नियम 378 प्रावधान करता है कि ₹ 100 करोड़ से अधिक मूल्य के एक मुश्त अनुबन्ध जिनकी निर्धारित पूर्णता अवधि 18 माह से अधिक है, में अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार मूल्य भिन्नता लागू होगी। अनुबंध की शर्तों के खंड 45 में कहा गया है कि यदि अनुबंध की प्रगति के दौरान, कार्य में शामिल किसी भी सामग्री/बिटुमेन/डीजल/पेट्रोल/ सीमेंट और स्टील की कीमत निविदा खोलने की तारीख पर प्रचलित कीमत की तुलना में या बातचीत (जहां बातचीत की गई दरें स्वीकार कर ली गई हैं) के आधार पर बढ़ती या घटती है, तो कार्य लिए संवेदक को देय राशि की दरों में वृद्धि या कमी के लिए समायोजित की जाएगी।

अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (ज.स्वा.अ.वि.), क्षेत्र बीकानेर ने मेसर्स एल एंड टी लिमिटेड, कंस्ट्रक्शन, चेन्नई (संवेदक) के पक्ष में टर्नकी आधार पर एक कार्य आदेश[45] ₹ 475.90 करोड़[46] का जारी किया (अगस्त 2013) जिसमें कार्य की प्रारम्भ एवं पूर्ण करने की निर्धारित तिथियाँ क्रमशः 02 सितंबर 2013 व 01 सितंबर 2016 थी। कार्य 02 जनवरी 2019 को पूरा हुआ और संवेदक को मूल्य भिन्नता के ₹ 14.34 करोड़ (दिसंबर 2020) सहित ₹ 433.05 करोड़ का भुगतान किया गया।

ज.स्वा.अ.वि. परियोजना खण्ड तारानगर और खेतड़ी के दस्तावेजों की नमूना जांच में पता चला कि अनुबंध की शर्तों के अनुसार, मूल्य भिन्नता के दावों की गणना के लिए, हॉट रोल्ड कॉइल (एचआरसी) की कीमतों पर विचार किया जाना था।

कार्य आदेश जारी होने के तुरंत बाद, एचआरसी सूचकांक 153.1 (मार्च 2014) के स्तर से लगातार गिरकर[47] 127.8 (अगस्त 2016) के स्तर पर आ गया और आधार सूचकांक (149.8) से भी नीचे गिर गया। लेकिन मूल्य भिन्नता के दावों की गणना करते समय, एचआरसी के स्थान पर स्टील रॉड्स के सूचकांकों के आधार पर विचार किया गया।

इस प्रकार, मूल्य भिन्नता की गणना के लिए गलत सूचकांकों को अपनाने और सूचकांकों की गिरावट की प्रवृत्ति की निगरानी न करने के कारण, विभाग ने मूल्य भिन्नता के विरुद्ध ₹ 17.04 करोड़ ***(परिशिष्ट-4)*** का अधिक भुगतान किया, जो कमजोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को दर्शाता है। इसके अलावा, अनुबंध के अन्तर्गत संवेदक के विरूद्ध वित्तीय धारण केवल ₹ 0.09 करोड़ पाई गई जो कि वसूल की जाने वाली आवश्यक राशि के मुकाबले नगण्य है।

[45] झुंझुनू तहसील से ट्रांसमिशन पाइपलाइनों की आपूर्ति, बिछाने, जोड़ने, परीक्षण तथा चालू करने और चुरू बिसाऊ परियोजना और संबद्ध कार्यों की जलापूर्ति प्रणाली का जीर्णोद्धार तथा सुधार, एकीकृत तारानगर झुंझुनू सीकर खेतड़ी पेयजल आपूर्ति परियोजना के पैकेज -2 के अन्तर्गत दोष देयता अवधि के पूर्ण होने के पश्चात् 10 वर्षों के लिए संचालन एवं रखरखाव।

[46] ₹ 440.07 करोड़ के पूंजीगत कार्य + ₹ 35.83 करोड़ के संचालन एवं रखरखाव के कार्य।

[47] 153.1 (मार्च 2014), 151.5 (जून 2014), 149.9 (सितंबर 2014), 148.2 (दिसंबर 2014), 144.8 (मार्च 2015), 138.5 (जून 2015), 131.1 (सितंबर 2015), 126 (दिसंबर 2015), 125 (मार्च 2016), 130.9 (जून 2016) और 127.8 (सितंबर 2016)।

राज्य सरकार ने तथ्य को स्वीकार किया (जुलाई 2022) और ज.स्वा.अ.वि. को फर्म से वसूली प्रस्तावित करने के निर्देश दिये। तथ्य यह है कि मूल्य में भिन्नता की अनुमति देते समय अतिरिक्त भुगतान गलत सूचकांकों के आधार पर किया गया था, और विभाग के पास नगण्य वित्तीय धारण के कारण वसूली करना बहुत कठिन होगा।

भाग–II

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा आक्षेप

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं स्वायत्त निकायों का परिचय

सामान्य

1.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (राजकीय उपक्रमों) में राज्य सरकार की कंपनियां, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां एवं सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। राजकीय उपक्रमों की स्थापना जन-कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक स्वरूप की गतिविधियों के संचालन के लिए की जाती है एवं इनका राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। 31 मार्च 2021 को राजस्थान में कुल 45 राजकीय उपक्रम थे। इन 45 राजकीय उपक्रमों[1] में से, 31 राजकीय उपक्रमों की लेखापरीक्षा का सम्पादन कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), राजस्थान के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, तीन स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा का कार्य भी इस कार्यालय को प्रदान किया गया है। इस कार्यालय के लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र के तहत राजकीय उपक्रमों/स्वायत्त निकायों की सूची ***परिशिष्ट-5*** में वर्णित है।

लेखापरीक्षा अधिदेश

1.2 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) को लेखापरीक्षा का प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 एवं सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 13 से 20 के अंतर्गत प्राप्त हैं। विभिन्न लेखापरीक्षाओं के लिए सिद्धांत तथा कार्यपद्धति सीएजी द्वारा जारी किए गये लेखापरीक्षा एवं लेखा के विनियम, 2007, 2020 में यथा संशोधित, तथा लेखापरीक्षा मानक, 2017 में निर्धारित किए गये हैं।

लेखापरीक्षा क्षेत्र एवं कार्यक्षेत्र

1.3 2020-21 के दौरान, इस कार्यालय के लेखापरीक्षा क्षेत्र के अन्तर्गत 31 राजकीय उपक्रमों से संबंधित 1130 इकाईयां एवं स्वायत्त निकायों से संबंधित चार इकाईयां थी। इन राजकीय उपक्रमों/स्वायत्त निकायों की वित्तीय सत्यापन लेखापरीक्षा के अतिरिक्त, राजकीय उपक्रमों की 133 इकाईयां एवं स्वायत्त निकायों की तीन इकाईयां अनुपालन लेखापरीक्षा हेतु चयनित की गई थी।

[1] 38 सरकारी कंपनियां, सरकार द्वारा नियंत्रित चार कंपनियां एवं तीन सांविधिक निगम।

अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद

1.4 इस प्रतिवेदन के भाग-II में एक स्वायत्त निकाय[2] एवं दो राजकीय उपक्रमों[3] से संबंधित क्रमशः एक अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद एवं दो अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद सम्मिलित हैं। यह अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद राजस्थान सरकार के संबंधित प्रधान सचिव के साथ-साथ संबंधित राजकीय उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के प्रमुख को प्रेषित किए गये थे। अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद जारी किए जाने से दो सप्ताह के भीतर उत्तर देने के अनुरोध के साथ जारी किए गये थे। अक्टूबर 2022 के अंत तक दो अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के उत्तर राज्य सरकार के साथ-साथ संबंधित राजकीय उपक्रम/स्वायत्त निकाय यथा आरआरवीपीएनएल एवं आरईआरसी से प्राप्त हो गये है एवं इन्हें इस प्रतिवेदन में उचित रूप से समाहित कर लिया गया है। एक अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद के प्रकरण में तथ्यात्मक विवरण-पत्र पर राज्य सरकार के उत्तर के अतिरिक्त प्रारूप अनुच्छेद पर संबंधित राजकीय उपक्रम (आरएसएमएमएल) द्वारा प्रस्तुत किए गये उत्तर को भी इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है। साथ ही, अनुच्छेद पर राज्य सरकार का उत्तर, तथापि, प्रतीक्षित था (जून 2023) क्योंकि राजकीय उपक्रम ने प्रकरण की अग्रिम प्रगति राज्य सरकार को प्रस्तुत नहीं की थी। उत्तरों को सम्मिलित किए जाने के पश्चात, संशोधित अनुच्छेदों को राज्य सरकार के संबंधित प्रमुख शासन सचिवों के साथ-साथ संबंधित एसपीएसयू/एबी के प्रमुखों को दो सप्ताह की अवधि के भीतर उत्तर दिए जाने के निवेदन के साथ पुनः जारी किया गया था (18 दिसंबर 2023) एवं प्राप्त उत्तरों (फरवरी 2024 तक) को इस प्रतिवेदन में उचित रूप से सम्मिलित कर लिया गया है। अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेदों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 16.93 करोड़ है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

1.5 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा संवीक्षा की प्रक्रिया का सार है। अतः यह आवश्यक है कि इन पर कार्यपालिका से उचित एवं समयबद्ध उत्तर प्राप्त किया जाए। राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों को सीएजी के प्रतिवेदनों में सम्मिलित किए गये अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं (पीए) पर प्रतिवेदनों के विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण से तीन माह की अवधि में, राजकीय उपक्रम समिति (कोपू) से किसी प्रश्नसूची की प्रतीक्षा किए बिना, निर्धारित प्रारूप में उत्तर/व्यास्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत करने के निर्देश जारी (जुलाई 2002) किए थे। राजस्थान सरकार ने उत्तर/व्यास्यात्मक टिप्पणियों को समय पर प्रस्तुत किए जाने हेतु अपने निर्देशों को पुनः दोहराया (सितम्बर 2022)। सितम्बर 2021 तक कोई भी व्यास्यात्मक टिप्पणियां लंबित नहीं थी।

[2] राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी)।

[3] राजस्थान राज्य स्थान व स्थनिज लिमिटेड (आरएसएमएमएल) एवं राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (आरआरवीपीएनएल)।

लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये लेखापरीक्षा आक्षेपों, जिनका निपटान इकाई पर ही नहीं किया गया हो, को निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से संबंधित राजकीय उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के प्रमुखों को प्रेषित किया जाता है। राजकीय उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदनों का उत्तर एक माह के भीतर प्रेषित करना होता है।

31 राजकीय उपक्रमों से संबंधित, 31 मार्च 2021 तक जारी किए गये निरीक्षण प्रतिवेदनों से उजागर हुआ कि 581 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 2671 अनुच्छेद सितम्बर 2021 के अंत में बकाया थे, जिनका मौद्रिक मूल्य ₹ 58228.17 करोड़ था। साथ ही, स्वायत्त निकायों के प्रकरण में, 12 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 80 अनुच्छेद सितम्बर 2021 के अंत में बकाया थे, जिनका मौद्रिक मूल्य ₹ 170.29 करोड़ था। 30 सितम्बर 2021 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा आक्षेपों की राजकीय उपक्रम एवं स्वायत्त निकाय-वार स्थिति ***परिशिष्ट-6*** में दर्शाई गई है।

साथ ही, 2020-21 के दौरान, चयनित इकाईयों की अनुपालन लेखापरीक्षा की गई थी। वर्ष के दौरान राजकीय उपक्रमों एवं स्वायत्त निकायों को क्रमशः 574 अनुच्छेदों को सम्मिलित करते हुए 83 निरीक्षण प्रतिवेदन एवं 12 अनुच्छेदों को सम्मिलित करते हुए दो निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए गये थे। बकाया अनुच्छेदों के शीघ्र निपटान हेतु, 14 राजकीय उपक्रमों एवं एक स्वायत्त निकाय में लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया गया था।

2020-21 के दौरान, राजकीय उपक्रमों एवं स्वायत्त निकायों के संबंध में लेखापरीक्षा समितियों की क्रमशः 29 बैठकें एवं तीन बैठकें आयोजित की गई थीं जिसमें उत्तरदायित्व एवं जवाबदेयता सुनिश्चित करने हेतु बकाया अनुच्छेदों की स्थिति पर संबंधित कार्यकारी/प्रशासनिक विभागों के साथ चर्चा की गई थी।

लेखापरीक्षा के इंगित किए जाने पर वसूली

1.6 2020-21 में अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान, राजकीय उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के प्रबंधन को ₹ 1158.82 करोड़ की वसूली इंगित की गई थी। साथ ही, राजकीय उपक्रमों/स्वायत्त निकायों द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 750.37 करोड़ (2020-21 में इंगित की गई वसूली के समक्ष ₹ 44.33 करोड़ एवं गत वर्षों में इंगित की गई वसूली के पेटे ₹ 706.04 करोड़) की वसूली की गई थी।

राज्य विधायिका में स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को रखे जाने की स्थिति

1.7 राज्य में चार स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा इस कार्यालय के अधीन है। निर्दिष्ट समय अनुसूची के अनुसार, स्वायत्त निकायों को वित्तीय वर्ष के लेखे आगामी वित्तीय वर्ष में 30 जून तक प्रस्तुत करना आवश्यक है। लेखापरीक्षा सुपुर्दगी, लेखों को लेखापरीक्षा को सौपनें, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (एसएआर) को जारी किए जाने एवं इसे विधायिका में रखे जाने की स्थिति

परिशिष्ट-7 में दी गई है। इन चार स्वायत्त निकायों द्वारा वार्षिक लेखों के प्रस्तुतीकरण में 31 दिसंबर 2021 तक तीन माह से 90 माह तक की सीमा में विलंब था। लेखों को अंतिम रूप देने में विलंब से वित्तीय अनियमितताओं का पता नहीं लगने को जोखिम रहता है एवं इसलिए खातों को शीघ्र अंतिम रूप देने एवं लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता होती है।

राजकीय उपक्रम समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

1.8 30 सितम्बर 2021 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (राजकीय उपक्रमों) में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर राजकीय उपक्रम समिति द्वारा चर्चा की स्थिति निम्न प्रकार थी:

तालिका 1.1: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के साथ-साथ राजकीय उपक्रम समिति द्वारा की गई चर्चा की 30 सितम्बर 2021 को स्थिति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन[4] में सम्मिलित		अनुच्छेद जिन पर चर्चा की गई	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुपालन लेखापरीक्षा	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुपालन लेखापरीक्षा
2015-16	2	10	1	9
2016-17	1	10	1	4
2017-18	1	7	-	-
2018-19	1	9	-	-

स्रोतः लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर राजकीय उपक्रम समिति की चर्चा के आधार पर संकलित।

2014-15 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (राजकीय उपक्रमों) पर चर्चा पूर्ण हो गई है।

2 स्वायत्त निकायों पर अनुपालन लेखापरीक्षा आक्षेप

इस भाग में स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान उजागर हुए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को सम्मिलित किया गया है।

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी)

परिचय

2.1 भारत का विद्युत क्षेत्र ऐसी समस्याओं से घिरा हुआ था जिसने आर्थिक उदारीकरण द्वारा विद्युत की तीव्र गति से बढ़ती मांग की पूर्ति करने में इसकी क्षमता को बाधित किया। विद्युत क्षेत्र

[4] कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) राजस्थान के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के तहत राजकीय उपक्रमों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद सम्मिलित हैं।

में सुधारों को लागू किए जाने की दिशा में एक कदम के रूप में, भारत सरकार ने केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) एवं राज्य स्तर पर राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) की स्थापना की आवश्यकता महसूस की। टैरिफ निर्धारण एवं अंतर-राज्य स्तर पर अनुज्ञापत्र प्रदान किए जाने हेतु उत्तरदायी सीईआरसी एवं एसईआरसी की वैधानिक निकायों के रूप अवधारणा की परिकल्पना पूर्ववर्ती विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 में की गई थी। इस अवधारणा को विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम 2003) में जारी रखा गया है, जो कि भारत सरकार द्वारा विद्युत के उत्पादन, प्रसारण, वितरण, व्यापार एवं उपयोग से संबंधित कानूनों को समेकित करने तथा विद्युत उद्योग के विकास के लिए अनुकूल उपाय करने हेतु अधिनियमित किया गया था (10 जून 2003)। अधिनियम 2003 में विद्युत उद्योग में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने, विद्युत टैरिफ को युक्तिसंगत बनाने, पारदर्शी नीतियां सुनिश्चित करने, स्वतंत्र एजेंसियों यथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), सीईआरसी/एसईआरसी एवं अपीलीय अधिकरण (एपीटीईएल) आदि का गठन/स्थापना करने के लिए अपेक्षित कानून भी सम्मिलित हैं।

अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार, एसईआरसी का प्रमुख उत्तरदायित्व राज्य के भीतर थोक, बल्क या खुदरा विक्रय हेतु विद्युत के उत्पादन, आपूर्ति, प्रसारण एवं व्हीलिंग का टैरिफ निर्धारण करना; राज्य के भीतर प्रसारण, वितरण एवं व्यापार हेतु अनुज्ञापत्र जारी करना; ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत के सह-उत्पादन एवं उत्पादन को बढ़ावा देना इत्यादि है।

राजस्थान सरकार ने राजस्थान राज्य हेतु एसईआरसी के रूप में राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी) की स्थापना की (दिसंबर 1999) एवं इसने 2 जनवरी 2000 से कार्य प्रारम्भ कर दिया।

भारत सरकार ने क्षेत्राधिकारों में विनियामक दृष्टिकोणों में पारदर्शिता, निरंतरता एवं पूर्वानुमेयता को बढ़ावा देने एवं नियामक जोखिमों की धारणा को कम करने हेतु टैरिफ नीति 2016 अधिसूचित की (जनवरी 2016)।

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग की संरचना एवं उद्देश्य

आरईआरसी के गठन का उद्देश्य

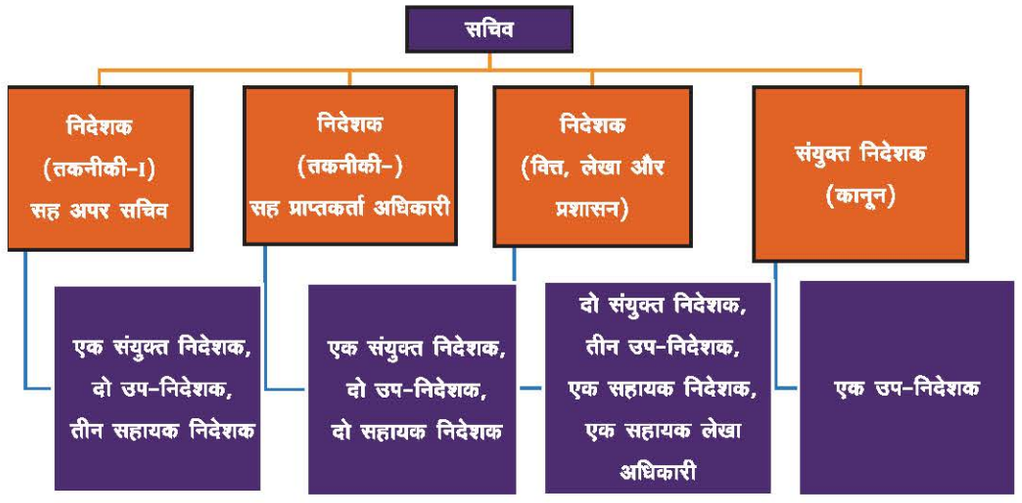
2.2 आरईआरसी का गठन राजस्थान में विद्युत क्षेत्र यथा विद्युत का उत्पादन, प्रसारण एवं वितरण को विनियमित करने के लिए किया गया था। 31 मार्च 2021 को, आरईआरसी का विनियामक नियंत्रण ***परिशिष्ट-8*** में वर्णित संस्थाओं में फैला हुआ था। आरईआरसी के विनियामक नियंत्रण में विभिन्न उपक्रम एवं कार्यवाही, जैसा कि निम्नानुसार वर्णित किया गया है, समाहित हैं:

आरईआरसी के विनियामक नियंत्रण



आरईआरसी की संरचना

2.3 आरईआरसी में एक अध्यक्ष एवं दो सदस्य होते हैं। इसके अलावा, आरईआरसी ने एक सचिव नियुक्त किया था, जो प्रमुख अधिकारी होने के नाते दिन-प्रतिदिन के कार्यों का निर्वहन करता है। सचिव की सहायता के लिए, आरईआरसी ने चार समूह यथा तकनीकी प्रकरणों में व्यवहार करने हेतु दो समूह, वित्त, लेखा तथा प्रशासन से संबंधित प्रकरणों में व्यवहार हेतु एक समूह एवं कानूनी प्रकरणों में व्यवहार करने हेतु एक समूह बनाया है। समूह वार पदानुक्रम निम्नानुसार है:



आरईआरसी में जनशक्ति

2.4 लेखापरीक्षा ने पाया कि 31 मार्च 2021 को, आरईआरसी में 71 कार्मिकों की स्वीकृत संख्या के समक्ष 46 कार्मिक (सचिव सहित) थे एवं 25 पद रिक्त पड़े थे। इन 46 कार्मिकों में से 40 कार्मिक अन्य संस्थाओं से प्रतिनियुक्ति के माध्यम से पदस्थापित किए गये थे। इसके अलावा, आरईआरसी द्वारा निर्धारित स्वीकृत पदों में 26 पेशेवर कार्मिकों (37 प्रतिशत), जिनके पास प्रशासनिक/तकनीकी/वित्तीय/कानूनी क्षेत्रों में पेशेवर योग्यता तथा/या कार्य अनुभव है, को पदस्थापित किए जाने की व्यवस्था की गई है। इन पेशेवर पदों में से नौ[5] पद (35 प्रतिशत) 31 मार्च 2021 को रिक्त थे।

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग की शक्तियां

2.5 अधिनियम 2003 ने आरईआरसी को निम्नलिस्ति तीन शक्तियां प्रदान की हैं:

शक्ति का विवरण	अधिनियम 2003 के प्रासंगिक प्रावधान
विनियम बनाना	अधिनियम 2003 की धारा 181 में प्रावधान है कि एसईआरसी, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके तहत बनाए गए नियमों को लागू करने के लिए विनियम बना सकता है। साथ ही, एसईआरसी द्वारा बनाए गए सभी विनियम पिछले प्रकाशन की शर्तों के अधीन होंगे। धारा 182 में प्रावधान है कि एसईआरसी द्वारा बनाए गए प्रत्येक विनियम को, इसके बनने के बाद, राज्य विधानमंडल के समक्ष शीघ्र-अतिशीघ्र रखा जाएगा। आरईआरसी द्वारा बनाए गए प्रमुख विनियमों, जो कि 2016-21 के दौरन लागू थे, की स्थिति ***परिशिष्ट-9*** में दर्शायी गई है।
विवादों पर निर्णय	अधिनियम 2003 की धारा 86 (1)(एफ) में प्रावधान है कि एसईआरसी अनुज्ञप्तिधारियों एवं उत्पादन कंपनियों के बीच विवादों पर निर्णय देगा तथा किसी भी विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करेगा। धारा 111 एवम धारा 125 आगे प्रावधान करती हैं कि कोई भी व्यक्ति, इस अधिनियम के तहत, अधिनिर्णयन अधिकारी या एसईआरसी तथा एपीटीईएल द्वारा एक द्वारा दिए गए आदेश से व्यथित होकर क्रमशः एपीटीईएल एवं भारत के उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। भारत सरकार ने अधिनिर्णयन अधिकारी अथवा एसईआरसी के आदेशों के विरूद्ध अपीलों को सुनने हेतु वर्ष 2005 में एपीटीईएल का गठन किया।

[5] संयुक्त निदेशक स्तर के पांच पद (यथा विधि-1, वित्त, लेखा एवं प्रशासन-2, तकनीकी-2), उप निदेशक स्तर के दो पद (यथा विधि-1 एवं आर्थिक विश्लेषक-1) तथा सहायक निदेशक स्तर के दो पद।

कार्यकारिणी शक्ति	आरईआरसी की कार्यकारिणी शक्तियां/कार्यकलाप अधिनियम 2003 की धारा 86 (1) {उप-धारा 86 (1) (एफ) में परिभाषित न्यायिक कार्यकलाप को छोड़कर} के तहत प्रदान की गई हैं।

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग की कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा ने 2016-21 की अवधि के लिए निर्धारित कानूनों, नियमों और विनियमों के समक्ष अपने कार्यकारी कार्यों के संबंध में आरईआरसी के प्रदर्शन की समीक्षा और विश्लेषण किया है। आरईआरसी के कार्यकारी कार्यों से संबंधित अभिलेखों की हमारी जांच से पता चला कि आरईआरसी अपने विनियम के तहत संस्थाओं से टैरिफ और एआरआर आवेदनों को समय पर जमा करने के लिए बाध्य नहीं कर सका क्योंकि इसके समय पर अनुपालन के लिए कोई प्रभावी तंत्र नहीं था और इन आवेदनों को जमा करने में 11 दिन से लेकर 428 दिन तक की महत्वपूर्ण देरी हुई । इसके अतिरिक्त, आरईआरसी ने स्वयं टैरिफ आदेश जारी करने के लिए निर्धारित समय-सीमा को पार कर लिया। वार्षिक आधार पर एआरआर के लिए ट्रू-अप तंत्र का उचित कार्यान्वयन भी आरईआरसी द्वारा प्रभावी ढंग से सुनिश्चित नहीं किया गया था। ये देरी अक्सर विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई अधूरी जानकारी या डाटा के कारण होती है, जिससे आदेशों को समय पर जारी करने में और परेशानी होती है।

आरईआरसी ने एनटीपी 2016 के निर्देशों की अनदेखी की, जो नियामक परिसंपत्तियों के निर्माण को हतोत्साहित करता है, और वितरण अनुज्ञाप्तिधारियों के लिए राजस्व अंतर को लगातार बढ़ाने की अनुमति देता है। आरईआरसी ने दक्षता में सुधार सुनिश्चित किए बिना वितरण अनुज्ञाप्तिधारियों को राजस्व अंतराल की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप भविष्य में उपभोक्ताओं के लिए विद्युत की लागत कम हो सकती थी।

एआरआर में आरओई की अनुमति देने और उन्हें लागू करने में आरईआरसी के दृष्टिकोण में स्थिरता का अभाव था क्योंकि इसने विनियमित संस्थाओं को आरओई की विभिन्न दरों की अनुमति दी थी। विद्युत समझौतों की क्रय, नवीकरण क्रय दायित्व (आरपीओ) अनुपालन के साथ-साथ प्रदर्शन के मानक (एसओपी) रिपोर्ट की जांच के संबंध में निगरानी तंत्र में कमियां थीं। आरईआरसी ने एसओपी विनियम 2021 में सेवाओं के 16 गारंटीकृत मानक के लिए मुआवजे के स्वचालित भुगतान की व्यवस्था भी निर्धारित नहीं की है।

2.6 लेखापरीक्षा ने 2016-21 की अवधि के लिए निर्धारित कानूनों, नियमों और विनियमों के समक्ष अपने कार्यकारी कार्यों के संबंध में आरईआरसी के प्रदर्शन की समीक्षा और विश्लेषण किया है और इसकी चर्चा **उप-अनुच्छेद 2.6.1 से 2.6.15** तक की गई है। आरईआरसी की विनियम बनाने की, उक्त विनिर्मित विनियमों की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता के अतिरिक्त, एवं विवादों पर अधिनिर्णय की शक्तियों की लेखापरीक्षा नहीं की गई है।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

2.6.1 लेखापरीक्षा यह आंकलन करने के लिए की गई थी कि क्या:

- टैरिफ के निर्धारण के लिए अधिनियम के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप एक दक्ष एवं प्रभावी प्रक्रिया अस्तित्व में है;
- यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी निगरानी तंत्र अस्तित्व में था कि संस्थाएँ निष्पादन के निर्धारित मानक एवं उपभोक्ता शिकायत के निवारण का पालन करती हैं; एवं
- आरईआरसी राजस्थान सरकार को इसको संदर्भित मामलों में सलाह देने एवं विद्युत के नवीकरणीय स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देने के अपने कार्यों का निर्वहन करने में तत्पर था।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.6.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष राज्य सरकार के साथ-साथ आरईआरसी को सूचित किए गये थे (मार्च 2022)। आरईआरसी द्वारा प्रस्तुत (अप्रैल 2022) उत्तर राज्य सरकार द्वारा पृष्ठांकित किया गया था एवं उसे सम्मिलित कर लिया गया है।

कार्यकारी कार्य

2.6.3 अधिनियम 2003 की धारा 86 (1) में अन्य बातों के साथ-साथ आरईआरसी के निम्नलिस्थित कार्यकारी कार्य सम्मिलित हैं:

- **राज्य के भीतर, थोक, बल्क या खुदरा, जैसा भी मामला हो, विद्युत के उत्पादन, आपूर्ति, पारेषण और व्हीलिंग के लिए टैरिफ का निर्धारण करना;**
- **विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारियो की विद्युत क्रय एवं उपापन प्रक्रिया को विनियमित करना, जिसके अंतर्गत वह कीमत भी है जिस पर, राज्य में वितरण एवं आपूर्ति के लिए विद्युत क्रय के करारों के माध्यम से उत्पादन कंपनियों/ अनुज्ञप्तिधारियो/अन्य स्रोतों से विद्युत क्रय की जाएगी;**
- **किसी व्यक्ति को, विद्युत की ग्रिड के साथ संयोजकता एवं उसके विक्रय के लिए उपयुक्त साधन उपलब्ध करवाते हुए ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से सहउत्पादन एवं उत्पादन को बढ़ावा देना तथा ऐसे स्रोतों से विद्युत के क्रय के लिए, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्र में विद्युत की कुल खपत का एक प्रतिशत निर्दिष्ट करना; एवं**
- **अनुज्ञप्तिधारियो द्वारा सेवाओं की गुणवत्ता, निरंतरता एवं विश्वसनीयता के संबंध में मानदंड विनिर्दिष्ट या प्रवर्तित करना।**

आरईआरसी के कार्यकारी कार्यकलापों पर निष्कर्षों पर चर्चा नीचे की गई है:

टैरिफ का निर्धारण

टैरिफ एवं समग्र राजस्व आवश्यकता

2.6.4 अधिनियम 2003 की धारा 62 (टैरिफ का निर्धारण) में प्रावधान है कि एक एसईआरसी एक वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उत्पादन कंपनी द्वारा विद्युत की आपूर्ति; विद्युत पारेषण; विद्युत व्हीलिंग एवं विद्युत की खुदरा बिक्री (वितरण) के लिए टैरिफ निर्धारित करेगा।

आरईआरसी ने 2014-15 से 2018-19 एवं 2019-20 से 2023-24 तक की पांच वर्षों की अवधि हेतु क्रमशः आरईआरसी (टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम व शर्तें) विनियम 2014 (टैरिफ विनियम 2014) तथा टैरिफ विनियम 2019 अधिसूचित किया (24 फरवरी 2014 एवं 10 मई 2019)। टैरिफ के अनुमोदन के अतिरिक्त, दोनों टैरिफ विनियमों में समग्र राजस्व आवश्यकता (एआरआर[6]) एवं उनके ट्रूइंग-अप[7] के अनुमोदन हेतु प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।

टैरिफ के निर्धारण एवं एआरआर के अनुमोदन की प्रक्रिया (उनके ट्रूइंग अप सहित) को नीचे दिए गए प्रवाह चार्ट में दर्शाया गया है:

चार्ट 2.1: टैरिफ निर्धारण की प्रक्रिया



वर्ष 2016-21 के दौरान, आरईआरसी ने तीन उत्पादन कंपनियों[8], एक राज्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारी[9], जो राज्य भार प्रेषण केंद्र (एसएलडीसी) का भी रखरखाव कर रहा था, तथा

[6] एआरआर का अर्थ है टैरिफ के माध्यम से अपने व्यवसाय से संबंधित स्वीकार्य खर्चों और इक्विटी पूंजी पर रिटर्न की वसूली के लिए उत्पादक कंपनी/लाइसेंसधारी की आवश्यकता।

[7] ट्रूइंग-अप का अर्थ है एआरआर के तहत निर्धारित अनुमानित/अनुमानित राशि के विरुद्ध लाइसेंसधारी द्वारा खर्च की गई वास्तविक राशि का समायोजन।

[8] राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल), गिरल लिग्नाइट पावर लिमिटेड (जीएलपीएल) एंड राज वेस्ट पॉवर लिमिटेड (आरडब्ल्युपीएल)।

[9] राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (आरआरवीपीएनएल)।

तीन वितरण अनुज्ञाप्तिधारियों[10] का टैरिफ निर्धारण एवं एआरआर व उनके ट्रूइंग-अप का अनुमोदन किया। उत्पादन कंपनियों एवं पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों के संबंध में, जहां टैरिफ निविदा की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित किया गया था, आरईआरसी ने ऐसे टैरिफ को अधिनियम 2003 की धारा 63 के अनुसार अपनाया।

एआरआर के अनुमोदन एवं टैरिफके निर्धारण हेतु आवेदनों का प्रस्तुतीकरण

2.6.5 अधिनियम 2003 की धारा 64 (टैरिफ आदेश हेतु प्रक्रिया) में प्रावधान है कि उत्पादन कंपनी/ अनुज्ञप्तिधारी द्वारा टैरिफ के निर्धारण हेतु आवेदन किया जाएगा।

आरईआरसी (टैरिफ के निर्धारण हेतु नियम व शर्तें) विनियम 2014/2019 (टैरिफ विनियम) के विनियम संख्या 6 में प्रावधान है कि प्रत्येक उत्पादन कंपनी/अनुज्ञप्तिधारी आगामी वर्ष के लिए एआरआर के अनुमोदन एवं टैरिफ के निर्धारण हेतु प्रत्येक वर्ष के 30 नवंबर तक आवेदन/ याचिका दायर करेगा।

लेखापरीक्षा ने एआरआर के अनुमोदन हेतु उत्पादन कंपनियों एवं पारेषण/वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों/याचिकाओं की समयबद्धता तथा 2016-17 से 2021-22 तक की अवधि के लिए टैरिफ के निर्धारण का विश्लेषण किया। टैरिफ आवेदनों की प्राप्ति में निर्धारित समयसीमा से अधिक विलंब निम्न प्रकार था:

तालिका 2.1: 2016-17 से 2021-22 तक की अवधि के लिए आवेदनों को प्रस्तुत किए जाने में विलंब

(विलंब दिनों में)

विनियमित इकाई का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
आरआरवीयूएनएल	134	44	54	11	विलंब नहीं	32
जीएलपीएल	207	63	32	14	विलंब नहीं	120*
आरडब्ल्यूपीएल[11]	232	विलंब नहीं	विलंब नहीं	विलंब नहीं	विलंब नहीं	120*
आरआरवीपीएनएल (एसएलडीसी को सम्मिलित करते हुए)	42	62	27	50	विलंब नहीं	31
राज्य के तीन डिस्कॉम्स	427-428	61-62	विलंब नहीं	56	360	विलंब नहीं

* 31 मार्च 2021 तक दायर नहीं की गई।

स्रोतः आरईआरसी द्वारा जारी टैरिफ एवं एआरआर आदेशों के आधार पर संकलित जानकारी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ऐसे प्रकरण थे जहां संबंधित वित्तीय वर्ष शुरू होने के पश्चात भी आवेदन दायर किए गए थे।

[10] तीन राज्य डिस्कॉम्स यथा जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड.

[11] अक्टूबर 2018 में इसका नाम बदलकर जेएसडब्ल्यू एनर्जी (बाड़मेर) लिमिटेड रख दिया गया।

आरईआरसी ने कहा (अप्रैल 2022) कि विनियमित संस्थाएं विलंब के प्रकरण में समय विस्तार की मांग करती हैं। आरईआरसी ने आगे कहा (फरवरी 2024) कि डिस्कॉम्स ने 2023-24 के लिए एआरआर और टैरिफ आवेदन समय पर दायर किए (30 नवंबर 2022)।

उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि आरईआरसी विनियमित संस्थाओं द्वारा समय पर आवेदन जमा करना सुनिश्चित करने में असमर्थ था। यदि आरईआरसी ने अपने टैरिफ विनियमों में अधिनियम 2003 की धारा 142 के अनुसार दंडात्मक प्रावधान निर्धारित किया होता, तो यह विनियमित संस्थाओं को समय पर आवेदन जमा करने के लिए बाध्य कर सकता था। विनियमित संस्थाओं द्वारा एआरआर के लिए आवेदन जमा करने में देरी से आगामी वर्ष के लिए टैरिफ के अनुमोदन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।

सिफारिश 1: विनियमों की ठोस अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु आरईआरसी प्रासंगिक विनियमों के माध्यम से आवश्यक दंडात्मक प्रावधानों को लागू कर सकती है।

आरईआरसी द्वारा टैरिफ का निर्धारण

2.6.6 अधिनियम 2003 की धारा 64 (टैरिफ आदेश हेतु प्रक्रिया) में प्रावधान है कि एसईआरसी आवेदन प्राप्ति के 120 दिवस के भीतर ऐसे संशोधनों/शर्तों के साथ, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट किए जा सकते हैं, स्वीकार करते हुए या तो टैरिफ आदेश जारी करेगा अथवा लेखबद्ध किए गये कारणों से आवेदन को अस्वीकार करेगा। इसके अलावा, प्रत्येक आवेदक को एसईआरसी द्वारा निर्दिष्टानुसार आवेदन प्रकाशित करना था।

एपीटीईएल ने भी सभी एसईआरसी को (नवम्बर, 2011) निर्देश जारी किए जिसमें यह वर्णित था कि प्रत्येक एसईआरसी को संबंधित टैरिफ वर्ष की 1 अप्रैल से पूर्व टैरिफ का निर्धारण सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही, आवेदन दायर करने में एक माह से अधिक विलंब की स्थिति में, एसईआरसी को वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के लिए टैरिफ के निर्धारण हेतु स्वतः कार्यवाही प्रारंभ करनी चाहिए। इन निर्देशों को भारत सरकार द्वारा टैरिफ नीति 2016 में भी दोहराया गया था जिसमें वर्णित था कि विलंब के कारण कोई भी अंतराल वितरण अनुज्ञप्तिधारी के पेटे होगा।

2016-17 से 2021-22 से संबंधित टैरिफ आवेदनों के संबंध में टैरिफ आदेश जारी करने में निर्धारित अवधि से अधिक लिए गये समय का विवरण नीचे दिया गया था:

तालिका 2.2: 2016-17 से 2021-22 की अवधि के लिए टैरिफ आवेदनों को आदेश जारी करने/अस्वीकार करने में विलंब

(विलंब दिनों में)

विनियमित इकाई का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
आरआरवीयूएनएल	68	38	विलंब नहीं	60	167	249
जीएलपीएल	46	307	27	126*	142*	दायर नहीं किया गया

विनियमित इकाई का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
आरडब्ल्यूपीएल	215	415	443	विलंब नहीं#	विलंब नहीं#	दायर नहीं किया गया
आरआरवीपीएनएल (एसएलडीसी को सम्मिलित करते हुए)	154	विलंब नहीं	7	65	198	237
राज्य के तीन डिस्कॉम	155-156	155-156	59	64	245	245

* विनियमित संस्थाओं के संयंत्रों के परिचालन में नहीं रहने के कारण आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया।
आरईआरसी ने कोयला अंतरण मूल्य पर निर्णय लंबित रहने के कारण अंतरिम टैरिफ निर्धारित किया।
स्रोतः आरईआरसी द्वारा जारी टैरिफ एवं एआरआर आदेशों के आधार पर संकलित सूचना।

लेखापरीक्षा ने देखा कि आरईआरसी अधिनियम 2003 में निर्धारित समय सीमा के भीतर टैरिफ का निर्धारण नहीं कर सका। इसके अलावा, टैरिफ का निर्धारण उस वित्तीय वर्ष के प्रारंभ के बाद किया गया था जिसके लिए इसे लागू किया जाना था। विलंब मुख्य रूप से विनियमित संस्थाओं से पूर्ण आवेदन की स्वीकृति सुनिश्चित नहीं किए जाने के कारण था। साथ ही, आरईआरसी ने विनियमित संस्थाओं से अतिरिक्त जानकारी/आंकड़े प्राप्त करने एवं जन सुनवाई पूर्ण होने के पश्चात भी टैरिफ आदेश जारी करने में लंबा समय लिया। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि आरईआरसी ने किसी भी प्रकरण में, जहां राज्य डिस्कॉम्स द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए जाने में एक माह से अधिक का विलंब हुआ था, टैरिफ के निर्धारण के लिए स्वतः कार्यवाही शुरू नहीं की थी। परिणामस्वरूप, आरईआरसी संबंधित टैरिफ वर्ष के प्रारंभ होने से पूर्व टैरिफ का निर्धारण सुनिश्चित नहीं कर सका।

आरईआरसी ने अधिनियम 2003 की धारा 64 के प्रावधानों को उद्धृत करते हुए कहा (अप्रैल 2022) कि आवेदन पर निर्णय लेने हेतु 120 दिनों की गणना उस तिथि से की जानी चाहिए जिस तिथि को आवेदक द्वारा आवेदन पूर्ण किया गया है न कि दायर करने की तिथि से। आरईआरसी ने आरआरवीयूएनएल और आरआरवीपीएनएल के लिए टैरिफ ऑर्डर जारी करने में देरी के संबंध में, आगे कहा (फरवरी 2024) कि वह आम तौर पर समयसीमा का पालन करता है, हालांकि आवेदन दाखिल करने, हितधारकों के टिप्पणियों/सुझावों पर उत्तर प्रस्तुत करने, अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करने आदि, में देरी के कारण कुछ देरी हुई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अधिनियम 2003 में स्पष्ट रूप से टैरिफ आदेश जारी करने अथवा इसे अस्वीकृत करने, यदि यह निर्धारित रूप में नहीं पाया जाता है, हेतु आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 120 दिनों की समय सीमा वर्णित है एवं इसलिए, आरईआरसी को अधिनियम 2003 के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर टैरिफ आदेश जारी करना सुनिश्चित करना आवश्यक था। साथ ही, टैरिफ के निर्धारण में विलंब ने वितरण अनुज्ञप्तिधारियों पर अतिरिक्त भार डाला डाला क्योंकि उत्पादन कंपनियां एवं पारेषण अनुज्ञप्तिधारी संशोधित टैरिफ की वसूली उनसे पूर्वव्यापी तिथि से कर सकती हैं जबकि उन्हें संशोधित टैरिफ आगामी तिथि से लागू करना होगा। 2016-21 के दौरान, डिस्कॉम के लिए ₹ 4,817 करोड़ की अनुमानित राजस्व वृद्धि के साथ

वर्ष 2019-20 के लिए टैरिफ को संशोधित किया गया था। हालाँकि, डिस्कॉम द्वारा आवेदन और आरईआरसी द्वारा अनुमोदन में देरी के कारण संशोधित टैरिफ आदेश 01 अप्रैल 2019 की लागू तिथि के बजाय 01 फरवरी 2020 से लागू हुआ। इस प्रकार, चूंकि टैरिफ संशोधन कम अवधि के लिए प्रभावी था, वर्ष 2019-20 हेतु डिस्कॉम के लिए अतिरिक्त राजस्व केवल ₹ 792 करोड़ बैठता है।

एआरआर का ट्रूइंग-अप

2.6.7 (i) टैरिफ विनियमों के विनियम संख्या 6 (विनियम संख्या 5 के साथ पठित) में प्रावधान है कि प्रत्येक उत्पादन कंपनी/अनुज्ञप्तिधारी, प्रत्येक वर्ष 30 नवंबर तक, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर गत वर्ष के एआरआर के ट्रूइंग-अप हेतु आवेदन/याचिका दायर करेगा।

लेखापरीक्षा ने उत्पादन कंपनियों एवं पारेषण/वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा 2014-15 से 2019-20 की अवधि के लिए एआरआर के ट्रूइंग-अप हेतु प्रस्तुत आवेदनों/याचिकाओं की समयबद्धता का विश्लेषण किया। टैरिफ आवेदनों की प्राप्ति में निर्धारित समयसीमा के पश्चात विलंब निम्नानुसार था:

तालिका 2.3: 2014-15 से 2019-20 तक की अवधि के लिए एआरआर के ट्रूइंग-अप हेतु आवेदनों को प्रस्तुत किए जाने में विलंब

(विलंब दिनों में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
आरआरवीयूएनएल	410	44	54	31	विलंब नहीं	32
जीएलपीएल	763	397	32	31	विलंब नहीं	लागू नही*
आरडब्ल्यूपीएल	एआरआर के ट्रूइंग-अप हेतु आवेदन प्राप्त नहीं हुए थे क्योंकि एआरआर के अनुमोदन अनंतिम थे।					
आरआरवीपीएनएल (एसएलडीसी को सम्मिलित करते हुए)	58	62	27	50	विलंब नहीं	36
राज्य के तीन डिस्कॉम	375-382	9-16	विलंब नहीं	0-1	47-58	1-29

* लागू नहीं है क्योंकि एआरआर एवं टैरिफ के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था।

स्रोतः एआरआर के ट्रूइंग-अप के लिए आरईआरसी द्वारा जारी आदेशों के आधार पर संकलित सूचना।

लेखापरीक्षा ने देखा कि आरईआरसी ने टैरिफ विनियमों की अनुपालना नहीं किए जाने हेतु विनियमित संस्थाओं के विरुद्ध अधिनियम 2003 की धारा 142 के अंतर्गत कोई दंडात्मक कार्रवाई प्रारंभ नहीं की थी।

(ii) एपीटीईएल ने अपने निर्देशों में कहा (नवम्बर, 2011) कि प्रत्येक एसईआरसी को सुनिश्चित करना होगा कि एआरआर के ट्रू-अप वर्ष-दर-वर्ष आधार पर विनियमों में निर्दिष्ट समयसीमा के अनुसार करना है। इस प्रकार, एआरआर का ट्रू-अप अगले वर्ष में किया जाना है।

2014-15 से 2019-20 की अवधियों के लिए अनुसूचित के साथ-साथ एआरआर का ट्रू-अप वर्ष एवं आरईआरसी द्वारा एआरआर के ट्रूइंग-अप हेतु लिया गया समय यथा आवेदन प्राप्त होने से सूचना मांगने में, विनियमित संस्थाओं से सूचना प्राप्त करने में एवं तत्पश्चात ट्रूइंग-अप निर्णय लेने का विवरण निम्नानुसार था:

तालिका 2.4: 2014-15 से 2019-20 तक की अवधि हेतु अनुसूचित के साथ-साथ एआरआर का ट्रू-अप वर्ष एवं एआरआर के ट्रूइंग-अप के लिए लिया गया समय

(समय दिनों में)

विनियमित संस्था का नाम	एआरआर का वर्ष		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
	ट्रू-अप का अनुसूचित वर्ष		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
आरआरवीयूएनएल	ट्रू-अप वर्ष		2017-18	2017-18	2019-20	2019-20	2020-21	2021-22
	समय लिया गया	सूचना मांगने में	48	48	56	99	48	215
		सूचना प्राप्त करने में	78	78	34	30	123	112
		निर्णय लेने में	32	32	25	88	116	21
		कुल समय	158	158	115	217	287	348
जीएलपीएल	ट्रू-अप वर्ष		2018-19	2018-19	2018-19	2019-20	2020-21	लागू नहीं*
	समय लिया गया	सूचना मांगने में	99	99	99	99	लागू नहीं	लागू नहीं
		सूचना प्राप्त करने में	10	10	10	23	लागू नहीं	
		निर्णय लेने में	38	38	38	89	लागू नहीं	
		कुल समय	147	147	147	211	262	
आरडब्ल्यूपीएल	एआरआर का ट्रूइंग-अप नहीं किया गया था क्योंकि एआरआर का अनुमोदन अनंतिम था।							
आरआरवीपीएनएल (एसएलडीसी को सम्मिलित करते हुए)	ट्रू-अप वर्ष		2017-18	2017-18	2019-20	2019-20	2020-21	2021-22
	समय लिया गया	सूचना मांगने में	63	27	15	22	48	223
		सूचना प्राप्त करने में	47	25	76	135	123	110
		निर्णय लेने में	164	63	36	28	147	24
		कुल समय	274	115	127	185	318	357
राज्य के तीन डिस्कॉम	ट्रू-अप वर्ष		2017-18	2017-18	2019-20	2019-20	2020-21	2021-22
	समय लिया गया	सूचना मांगने में	31	31	70	38	37	56
		सूचना प्राप्त करने में	113	113		130	160	113
		निर्णय लेने में	149	149	109	228	169	83
		कुल समय	293-300	293-300	179	396-397	366-377	252-286

* लागू नहीं है क्योंकि एआरआर एवं टैरिफ के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था।

स्रोतः एआरआर के ट्रूइंग-अप हेतु आरईआरसी द्वारा जारी आदेशों के आधार पर संकलित जानकारी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि आरईआरसी ने विनियमित संस्थाओं से संपूर्ण ट्रू-अप आवेदन की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं की थी। इसने विनियमित संस्थाओं से सूचना प्राप्त करने में (15 दिवसों एवं 223 दिवसों की सीमा के मध्य) एवं वांछित सूचना प्राप्त होने के पश्चात आवेदनों पर निर्णय लेने में (21 दिवसों एवं 228 दिवसों की सीमा के मध्य) भी अत्यधिक समय लिया। इस प्रकार, आरईआरसी ने ट्रू-अप आदेशों को जारी कर ट्रूइंग-अप प्रक्रिया को पूर्ण करने में 397 दिवसों की सीमा तक लंबा समय लिया। साथ ही, आरईआरसी ने वर्ष-दर-वर्ष आधार पर एआरआर के ट्रूइंग-अप नहीं किए थे।

आरईआरसी ने अधिनियम 2003 की धारा 64 के प्रावधानों को उद्धृत करते हुए कहा (अप्रैल 2022) कि ट्रू-अप आदेशों के निर्णय हेतु 120 दिनों की गणना उस तिथि से की जानी चाहिए जिस तिथि को आवेदक द्वारा आवेदन पूर्ण किया गया है। आरआरवीयूएनएल और आरआरवीपीएनएल के लिए ट्रू-अप आदेश जारी करने में देरी के संबंध में, आरईआरसी ने आगे कहा (फरवरी 2024) कि वह आम तौर पर समयसीमा का पालन करता है, हालांकि आवेदन दाखिल करने, हितधारकों के टिप्पणियों/सुझावों पर उत्तर प्रस्तुत करने, अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करने आदि, में देरी के कारण कुछ देरी हुई।

उत्तर विनियमित संस्थाओं द्वारा ट्रू-अप आवेदनों को प्रस्तुत करने में विलंब एवं आरईआरसी द्वारा अत्यधिक समय लिए जाने के संबंध में लेखापरीक्षा आक्षेपों को संबोधित नहीं करता था। अतः तथ्य यही रहा कि आरईआरसी वर्ष-दर-वर्ष आधार पर एआरआर के ट्रू-अप को सुनिश्चित नहीं कर सका।

सिफारिश 2: आरईआरसी अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा आवेदनों के प्रस्तुतीकरण एवं टैरिफ के निर्धारण के साथ-साथ एआरआर के अनुमोदन/ट्रू-अप हेतु निर्दिष्ट समय-सीमा की ठोस अनुपालना सुनिश्चित कर सकती है।

टैरिफ एवं एआरआर के घटक

2.6.8 अधिनियम 2003 की धारा 61 में वर्णित है कि एसईआरसी, टैरिफ के निर्धारण हेतु नियमों एवं शर्तों को निर्दिष्ट करते समय, कुछ कारकों/सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगी। इन कारकों/सिद्धांतों में अन्य बातों के साथ-साथ (i) वाणिज्यिक सिद्धांतों पर विद्युत का वितरण तथा आपूर्ति; (ii) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के साथ-साथ उचित तरीके से विद्युत की लागत की वसूली; (iii) टैरिफ विद्युत की आपूर्ति की लागत को उत्तरोत्तर दर्शाता हो; (iv) टैरिफ नीति इत्यादि शामिल हैं।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि आरईआरसी टैरिफ निर्धारण एवं उत्पादन कंपनियों/अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत की गई एआरआर को अनुमोदित करते समय विभिन्न कारकों को ध्यान में रखता है। लेखापरीक्षा ने अधिनियम 2003 में निर्दिष्ट प्रावधानों एवं उसके

तहत बनाए गए नियमों, आरईआरसी द्वारा अपनाए गए विनियमों आदि के साथ किसी भी असंगति का विश्लेषण करने के उद्देश्य से आरईआरसी द्वारा टैरिफ निर्धारण एवं एआरआर को अनुमोदित करते समय विचार किए गए घटकों की समीक्षा की। टैरिफ /एआरआर के घटकों यथा विनियामक संपत्ति/राजस्व अंतर एवं इसकी रस्वरस्वाब लागत के साथ-साथ इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) में पायी गई विसंगतियों की चर्चा **अनुच्छेद 2.6.9 व 2.6.10** में की गई है:

विनियामक संपत्ति/राजस्व अंतर

2.6.9 भारत सरकार द्वारा जारी टैरिफ नीति 2016 में प्रावधान किया गया था कि एसईआरसी द्वारा विनियामक संपत्ति[12] की सुविधा अत्यंत असाधारण अपवाद के रूप में अपनाई जानी चाहिए। साथ ही, परिस्थितियों को विनियमों के माध्यम से स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए एवं केवल प्राकृतिक कारणों या अप्रत्याशित घटना को ही सम्मिलित किया जाना चाहिए।

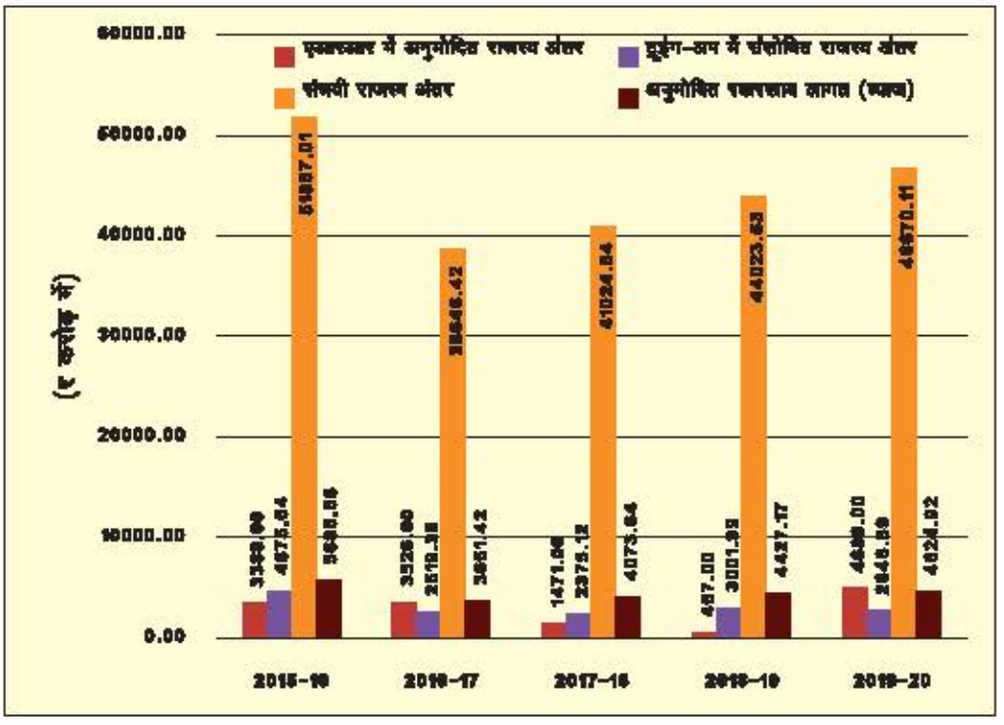
आरईआरसी द्वारा बनाए गए टैरिफ विनियमों 2009, 2014 एवं 2019 में भी यह प्रावधान किया गया है कि विनियामक संपत्ति केवल असाधारण परिस्थितियों जैसे कि अप्रत्याशित घटना, जैसे प्राकृतिक आपदाएं, अत्यधिक प्रभाव वाली अदालत की डिक्री इत्यादि में ही बनाई जाएगी न कि किसी विशेष वर्ष में टैरिफ वृद्धि को सीमित करने हेतु। इन विनियमों में यह भी प्रावधान किया गया है कि विनियामक संपत्ति का परिशोधन इस प्रकार किया जाएगा कि वह बहु-वर्षीय टैरिफ नियंत्रण अवधि के साथ समाप्त हो जाए तथा इसकी रस्वरस्वाब लागत को प्रत्येक वर्ष की राजस्व आवश्यकता में ऐसे समय तक जोड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए जब तक कि विनियामक संपत्ति का पूर्ण परिशोधन नहीं हो जाता।

2015-16 से 2019-20 की अवधि के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के टैरिफ एवं एआरआर पर आरईआरसी के आदेशों से उजागर हुआ कि आरईआरसी ने वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के एआरआर को राजस्व अंतर यथा वर्ष के लिए अनुमोदित व्यय एवं अनुमोदित राजस्व का अंतर के साथ अनुमोदित किया है। आरईआरसी ने इन अवधियों हेतु एआरआर के ट्रूइंग-अप करते हुए ऐसे अनुमोदित राजस्व अंतर को पुनः संशोधित किया। आरईआरसी ने वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को इसके द्वारा अनुमोदित प्रारंभिक संचयी राजस्व अंतर में रस्वरस्वाब लागत (ब्याज) को जोड़े जाने की भी अनुमति दी।

2015-16 से 2019-20 के दौरान अनुमोदित राजस्व अंतर एवं रस्वरस्वाब लागत (ब्याज) को नीचे **चार्ट 2.2** में दर्शाया गया है:

[12] विनियामक संपत्ति पहले से किए गए व्यय/नुकसान हैं जिन्हें स्थगित कर दिया गया है और भविष्य में टैरिफ संशोधन के माध्यम से नियामक अधिकारियों द्वारा उपभोक्ताओं से वसूल किया जा सकता है।

चार्ट 2.2: 2015-16 से 2019-20 के दौरान अनुमोदित किया गया राजस्व अंतर एवं एआरआर लागत



स्रोतः एआरआर के टूइंग अप हेतु आरईआरसी द्वारा जारी किए गये आदेश

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि संबंधित अवधि के दौरान वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की संचित हानियां ₹ 86,867.75 करोड़ से ₹ 94,633.19 करोड़ के मध्य थीं। साथ ही, राजस्थान सरकार द्वारा उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के तहत ₹ 46,816.47 करोड़ का अनुदान दिए जाने के उपरांत भी वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की संचित हानियों का स्तर लगभग अपरिवर्तित रहा। यह इंगित करता है कि संचित ऋण का एकमुश्त परिसमापन पर्याप्त नहीं था एवं ऐसे अन्य कारक थे, जिनकी बेहतर वित्तीय प्रबंधन/राजस्व अंतर को समाप्त करने हेतु समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

नीति आयोग ने अपने प्रतिवेदन (विद्युत वितरण क्षेत्र का परिवर्तन) में भी सुझाव दिया (अगस्त 2021) कि कोई नई विनियामक संपत्ति नहीं बनाई जानी चाहिए। साथ ही, विद्यमान विनियामक संपत्तियों को उचित टैरिफ परिवर्तनों के माध्यम से आगामी तीन से पांच वर्षों में एक परिभाषित अनुसूची के अनुसार समाप्त किया जाना चाहिए।

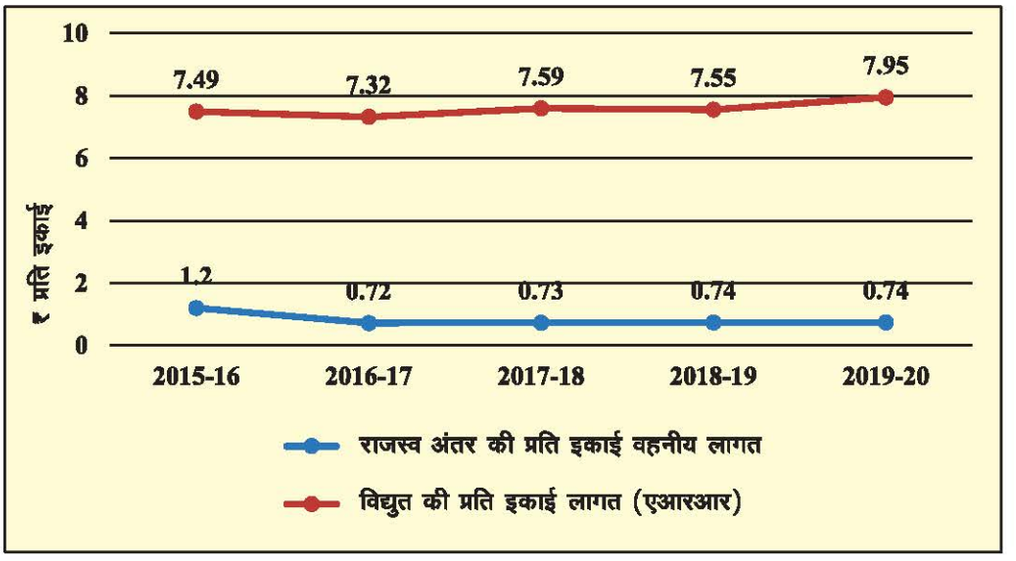
चूंकि वितरण अनुज्ञप्तिधारी वाणिज्यिक संस्थाएं थीं, इसलिए वित्तीय वर्ष हेतु उनका राजस्व अनुमान वर्ष के लिए परिकल्पित व्यय की तुलना में अधिक होना चाहिए था। तथापि, 2015-16 से 2019-20 के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दायर टैरिफ तथा एआरआर आवेदनों एवं टूइंग-अप आवेदनों ने विपरीत स्थिति को दर्शाया क्योंकि उन्होंने ₹ 4,816.04 करोड़ एवं ₹ 11,240.77 करोड़ के मध्य सारभूत राजस्व अंतर का दावा किया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

(i) आरईआरसी ने वर्ष-दर-वर्ष आधार पर राजस्व अंतर को जोड़े जाने की अनुमति दी, जिसे एक असाधारण परिस्थिति के रूप में नहीं माना जा सकता है। अतः, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के एआरआर/एआरआर के ट्रूइंग-अप में 2015-16 से 2019-20 की अवधि हेतु अनुमोदित किया गया राजस्व अंतर अधिनियम 2003 के प्रावधानों, भारत सरकार की टैरिफ नीति एवं आरईआरसी द्वारा स्वयं जारी किए गये टैरिफ विनियमों के अनुरूप नहीं था। साथ ही, आरईआरसी वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के संचित राजस्व अंतर का परिशोधन किए जाने हेतु कोई तंत्र विकसित नहीं कर सका;

(ii) आरईआरसी ने राजस्व अंतर की वहनीय लागत को अनुमत किया एवं इसे वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के प्रारंभिक संचयी राजस्व अंतर में जोड़े जाने की अनुमति दी। विद्युत की प्रति इकाई लागत में राजस्व अंतर की वहनीय लागत का अंश महत्वपूर्ण था क्योंकि यह 2015-20 के दौरान 9.31 प्रतिशत एवं 16.02 प्रतिशत के मध्य था, जैसा कि नीचे **चार्ट 2.3** में दर्शाया गया है:

चार्ट 2.3: राजस्व अंतर की वहनीय लागत के साथ-साथ विद्युत की लागत



स्रोतः एआरआर के ट्रूइंग अप हेतु आरईआरसी द्वारा जारी किए गये आदेश

(iii) राजस्व अंतर अनुमत्य किए जाने की प्रक्रिया को जारी रखे जाने के कारण, आरईआरसी द्वारा प्रत्येक पांच वर्षों के दौरान संचित राजस्व अंतर पर अनुमोदित की गई वहनीय लागत संबंधित वर्ष हेतु अनुमोदित राजस्व अंतर की राशि को पार कर गई थी, जैसा कि चार्ट 2.2 में दर्शाया गया है; एवं

(iv) आरईआरसी ने विलंब से (मार्च 2021) राजस्थान सरकार को राज्य डिस्कॉम्स के निष्पादन की निगरानी के लिए तत्काल एक टास्क फोर्स का गठन करने एवं उनकी

परिचालन दक्षता तथा वित्तीय प्रबंधन में सुधार हेतु सुधारात्मक उपाय करने की सलाह दी। राजस्थान सरकार ने मार्च 2022 तक सलाह पर कोई उत्तर नहीं दिया था।

आरईआरसी ने कहा (अप्रैल 2022) कि टैरिफ आदेश उचित प्रक्रिया का पालन करने, हितधारकों के सुझावों/आपत्तियों पर विचार कर एवं उच्चतम न्यायालय, एपीटीईएल के आदेशों, राष्ट्रीय टैरिफ नीति (एनटीपी), राष्ट्रीय विद्युत नीति आदि के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, उपभोक्ता हितों तथा विद्युत की लागत की वसूली के मध्य संतुलन बनाए रखने के पश्चात जारी किया जाता है। इसमें आगे कहा कि विनियामक संपत्तियों का परिशोधन तभी संभव होगा जब वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के पास विनियामक संपत्तियों को समायोजित करने के लिए अधिशेष राजस्व होगा। आरईआरसी ने आगे कहा कि इसने इसके नवीन आदेश (24 नवम्बर 2021) से अंतर को कम करना प्रारंभ कर दिया है जिससे कि विनियामक अंतर को परिशोधित किया जा सके।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एनटीपी 2016 विनियामक संपत्तियों को बनाए जाने को प्रतिबंधित करती है। साथ ही, संचित विनियामक अंतर ने न केवल उपभोक्ताओं को टैरिफ के आघात की संभावना है अपितु डिस्कॉम्स हेतु भी भार रहेगा जिनको कि राजस्व अंतर को पूर्ण करने के लिए ऋण लेना होगा। आरईआरसी डिस्कॉम्स के राजस्व अंतरों, जो कि गत वर्षों में जोखिम के खतरनाक स्तर तक संचित हो गए थे, को कम/परिशोधन करने हेतु कोई तंत्र विकसित नहीं कर सका।

आरईआरसी ने सूचित किया (फरवरी 2024) कि उसने 2022-23 और 2023-24 के लिए एआरआर आदेशों में कोई नई विनियामक संपत्ति नहीं बनाई है और राजस्व अधिशेष के समक्ष नियामक अधिभार, टैरिफ वृद्धि या समायोजन लगाकर नियामक संपत्तियों के परिशोधन के संबंध में विचार किया है।

सिफारिश 3: आरईआसी वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की दक्षता सुधारने हेतु कठोर उपाय कर सकती है एवं राजस्व अंतर केवल असाधारण परिस्थितियों, जैसा कि पूर्व निर्दिष्ट है, में ही अनुमत कर सकती है।

पूंजी पर प्रतिफल

2.6.10 टैरिफ विनियम 2014 के विनियम संख्या 20 में प्रावधान है कि पूंजी पर प्रतिफल (आरओई) की गणना उत्पादन कंपनियों तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों के लिए 15.50 प्रतिशत की दर से एवं वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के लिए 16 प्रतिशत की दर से की जाएगी। आरईआरसी ने टैरिफ विनियम 2019 के विनियम संख्या 20 के तहत आरओई की दर को संशोधित कर पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों तथा एसएलडीसी के लिए 14 प्रतिशत एवं उत्पादन कंपनियों के लिए 15 प्रतिशत कर दिया।

राजस्थान विद्युत क्षेत्र वित्तीय पुनर्गठन योजना (एफआरपी-2013) के खंड 4.2 (पूंजी पर प्रतिफल) में वर्णित है (जून 2013) कि 2021-22 तक प्रक्षेपण अवधि के दौरान राज्य के तीन

वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के लिए किसी आरओई को माना नहीं गया है। इसमें आगे वर्णित है कि राजस्थान सरकार ने इसी अवधि के दौरान आरआरवीयूएनएल (राजस्थान सरकार की उत्पादन कंपनी) तथा आरआरवीपीएनएल (पारेषण अनुज्ञप्तिधारी) से किसी भी आरओई पर विचार नहीं करने के लिए भी प्रतिबद्ध किया है।

साथ ही, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों ने 2015-16 से 2018-19 और 2020-21 की अवधि के लिए किसी आरओई का दावा नहीं किया था। उन्होनें 2019-20 की अवधि हेतु टैरिफ एवं एआरआर आवेदन में आरओई (₹ 840.00 करोड़) का दावा किया था, जिसे आरईआरसी ने नहीं माना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आरआरवीपीएनएल एवं आरआरवीयूएनएल ने 2015-16 से 2020-21 तक की अवधियों के लिए उनके टैरिफ तथा एआरआर आवेदनों में आरओई का दावा किया। आरईआरसी ने, एआरआर एवं इसके ट्रूइंग-अप को अनुमोदित करते समय इन अवधियों हेतु आरओई को ध्यान में रखा, जैसा कि नीचे दिया गया है:

तालिका 2.5: आरआरवीपीएनएल एवं आरआरवीयूएनएल को 2015-16 से 2020-21 के दौरान अनुमत्य की गई आरओई

वित्तीय वर्ष	आरआरवीपीएनएल को अनुमत्य की गई आरओई		आरआरवीयूएनएल को अनुमत्य की गई आरओई	
	राशि (₹ करोड़ में)	%	राशि (₹ करोड़ में)	%
2015-16	259.53	8.00	201.25	5.00
2016-17	427.78	12.00	700.40	15.50
2017-18	75.74	2.00	752.59	15.50
2018-19	79.94	2.00	788.00	15.50
2019-20	83.80	2.00	0.00**	0.00
2020-21	95.69*	2.00	955.21*	15.00
कुल	**1022.48**		**3397.45**	

* एआरआर को अनुमति दिए जाने के आदेशों के आधार पर।

** आरआरवीयूएनएल ने एआरआर (15 प्रतिशत) में अनुमत आरओई के विपरीत, राजस्थान सरकार की अनुमति के अनुसार ट्रू-अप आवेदन में शून्य आरओई का दावा किया।

स्रोतः एआरआर के ट्रूइंग-अप के आदेश।

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

(i) आरआरवीपीएनएल एवं आरआरवीएनएल ने टैरिफ तथा एआरआर एवं एआरआर के ट्रूइंग-अप हेतु प्रस्तुत किए गये आवेदनों में आरओई का दावा करते समय एफआरपी-2013 के तहत राजस्थान सरकार की प्रतिबद्धता, जिसमें इन दोनों राजकीय उपक्रमों को 2021-22 तक कोई आरओई का दावा करने के लिए प्रतिबंधित किया गया था, को उजागर नहीं किया था। आरईआरसी ने भी एआरआर का विश्लेषण/एआरआर के ट्रूइंग अप करते समय इस प्रतिबद्धता पर विचार नहीं किया था। परिणामस्वरूप, आरईआरसी

ने 2015-16 से 2020-21 की अवधि के लिए आरआरवीपीएनएल एवं आरआरवीयूएनएल के एआरआर में आरओई अनुमोदित की, जबकि यह अस्वीकृत की जानी चाहिए थी।

(ii) लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि राजस्थान सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता के विपरीत वर्ष 2015-16 से 2017-18 के लिए आरआरवीपीएनएल और आरआरवीयूएनएल को आरओई के लिए मंजूरी दे दी। हालाँकि, यद्यपि सरकार ने वर्ष 2018-21 के लिए अनुमोदन से इनकार कर दिया (जनवरी 2020 और अगस्त 2020), आरईआरसी ने राजस्थान सरकार की उचित मंजूरी सुनिश्चित किए बिना 2018-21 के लिए आरआरवीयूएनएल और आरआरवीपीएनएल को आरओई की अनुमति दी, जबकि डिस्कॉम्स के मामले में सरकार ने वर्ष 2019-20 उचित अनुमोदन के अभाव के कारण दावे को अस्वीकार कर दिया।

इस प्रकार, आरईआरसी ने अपने विनियमों में आरओई का प्रावधान करने के उपरांत भी, एआरआर में आरओई की अनुमति प्रदान करने एवं उनके ट्रूइंग अप में एक सार्वभौमिक तथा तर्कसंगत दृष्टिकोण को नहीं अपनाया था। इसने एफआरपी-2013 के तहत राजस्थान सरकार की प्रतिबद्धताओं का अवलोकन नहीं किया था एवं सभी प्रकरणों में राजस्थान सरकार की अपेक्षित स्वीकृति सुनिश्चित नहीं की थी।

लेखापरीक्षा में यह भी देखा कि आरईआरसी ने राजस्थान सरकार द्वारा दी गई पूंजी पर आरआरवीपीएनएल और आरआरवीयूएनएल द्वारा लाभांश का भुगतान न करने के तथ्य को नजरअंदाज कर दिया था और इन दो राज्य सार्वजनिक उपक्रमों को उनके विद्युत टैरिफ में 2016-21 के लिए लगातार ₹ 2002.64 करोड़[13] के आरओई की अनुमति दी।

आरईआरसी ने कहा कि टैरिफ विनियमों के अनुसार पूंजी पर प्रतिफल के संबंध में इसे राजस्थान सरकार की अनुमति प्राप्त किए जाने की आवश्यकता नहीं थी। इसमें आगे कहा कि एआरआर का दावा करते समय आरआरवीपीएनएल एवं आरआरवीयूएनएल द्वारा राजस्थान सरकार के दिशानिर्देशों की पालना की जानी थी अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रतिवादी के रूप में इसका विरोध किया जाना था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आरईआरसी ने वितरण अनुज्ञप्तिधारियों 2019-20 में आरओई अस्वीकार की क्योंकि उन्होने राजस्थान सरकार की अनुमति प्रस्तुत नहीं की थी इस प्रकार, आरईआरसी ने एक तरफ 2018-19 एवं 2020-21 के दौरान एआरआर एवं उनके ट्रूइंग-अप में आरओई की अनुमति देने तथा 2019-20 में इसे अस्वीकार कर अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाए।

[13] आरआरवीपीएनएलः ₹ 259.43 करोड़ एवं आरआरवीयूएनएलः ₹ 1743.21 करोड़।

आरईआरसी ने उत्तर दिया (फरवरी 2024) कि 2021-22 से, इसने आरआरवीपीएनएल और आरआरवीयूएनएल द्वारा दावा किए गए आरओई के लिए राजस्थान सरकार के अनुमोदन के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा था।

विद्युत क्रय अनुबंधों की संवीक्षा (पीपीए)

2.6.11 आरईआरसी (वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की विद्युत क्रय व प्रापण प्रक्रिया) विनियमों, 2004 के विनियम संख्या 7 में यह प्रावधान है कि वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा किए गए किसी भी नए विद्युत क्रय समझौते/ अनुबंध तथा विद्यमान अनुबंधों में संशोधन (निष्पादन के पश्चात) अधिनियम की धारा 86 के अंतर्गत आरईआरसी की संवीक्षा के अधीन होगा। आरईआरसी की संवीक्षा आवश्यकता; लागत की तर्कसंगतता; दक्षता, मितव्ययिता, समानता तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने; निवेश अनुमोदन हेतु विनियमों का अनुपालन; गुणवत्ता की आवश्यकता, निरंतरता एवं आपूर्ति की विश्वसनीयता के अनुरूप; सुरक्षा एवं पर्यावरण मानकों के अनुरूप; आरईआरसी द्वारा निर्दिष्ट विद्युत क्रय के मानदंड के अनुरूप; राजस्थान सरकार तथा राष्ट्रीय विद्युत नीतियों के नीति निर्देशों के अनुरूप होने के संबंध में की जानी थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि विनियमों में प्रावधान निर्धारित करने के उपरांत भी, आरईआरसी ने पीपीए की संवीक्षा करने हेतु कोई तंत्र विकसित नहीं किया था, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत (मई 2017) 37 पीपीए में से, इन पीपीए की जांच के संबंध में अभिलेखों में कुछ भी नहीं पाया गया था।

आरईआरसी ने कहा (अप्रैल 2022) कि विद्युत की आवश्यकता की जांच एआरआर और टैरिफ आदेशों के माध्यम से की जाती है। इसने प्रत्येक संयंत्र से विद्युत की आवश्यकता और लागत का भी विश्लेषण किया एवं ऊर्जा उपलब्धता और विद्युत क्रय मात्रा का आकलन किया। इसने आगे कहा कि डिस्कॉम्स द्वारा निष्पादित पीपीए का विवरण मांगा गया (अगस्त 2021) था एवं अवलोकन किया गया था। इसके अलावा, इसने (अक्टूबर 2021) तीन डिस्कॉम्स को एकीकृत रूप से 252 मेगावाट के पांच[14] पीपीए से बाहर निकलने की अनुमति दी एवं बोली के माध्यम से 266 मेगावाट तक की दीर्घकालिक विद्युत क्रय के लिए तीन डिस्कॉम्स के प्रस्ताव को भी मंजूरी नहीं दी (दिसंबर 2021) तथा उन्हें राज्य में विद्युत की उपलब्धता और मांग का पुनर्मूल्यांकन करने को कहा।

उत्तर प्रासंगिक नहीं था क्योंकि पांच पीपीए से बाहर निकलने की अनुमति देने वाले आदेश बहुत पहले (25 वर्ष से अधिक) निष्पादित पीपीए से संबंधित हैं। छठे मामले में, आरईआरसी ने मानक बोली दस्तावेज़ को अनुमोदित किए जाने से मना किया था। साथ ही, उत्तर मई 2017 में वितरण

[14] अंता गैस, औरिया गैस, दादरी गैस, एफयूजीटीपीएस (i), फरक्का टीपीएस विद्युत संयंत्र जो कि जनवरी 1994 में निष्पादित हुए।

अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत पीपीए की जांच नहीं किए जाने के मुद्दे पर मौन था, जिससे इंगित किया कि आरईआरसी ने इन पीपीए की समीक्षा नहीं की थी।

आरईआरसी ने सूचित किया (फरवरी 2024) कि उसने विभिन्न विनियमों के प्रावधानों पर विचार करने के बाद 2023-24 के दौरान 69 परियोजनाओं के पीपीए को मंजूरी दी थी ।

विद्युत के नवीकरणीय स्त्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देना

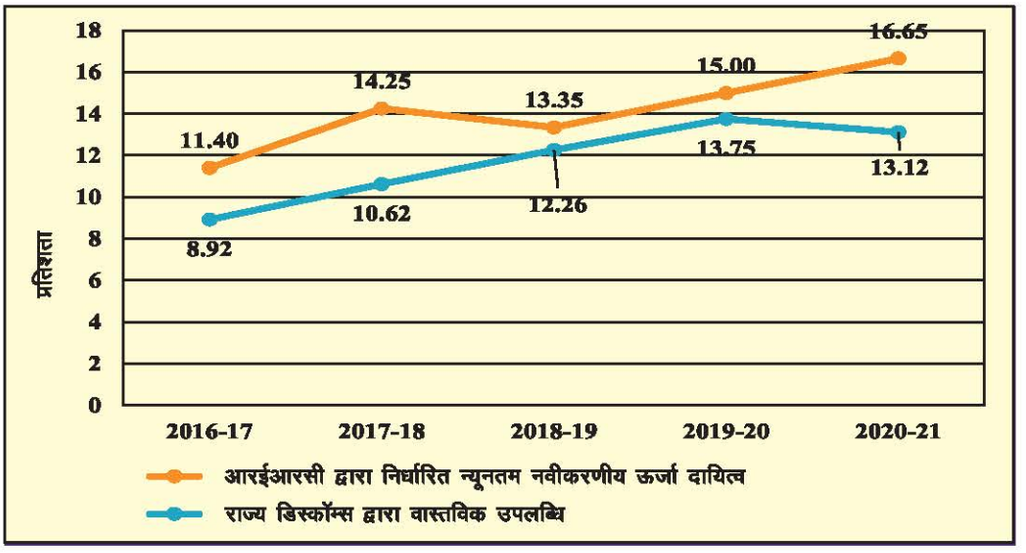
न्यूनतम नवीकरणीय ऊर्जा दायित्वों का अनुपालन

2.6.12 आरईआरसी ने आरईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र और नवीकरणीय क्रय दायित्व अनुपालन ढांचा) विनियम 2010 (विनियम 2010) को अधिसूचित किया (दिसंबर 2010)। विनियम में यह भी प्रावधान है कि विनियमित इकाई को क्रय दायित्व के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से उत्पन्न विद्युत का क्रय करना होगा तथा आरपीओ में किसी भी कमी को आगामी वित्त वर्ष के 30 जून तक नवीकरणीय ऊर्जा और/या आरईसी के क्रय से पूरा किया जा सकता है। साथ ही, आरईआरसी ने क्रमश 2016-17, 2017-18 से 2018-19 और 2019-20 से 2021-22 की अवधियों हेतु तीन राज्य डिस्कॉम्स[15] के लिए न्यूनतम नवीकरणीय ऊर्जा दायित्व का प्रतिशत निर्धारित किया (मई 2014, जून 2017, जनवरी 2019)।

2016-17 से 2020-21 (जनवरी 2021 तक) की अवधि के लिए आरईआरसी द्वारा निर्धारित न्यूनतम नवीकरणीय ऊर्जा दायित्व के समक्ष तीन राज्य डिस्कॉम की वास्तविक उपलब्धि **चार्ट 2.4** में दर्शाई गई है।

[15] जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।

चार्ट 2.4: 2016-17 से 2020-21 की अवधि के लिए आरईआरसी द्वारा निर्धारित न्यूनतम नवीकरणीय ऊर्जा दायित्वों की तुलना में वास्तविक उपलब्धि



स्रोतः आरआरईसीएल द्वारा रिपोर्ट किया गया आरपीओ अनुपालन।

लेखापरीक्षा में पाया कि राज्य डिस्कॉम्स 2016-17 से 2020-21 की अवधि के लिए आरईआरसी द्वारा निर्धारित प्रतिशत से बहुत पीछे रहे। इसके अलावा, राज्य डिस्कॉम्स में पूर्व अवधियों (मार्च 2016 तक) के लिए निर्धारित नवीकरणीय ऊर्जा दायित्वों के लक्ष्यों के समक्ष 11842 मिलियन इकाईयों (दिसंबर 2020) की भी कमी थी।

लेखापरीक्षा में देखा कि आरपीओ विनियमों एवं अधिनियम 2003 के तहत दंडात्मक प्रावधान निर्धारित करने के बावजूद, आरईआरसी इस अवधि के दौरान तीन राज्य डिस्कॉम्स पर निर्धारित न्यूनतम नवीकरणीय ऊर्जा दायित्व को लागू नहीं कर सका।

आरईआरसी ने कहा (अप्रैल 2022) कि मामलों के तथ्यों/परिस्थितियों पर विचार करने और ओई (राज्य डिस्कॉम सहित) द्वारा किए गए प्रयासों से संतुष्ट होने के बाद, उसने आदेश पारित किए और भविष्य के वर्षों में आरपीओ की पिछली कमी को हासिल करने की अनुमति दी थी।

इसलिए यह स्पष्ट था कि राज्य डिस्कॉम न तो निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा का क्रय कर रहे थे और न ही कमी के लिए नवीकरण ऊर्जा प्रमाणपत्रों की क्रय के संबंध में विनियम 2010 के प्रावधानों का पालन कर रहे थे। इसके बावजूद, आरईआरसी ने भविष्य के वर्षों में आरपीओ की कमी को पूर्ण करने के लिए समय-सीमा को बार-बार 2023-24 तक बढ़ाया।

अनुज्ञापत्रधारियों के लिए निष्पादन के मानक

2.6.13 आरईआरसी द्वारा, अधिनियम 2003 की धारा 57 (उपभोक्ता संरक्षणः अनुज्ञापत्रधारी के निष्पादन के मानक) और धारा 59 (निष्पादन के स्तर के संबंध में सूचना) में निहित प्रावधानों के अनुसार वितरण अनुज्ञापत्रधारियों के लिए आरईआरसी (अनुज्ञापत्रधारियों के लिए एसओपी) विनियम 2014 (डी-एसओपी विनियम 2014) निर्धारित किये (फरवरी 2014)। बाद में,

आरईआरसी ने वितरण अनुज्ञापत्रधारी हेतु आरईआरसी (वितरण अनुज्ञापत्रधारी के एसओपी) विनियम 2021 नामक (डी-एसओपी विनियम 2021) नए एसओपी निर्धारित किए (31 मार्च 2021)।

निष्पादन के अर्द्धवार्षिकी मानक (एसओपी) प्रतिवेदन प्रस्तुत करना

2.6.14 एसओपी विनियम 2014 के खंड 8 में कहा गया है कि वितरण अनुज्ञापत्रधारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 30 सितंबर और 31 मार्च से 45 दिनों के भीतर आरईआरसी के साथ-साथ विद्युत लोकपाल को अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। इन अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदनों में कॉल सेंटरों की स्थापना, उपभोक्ता शिकायतों के निवारण, भुगतान की गई क्षतिपूर्ति का विवरण एवं विश्वसनीयता सूचकांक यथा प्रणाली औसत रुकावट आवृत्ति सूचकांक (एसएआईएफआई) तथा प्रणाली औसत रुकावट अवधि सूचकांक (एसएआईडीआई) के संबंध में वितरण अनुज्ञापत्रधारियों का वास्तविक निष्पादन सम्मिलित होगा।

लेखापरीक्षा में पाया कि 2016-17 से 2020-21 के दौरान, प्रत्येक के लिए नियत 10 अर्द्धवार्षिक एसओपी प्रतिवेदनों के समक्ष, तीन वितरण अनुज्ञापत्रधारियों यथा जयपुर डिस्कॉम, अजमेर डिस्कॉम एवं जोधपुर डिस्कॉम ने क्रमशः नौ, दस तथा आठ अर्द्धवार्षिक एसओपी प्रतिवेदन क्रमशः 26 दिन व 147 दिन, 14 दिन व 59 दिन एवं एक दिन व 183 दिन के मध्य विलंब से प्रस्तुत किए, जैसा कि ***परिशिष्ट-10*** में दर्शाया गया है। इस प्रकार, आरईआरसी वितरण अनुज्ञापत्रधारियों द्वारा अर्द्धवार्षिक एसओपी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित प्रावधानों का पालन सुनिश्चित नहीं कर सका। परिणामस्वरूप, वितरण अनुज्ञापत्रधारियों के निष्पादन की आवधिक एवं समय पर निगरानी तथा सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाने का मूल उद्देश्य प्रभावित हुआ था।

अन्य राज्यों के कुछ एसईआरसी द्वारा अपनाई गई उत्तम पद्धति

कुछ अन्य राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों[16] के एसईआरसी ने उनके एसओपी विनियमों में, समग्र एसओपी के विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त नहीं किए जाने तथा निर्धारित प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में प्रकरण-दर-प्रकरण आधार पर शास्ति लगाने एवं इन विनियमों के तहत निर्धारित दायित्वो की अनुपालना नहीं करने पर जांच करने का प्रावधान किया है।

यदि आरईआरसी ने अनुज्ञापत्रधारियों द्वारा गैर-अनुपालन के मुद्दे को संबोधित करने के लिए अपने नियमों में विशिष्ट प्रावधान शामिल किए होते, तो इसके पास वितरण अनुज्ञापत्रधारियों को अनुपालना कराने के लिए अधिक लागू करने योग्य शक्तियां हो सकती थीं।

[16] हिमाचल प्रदेश और दिल्ली

आरईआरसी ने आक्षेप को स्वीकार करते हुए (अप्रैल 2022), आवश्यकता के अनुसार नियमों में एसओपी प्रतिवेदन विलंब से प्रस्तुत किए जाने के लिए शास्ति खंड को शामिल किए जाने पर विचार करने का आश्वासन दिया, जो आज तक सुनिश्चित नहीं किया गया था (जुलाई 2023)।

निष्पादन के गारंटीकृत मानक

2.6.15 एसओपी विनियम 2014 के खंड 4 में प्रावधान है कि वितरण अनुज्ञापत्रधारी विभिन्न उपभोक्ता सेवाओं अर्थात विद्युत प्रवाह नहीं की शिकायतें, ओवरहेड लाइन/केबल ब्रेकडाउन, भूमिगत केबल ब्रेकडाउन, ट्रांसफार्मर विफलता, निर्धारित कटौती, वोल्टेज विचरण, मीटर के परीक्षण/प्रतिस्थापन, मीटर/सर्विस लाइन की शिफ्टिंग, नए कनेक्शन जारी करने, स्वामित्व का हस्तांतरण, श्रेणी में बदलाव के लिए शिकायतें, उपभोक्ता बिल की शिकायत, आपूर्ति का विच्छेदन, संबंध-विच्छेद उपभोक्ता की बहाली, प्रणाली की विश्वसनीयता इत्यादि के लिए 19 गारंटीकृत मानकों हेतु इन विनियमों में निर्दिष्ट समय सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करेगा। इन गारंटीकृत मानकों को प्राप्त करने में वितरण अनुज्ञापत्रधारी की विफलता के लिए प्रभावित व्यक्तियों/उपभोक्ताओं को मौद्रिक क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा।

एसओपी विनियम 2014 के खंड 6 में प्रावधान है कि निष्पादन के किसी गारंटीकृत मानकों को पूर्ण नहीं किए जाने की स्थिति में, प्रभावित व्यक्ति इन विनियमों में निर्धारित दरों के अनुसार क्षतिपूर्ति के दावे के लिए निर्दिष्ट समय की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर संबंधित सहायक अभियंता के पास आवेदन दायर कर सकता है। वितरण अनुज्ञापत्रधारी गारंटीकृत मानक के उल्लंघन की तिथि से 90 दिनों के भीतर विद्युत बिल के माध्यम से क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगा। इन विनियमों के अनुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान करने में विफलता एक शिकायत होगी जिसका निपटारा एवं निर्णय संबंधित उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) तथा उसके पश्चात विद्युत लोकपाल द्वारा किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में देखा कि 2016-21 के दौरान दर्ज की गई 113.06 लाख शिकायतों में से, तीन वितरण अनुज्ञापत्रधारियों ने 6.68 लाख शिकायतों का निवारण निर्धारित समय सीमा के पश्चात किया। तथापि, किसी भी पीड़ित उपभोक्ता[17] ने शिकायतों के विलंबित निवारण के लिए किसी क्षतिपूर्ति का दावा नहीं किया।

लेखापरीक्षा का मानना है कि क्षतिपूर्ति तंत्र में जटिलता एवं निर्धारित आनुपातिक क्षतिपूर्ति दरें[18], उपभोक्ताओं के लिए क्षतिपूर्ति के दावे दायर करने में बाधा के रूप में कार्य करती हैं।

[17] कोटा शहर की वितरण फ्रेंचाइजी कोटा इलेक्ट्रिसिटी वितरण लिमिटेड (केईडीएल) के 10 उपभोक्ताओं को ₹ 50,500 की क्षतिपूर्ति के भुगतान को छोड़कर।

[18] एसओपी विनियम 2014 के अनुसार ₹ 50 प्रति प्रकरण एवं ₹ 2000 प्रति प्रकरण के मध्य सीमा में।

अन्य राज्यों के कुछ एसईआरसी द्वारा अपनाई गई उत्तम पद्धति

कुछ अन्य राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों[19] के एसईआरसी ने संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में स्वचालित क्षतिपूर्ति भुगतान की व्यवस्था स्थापित की है, जहां निर्धारित समय सीमा के भीतर गारंटीकृत मानकों का पालन करने में विफलता की स्थिति में प्रभावित उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति की शिकायत अलग से दर्ज किए बिना क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि आरईआरसी ने एसओपी विनियम 2021 जारी करते समय (मार्च 2021) सेवा के केवल तीन गारंटीकृत मानकों[20] के लिए स्वचालित क्षतिपूर्ति तंत्र निर्धारित किया था। सेवा के शेष 16 गारंटीकृत मानकों के लिए, पीड़ित उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति का दावा करने के लिए जटिलताओं का सामना करना पड़ा।

आरईआरसी सेवाओं के शेष गारंटीकृत मानकों के लिए क्षतिपूर्ति के स्वचालित भुगतान हेतु तंत्र का विस्तार करने पर भी विचार करना चाहिए।

सिफारिश 4: आरईआरसी आरओई की अनुमति प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक एवं पारदर्शी तंत्र अपना सकती है, तथा विद्युत क्रय समझौतों, आरपीओ का अनुपालन एवं एसओपी प्रतिवेदनों के संबंध में निगरानी तंत्र को सुदृढ़ कर सकती है।

सिफारिश 5: आरईआरसी सभी गारंटीकृत सेवाओं के लिए वैध शिकायतों के समक्ष क्षतिपूर्ति के स्वचालित भुगतान कर सकती है।

3. राजकीय उपक्रमों पर अनुपालन लेखापरीक्षा आक्षेप

इस भाग में राजकीय उपक्रमों के व्यवहारों की नमूना जांच में उजागर हुए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को सम्मिलित किया गया है।

राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड

3.1 सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना एवं इसके संचालन व रखरखाव में चूक

कंपनी द्वारा गारंटीकृत विद्युत उत्पादन में कमी हेतु ठेकेदार के विरूद्ध उचित कार्यवाही में विफलता की परिणिति ₹ 9.69 करोड़ के अदेय लाभ के रूप में हुई।

राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (कंपनी) ने रेज़ पॉवर एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड (ठेकेदार) को पाँच मेगावाट पीक (एमडब्ल्यूपी)[21] ग्रिड इंटरएक्टिव सोलर फोटोवोल्टिक पॉवर

[19] 2004 में हरियाणा, ओड़ीसा एवं तमिलनाडु।

[20] विद्युत प्रवाह नहीं की शिकायतें, मीटर के कारण विद्युत प्रवाह नहीं की शिकायतें तथा मीटर का परीक्षण।

[21] एमडब्ल्यूपी मेगावाट पीक का संक्षिप्त रूप है-सौर अथवा पवन जैसे स्रोत से विद्युत उत्पादन के माप की एक इकाई जहाँ उत्पादन सूर्य के प्रकाश अथवा हवा की गति के अनुसार भिन्न हो सकता है। एमडब्ल्यूपी विद्युत के अधिकतम संभावित उत्पादन का एक माप है।

प्लांट (सौर ऊर्जा संयंत्र) को स्थापित किए जाने का कार्य प्रदान किया (जून 2014)। ठेकेदार को (i) सौर संयंत्र ₹ 26.50 करोड़ की कुल लागत पर कार्य प्रदान किए जाने की तिथि से छह माह के भीतर स्थापित किया जाना; एवं (ii) वाणिज्यिक संचालन की तिथि से 20 वर्ष की अवधि हेतु व्यापक रूप से सौर संयंत्र का संचालन व रखरखाव (ओ एंड एम) करना था। प्रथम वर्ष में ओ एंड एम करने हेतु पारिश्रमिक ₹ 0.15 करोड़ एवं तत्पश्चाक प्रतिवर्ष पांच प्रतिशत की वृद्धि की जानी थी।

कार्यादेश के नियमों व शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ (i) 20 वर्षों की सम्पूर्ण ओ एंड एम अवधि के दौरान प्रतिवर्ष शुद्ध न्यूनतम गांरटित उत्पादन (एनएमजीजी)[22] सुनिश्चित करना; (ii) दो वर्षों की ब्लॉक अवधि में एनएमजीजी में कमी हेतु टैरिफ दर[23] से क्षतिपूर्ति का भुगतान; (iii) प्रतिवर्ष अधिकतम वसूलनीय क्षतिपूर्ति संविदा मूल्य का सात प्रतिशत; एवं (iV) विवाद/मतभेदों के कारण कार्य को नहीं रोकना/बंद करना प्रावधित था।

ठेकेदार ने सौर संयंत्र निर्धारित अनुसूची के अनुसार स्थापित किया (31 दिसंबर 2014) एवं सौर ऊर्जा संयंत्र के निष्पादन के पेटे प्रतिधारण राशि के रूप में ₹ 5.30 करोड़ (यथा संविदा मूल्य का 20 प्रतिशत) की बैंक गांरटी प्रदान की (जुलाई 2015)। तथापि, ठेकेदार दिसंबर 2021 को समाप्त हुए सात वर्षों में से किसी में भी कार्यादेश में निर्धारित एनएमजीजी सुनिश्चित नहीं कर सका।

लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रथम ब्लॉक (2015-2016) में एनएमजीजी में कमी के समक्ष, कंपनी ने ठेकेदार से ₹ 3.07 करोड़ की क्षतिपूर्ति की मांग की (जनवरी 2017) जिसे बाद में ठेकेदार के निवेदन पर ₹ 2.58 करोड़ तक संशोधित किया गया था (जून 2018)। ठेकेदार ने ग्रिड की अनुपलब्धता के कारण संशोधित/घटाई गई मांग का विरोध किया (जुलाई 2018) एवं दिसंबर 2018 तक क्षतिपूर्ति राशि जमा नहीं करवायी थी। इस पर, कंपनी ने प्रारंभिक दो ब्लॉक अवधियों (2015-2016 एवं 2017-2018) के दौरान उत्पादन में कमी के समक्ष ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत की गई ₹ 5.30 करोड़ की बैंक गांरटी को जब्त कर लिया (दिसंबर 2018)। जब्ती के प्रत्युत्तर में ठेकेदार ने कंपनी को सौर संयंत्र स्थल समर्पण किए जाने हेतु नोटिस जारी किया (18 फरवरी 2019) एवं कंपनी को सौर संयंत्र से विद्युत की निकासी हेतु एक माह के भीतर स्वयं की लाईन बनाने के लिए कहा। कंपनी के ग्रिड अनुपलब्धता प्रकरण की समीक्षा किए जाने का आश्वासन दिए जाने पर, ठेकेदार ने पुनः क्षतिपूर्ति हेतु टैरिफ दर कम किए जाने की मांग की एवं विवाद के अनसुलझा रहने पर सौर संयंत्र को ओ एंड एम बंद किए जाने हेतु एक अन्य नोटिस जारी किया (23 फरवरी 2019)।

कंपनी के संचालक मंडल (बीओडी) ने, विवाद को सुलझाने अथवा ओ एंड एम संविदा निरस्त किए जाने के विकल्पों पर विचार करते हुए, प्रथम विकल्प को अनुमोदित किया। बीओडी के

[22] प्रतिवर्ष एनएमजीजी से आशय कैप्टिव उपयोग के लिए ग्रिड से ली गई विद्युत को घटाकर विद्युत संयंत्र से ग्रिड को आपूर्ति किए जाने हेतु ठेके दार द्वारा गांरटीकृत इकाईयों की न्यूनतम संख्या से है।

[23] प्रथम तीन वर्षों हेतु ₹ 12 प्रति इकाई एवं शेष 17 वर्षों हेतु ₹ 9 प्रति इकाई

अनुमोदन के अनुसार, प्रतिवर्ष एनएमजीजी की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु एवं एनएमजीजी की विगत कमी की पूर्ति हेतु ठेकेदार को अतिरिक्त सौर पैनल स्थापित किए जाने की अनुमति दी जानी थी। ठेकेदार को अतिरिक्त सौर पैनलों के स्थापन हेतु एस्क्रो खाता अथवा अन्य किसी पद्धति से ₹ 5.30 करोड़ की धनराशि भी प्रदान की जानी थी। बीओडी ने कंपनी के प्रबंध निदेशक को उपयुक्त तंत्र/तौर-तरीको को तैयार किए जाने हेतु एवं सौर संयंत्र के निर्बाध एवं सुचारू रूप से संचालित किए जाने हेतु अधिकृत भी किया। बीओडी ने ग्रिड उपलब्धता के आंकड़ों का समाशोधन किए जाने की भी अनुमति प्रदान की।

तदनुसार, कंपनी ने 2015-18[24] के दौरान उत्पादन में कमी हेतु ₹ 4.12 करोड़ की क्षतिपूर्ति की पुनर्गणना की (जुलाई 2019)। साथ ही, बीओडी के अनुमोदन के अलावा, कंपनी के प्रबंधन ने विद्यमान पैनलों को नवीन उच्च दक्षता एवं उच्च क्षमता वाले पैनलों से बदले जाने, सौर मॉड्यूल्स/पैनलों के प्रापण हेतु प्रोफार्मा बीजक की प्राप्ति पर ठेकेदार को ₹ 4.30 करोड़ के अग्रिम जारी किए जाने की भी अनुमति दी (अगस्त 2019)।

ठेकेदार के निवेदन पर, कंपनी ने एस्क्रो खाते से ₹ 4.41 करोड़ जारी किए (सितम्बर 2019)। कंपनी ने पूर्णता अनुसूची को भी 20 फरवरी 2020 तक बढ़ा दिया (जनवरी 2020)। इसके उपरांत भी, ठेकेदार ने सितम्बर 2020 तक के विस्तार की मांग की (मई 2020), जिसे अनुमत्य नहीं किया गया था। तत्पश्चात, ठेकेदार द्वारा सूचित किए जाने पर (13 अगस्त 2020), कंपनी ने अतिरिक्त सौर पैनलों की स्थापना को सत्यापन करने हेतु स्थल का दौरा किया (21 अगस्त 2020)। तथापि, स्थल पर अतिरिक्त सौर पैनल स्थापित नहीं पाए गये थे एवं संयंत्र से विद्यमान सौर पैनल (लगभग 1200 किलोवाट) हटाए हुए पाए गये थे।

कंपनी द्वारा पैनलों की आपूर्ति किए जाने के संबंध में पूछताछ किए जाने पर, विक्रेता ने सूचित किया कि उक्त पैनलों की आपूर्ति ठेकेदार को की गई थी। ठेकेदार से आगे की पूछताछ में उसने सूचित किया कि आपूर्ति किए गये पैनलों को उसके द्वारा अन्यत्र कहीं उपयोग में लिया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सौर संयंत्र 2015-2021 के दौरान 585.92 लाख इकाईयों की एनएमजीजी आवश्यकता के समक्ष केवल 370.43 लाख इकाईयों का ही उत्पादन कर सका परिणामस्वरूप एनएमजीजी में190.60 लाख इकाईयों[25] की कमी रही एवं कंपनी के भाग पर 2015-2021 के दौरान 24.89 लाख इकाईयों की अन्य कमी थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कंपनी को कार्यादेश के नियमों व शर्तों के अनुसार ठेकेदार को ओ एंड एम कार्य बंद नहीं करने एवं विद्युत निकासी तंत्र को बनाए रखने हेतु बाध्य करना था। तथापि,

[24] ब्लॉक अवधि 2015-2016 हेतु ₹ 1.96 करोड़ (यथा 16.35 लाख इकाईयां ₹ 12 प्रति इकाई की दर से) एवं ब्लॉक अवधि 2017-2018 हेतु ₹ 2.16 करोड़ (यथा 10.64 लाख इकाईयां ₹ 12 प्रति इकाई की दर से तथा 9.81 लाख इकाईयां ₹ 9 प्रति इकाई की दर से)।

[25] 2015 में एनएमजीजी में वार्षिक कमीः 8.45 लाख इकाईयां, 2016: 7.90 लाख इकाईयां, 2017: 10.64 लाख इकाईयां, 2018: 9.81 लाख इकाईयां, 2019: 30.02 लाख इकाईयां, 2020: 52.66 लाख इकाईयां एवं 2021: 71.12 लाख इकाईयां।

दोषी ठेकेदार के साथ विवाद को टालने हेतु, कंपनी ने एनएमजीजी में कमी हेतु क्षतिपूर्ति वसूलने की अपनी दंडात्मक कार्यवाही वापस लिया। साथ ही, कार्यादेश में जोखिम व लागत खंड को कार्य प्रदान किए जाने के स्तर पर सम्मिलित नहीं किए जाने के कारण, कंपनी के पास किसी अन्य ठेकेदार से दोषी ठेकेदार के जोखिम व लागत पर ओ एंड एम कार्य करवाए जाने का विकल्प नहीं था।

साथ ही, बीओडी ने ठेकेदार को अग्रिम प्रदान किए जाने एवं विद्यमान सौर पैनलों को हटाये जाने को अनुमत्य नहीं किया था फिर भी कंपनी प्रबंधन अग्रिम जारी किए जाने हेतु एवं विद्यमान सौर पैनल को हटाए जाने की अनुमति पर भी सहमत हुआ (अगस्त 2019)। इसके अतिरिक्त, एस्क्रो खाता तंत्र भी निरर्थक साबित हुआ क्योंकि इसके विपरीत कंपनी ने बिना प्रतिभूति/गांरटी के जब्त की गई राशि का सारभूत भाग अग्रिम के रूप में जारी कर दिया था। कंपनी ने, कार्यादेश के प्रावधानों के विरूद्ध, भविष्य में निम्न प्रर्दशन हेतु प्रतिभूति/गांरटी की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया था। कंपनी ने अतिरिक्त सौर पैनलों की प्राप्ति के साथ-साथ इन्हें गिरवी रखा जाना भी सुनिश्चित नहीं किया था। इस प्रकार, कंपनी के पास दोषी ठेकेदार के विरूद्ध कोई वित्तीय धारण नहीं था।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि ठेकेदार ने न केवल अतिरिक्त सौर पैनलों को गबन[26] किया अपितु कंपनी से संबद्ध विद्यमान सौर पैनलों[27] को भी उनके प्रतिस्थापन किए बिना हटा दिया था। गंभीर पहलुओं के उपरांत भी, कंपनी ने न तो दोषी ठेकेदार के विरूद्ध विधिक कार्यवाही प्रारंभ की ना ही प्रकरण बीओडी को प्रतिवेदित किया था।

इस प्रकार, विवेक एवं वित्तीय नियंत्रण के अभाव, अदेय रियायतें प्रदान करने, दोषी ठेकेदार के विरूद्ध समय पर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं किए जाने तथा सौर संयंत्र का उचित ओ एंड एम सुनिश्चित किए जाने में विफलता से विद्युत का उत्पादन गंभीर रूप से प्रभावित हुआ। परिणामस्वरूप, कंपनी ने नवंबर 2021 तक ठेकेदार द्वारा आश्वस्त की गई एनएमजीजी के समक्ष विद्युत की 190.60 लाख इकाईयों की कमी वहन की। कंपनी ठेकेदार को उसकी प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने हेतु बाध्य करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने में भी विफल रही एवं कार्यादेश में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार नवंबर 2021 तक एनएमजीजी में कमी हेतु ₹ 9.69 करोड़[28] के लागू क्षतिपूर्ति की वसूली भी सुनिश्चित नहीं कर सकी।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (मार्च 2022) कि ठेकेदार ने संबंधित आपूर्तिकर्ता फर्म से आपूर्ति प्राप्त होने पर एवं कंपनी द्वारा नियमित पत्राचार के उपरांत भी अतिरिक्त सौर

[26] आवश्यक सौर पैनल की आपूर्ति हेतु विक्रेता को एस्क्रो खाते से ₹ 4.41 करोड़ जारी किए गये थे, तथापि, आपूर्ति किए गये सौर पैनल ठेकेदार द्वारा अन्यत्र उपयोग में लिए गये थे।

[27] अगस्त 2020 में कार्यस्थल के दौरे के दौरान लगभग 1206 किलोवाट के विद्यमान सौर पैनल हटाए गये पाये गये थे।

[28] 2015-2018 हेतु ₹ 4.12 करोड़ + 2019-2021 हेतु ₹ 5.57 करोड़ (यथा ₹ 1.855 करोड़ प्रति वर्ष * तीन वर्ष जहाँ अधिकतम वार्षिक मुआवजे को संविदा मूल्य के सात प्रतिशत तक सीमित किया गया)

पैनल स्थापित नहीं किए थे। इसने आगे कहा कि क्षतिपूर्ति हेतु दावे को सम्मिलित करते हुए ठेकेदार को विधिक नोटिस जारी किया गया था (नवंबर 2021) एवं आगे समय पर उचित कार्यवाही किए जाने हेतु आश्वस्त किया।

इसके बाद के उत्तर (जून 2022) में कंपनी ने सूचित किया कि सत्यापन के दौरान (अप्रैल-मई 2022), विद्यमान सौर पैनलों[29] का प्रमुख भाग, जो कि पूर्व में स्थल से हटा दिए गये थे, स्थल पर पुनः स्थापित पाए गये थे परन्तु कार्यस्थल पर कोई भी अतिरिक्त सौर पैनल स्थापित नहीं पाए गये थे। इसने आगे कहा कि प्रकरण के निपटान एवं इस मुद्दे पर अपनी अनुशंषाऐ देने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। कंपनी के उत्तर को दृष्टिगत रखते हुए, सरकार ने कंपनी से प्रकरण की अग्रिम प्रगति मांगी (अक्टूबर 2022) जो कि प्रतीक्षित थी (जून 2023)।

इस प्रकार, कंपनी द्वारा इस संबंध में अभी भी ठोस कार्यवाही की जानी है (सितम्बर 2023)।

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

3.2 प्रसारण प्रभारों का निरर्थक भुगतान

कंपनी ने सम्बंधित प्रसारण लाइन की व्यवहार्यता का आंकलन किये बिना दो लाइन बे की आवश्यकता बतलायी। लाईन कार्य प्रदान करने में अत्यधिक विलम्ब के कारण ₹ 7.24 करोड़ के प्रसारण प्रभारों का निरर्थक भुगतान हुआ।

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) विद्युत के अंर्तराज्य प्रसारण हेतु टैरिफ का निर्धारण सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें), विनियम 2014 (टैरिफ विनियम 2014) के अनुसार करता है। टैरिफ विनियम 2014 एवं सीईआरसी के निर्णय (अगस्त 2015) ने अधिदेशित किया कि संबंधित राज्य प्रसारण इकाई (एसटीयू), जिसने डाउनस्ट्रीम प्रसारण नेटवर्क[30] हेतु लाईन बे[31] के प्रावधान रखे जाने हेतु निवेदन किया है, डाउनस्ट्रीम प्रणाली को पूर्ण किए जाने में विलंब होने पर प्रसारण प्रभारों को वहन करेगा।

[29] 1206 किलोवाट (प्रत्येक 300 वाट के 4019 सौर पैनल) के समक्ष 1005 किलोवाट (प्रत्येक 300 वाट के 3350 सौर पैनल)।

[30] यह उप प्रसारण/वितरण प्रणाली को जोड़ने के लिए लाइन बे से आगे की ओर जाने वाली सर्किट/ट्रांसमिशन लाइन के लिए होता है।

[31] बे विद्युत सबस्टेशन के भीतर एक विद्युत लाइन है जो एक सर्किट (जैसे कि विद्युत लाइन या ट्रांसफार्मर) को बसबार से जोड़ती है। प्रत्येक बे में आमतौर पर सर्किट ब्रेकर, डिस्कनेक्टर्स, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर एवं सर्ज अरेस्टर आदि शामिल होते हैं।

टैरिफ विनियम 2014 एवं उसके तहत जारी किए गए (अप्रैल 2014) उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण में राज्य प्रसारण इकाई (एसटीयू) तथा केंद्रीय प्रसारण इकाई (सीटीयू) के मध्य कार्यान्वयन समझौते के निष्पादन के लिए प्रावधान नहीं था। तथापि, सीईआरसी ने अपने आदेश (अगस्त 2015) में निर्णय लिया कि संबंधित एसटीयू, जिसने स्थायी समिति की विभिन्न बैठकों में डाउनस्ट्रीम प्रसारण नेटवर्क के लिए लाइन बे का प्रावधान रखने का अनुरोध किया था, डाउनस्ट्रीम प्रणाली पूर्ण होने तक प्रसारण प्रभार वहन करेगी।

उत्तरी क्षेत्र की विद्युत प्रणाली योजना पर स्थायी समिति (स्थायी समिति) की 34 वीं बैठक (अगस्त 2015) में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) ने, सीटीयू होने के नाते, अपने 400/220 केवी सबस्टेशन, सीकर की परिवर्तन क्षमता को 500 एमवीए तक बढ़ाना प्रस्तावित किया। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (कंपनी) ने भी पीजीसीआईएल के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की एवं 220 केवी लाइन बे की इसकी आवश्यकता के विवरण की पुष्टि एक पखवाड़े के भीतर करने का आश्वासन स्थायी समिति को दिया। कंपनी ने पीजीसीआईएल के प्रस्तावित 400 केवी जीएसएस सीकर, में 500 एमवीए ट्रांसफॉर्मर के साथ दो 220 केवी लाइन बे की आवश्यकता एवं क्षेत्र की स्थितियों के अनुसार तकनीकी व्यवहार्यता का आंकलन करने के पश्चात प्रस्तावित जीएसएस से इसके निकट के 220 केवी जीएसएस/ लाइन तक 220 केवी डबल सर्किट लाइन का निर्माण किए जाने की पुष्टि की (सितंबर 2014)। स्थायी समिति की 35वीं बैठक (नवंबर 2014) में कंपनी द्वारा की गई पुष्टि को पुनः दोहराया गया।

कंपनी के परियोजना नियोजन एवं निगरानी (पीपीएम) शाखा ने पीजीसीआईएल के 400 केवी जीएसएस सीकर में प्रस्तावित इंटरकनेक्शन के लिए अपने संबंधित प्रसारण एवं निर्माण (टीएंडसी) वृत्त (यथा टीएंडसी, सीकर) से तकनीकी व्यवहार्यता प्रतिवेदन मांगा (सितंबर 2014 एवं जुलाई 2017 के मध्य)। व्यवहार्यता प्रतिवेदन में मार्ग का अधिकार (आरओडब्ल्यू), बे, लाइन की लंबाई आदि के संबंध में स्थिति/विवरण सम्मिलित करना था जो कि भार प्रवाह के अध्ययन करने के लिए आवश्यक था। टीएंडसी, सीकर ने व्यवहार्यता प्रतिवेदन विलम्ब से (जुलाई 2017) चार भिन्न प्रस्तावों के साथ अग्रेषित की। चूंकि व्यवहार्यता प्रतिवेदन/प्रस्ताव अपूर्ण पाए गए थे, पीपीएम शाखा ने पूर्ण विवरण के साथ व्यवहार्यता प्रतिवेदन मांगा (अगस्त 2017 से जनवरी 2018)। टीएंडसी वृत्त, सीकर ने अंतिम व्यवहार्यता प्रतिवेदन प्रस्तुत किया (जुलाई 2018)। इसी मध्य, पीजीसीआईएल ने अपेक्षित प्रवर्तन कार्यक्रम के साथ बे कार्य की प्रगति के बारे में कंपनी को सूचित किया (अप्रैल 2017 और जनवरी 2018 के मध्य)। इसके अलावा, पीजीसीआईएल ने कंपनी से डाउनस्ट्रीम प्रसारण लाइनों के निर्माण में तीव्रता लाने का अनुरोध किया जिससे कि लाइनों के निर्माण कार्यक्रम को बे के निर्माण के साथ मेल किया जा सके लेकिन इस पर कार्यवाही नहीं की गई थी।

पीजीसीआईएल ने 31 मार्च 2018 तक दोनों बे के निर्माण को पूर्ण किया एवं इन दो बे से संबंधित संपत्तियों की सीओडी के अनुमोदन हेतु टैरिफ विनियम 2014 के विनियमन संख्या 4(3)(ii) के

अनुसार सीईआरसी से संपर्क किया (वर्ष 2017)। इस संबंध में सीईआरसी द्वारा जारी नोटिस कंपनी द्वारा अनुत्तरित रहा। सीईआरसी ने दोनों बे की सीओडी 1 अप्रैल 2018 से अनुमत्य की (जुलाई 2018) एवं पीजीसीआईएल द्वारा निर्मित संपत्ति (दो 220 केवी बे) हेतु ₹ 1.81 करोड़ के वार्षिक प्रसारण प्रभार निर्णित किए। सीईआरसी ने कंपनी को प्रसारण प्रभारों, जो कि पीजीसीआईएल द्वारा निर्मित ऐसी बे/संपत्तियों की सीओडी से भुगतान किए जाने थे, कंपनी द्वारा प्रतिबद्ध डाउनस्ट्रीम संपत्तियों (प्रसारण लाइनों) की सीओडी होने तक वहन किए जाने का भी आदेश दिया।

सीईआरसी के आदेश को देखते हुए, कंपनी ने पीजीसीआईएल से इन बे को अक्षय ऊर्जा विकासकर्ताओं को आवंटित किए जाने का अनुरोध किया (नवंबर 2018), परन्तु प्रस्ताव मूर्त रूप में नहीं आ सका। तत्पश्चात, कंपनी ने विलम्ब से (अप्रैल 2019) पीजीसीआईएल के 400 केवी जीएसएस, सीकर से इसके निकट के 220 केवी जीएसएस, ढोद तक 220 केवी प्रसारण लाइन के निर्माण का निश्चय किया। अत्यधिक विलंब के बाद, कंपनी ने प्रस्तावित प्रसारण लाइन के निर्माण हेतु कार्यादेश, अक्टूबर 2020 तक नियत पूर्णता के साथ, जारी किया (अप्रैल 2020)। तथापि, कंपनी डाउनस्ट्रीम संपत्तियों को चालू नहीं कर सकी एवं 31 मार्च 2022 तक प्रसारण प्रभारों के पेटे ₹ 7.24 करोड़[32] व्यय किए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कंपनी बिना किसी उचित योजना एवं व्यवहार्यता अध्ययन के, पीजीसीआईएल के 400 केवी जीएसएस, सीकर से प्रसारण लाइन के निर्माण हेतु प्रतिबद्ध हुई एवं तदनुसार, दो 220 केवी बे की आवश्यकता निर्धारित की। कंपनी समय पर पीजीसीआईएल को एक व्यवहारिक प्रस्ताव तैयार करने एवं इसे संप्रेषित करने में भी विफल रही क्योंकि इसने न तो क्षेत्र में बनाई जाने वाली लाइन की तकनीकी व्यवहार्यता का आंकलन किया एवं न ही आवश्यक भार प्रवाह का अध्ययन किया। कंपनी ने पीजीसीआईएल के पत्राचार एवं सीईआरसी की कार्यवाही का कोई उत्तर नहीं दिया। चूंकि कंपनी के पास प्रसारण लाइन के निर्माण में विलम्ब को उचित ठहराने का कोई कारण नहीं था, सीईआरसी द्वारा इस पर सारभूत एवं बारम्बार होने वाले प्रसारण प्रभार अधिरोपित किए गये थे।

सरकार ने स्वीकार किया (अक्टूबर 2021) कि इंटरकनेक्टिंग लाइन का निर्माण मिलान समय सीमा (मार्च 2018 तक) में किया जाना था। इसने टीएंडसी, सीकर द्वारा व्यवहार्यता प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब के तथ्यों को भी स्वीकार किया। इसने आगे कहा कि व्यवहारिक प्रस्ताव का चयन, अन्य प्रसारण लाइन (यथा 220 केवी ढोद से दांता रामगढ़) के पूर्ण होने पर निर्भर था, जो कि नवंबर 2018 में पूर्ण की जा सकी। आरओडब्ल्यू प्राप्त करने में बाधाओं के कारण, कंपनी ने पीजीसीआईएल से बे का उपयोग अक्षय उर्जा विकासकर्ताओं/अन्य उपभोक्ताओं को करने हेतु अनुरोध किया (नवंबर 2018) लेकिन यह मूर्त रूप में नहीं आ सका। तत्पश्चात, कंपनी ने 220 केवी सीकर-ढोद लाइन के निर्माण का कार्यादेश प्रदान किया (अप्रैल 2020) जिसे गंभीर

[32] ₹ 1.81 करोड़ प्रति वर्ष *4 वर्ष (2018-22)

आरओडब्ल्यू मुद्दों एवं स्थगन आदेश का सामना करना पड़ा। इसने आगे 31 मार्च 2022 को लाइन के चालू होने के बारे में सूचित किया (मई 2022)।

तथ्य यही रहा कि लाईन की व्यवहार्यता का अपर्याप्त आकलन, लाईन निर्माण अनुसूची मिलान में विफलता, डाउनस्ट्रीम लाईन हेतु कार्य संविदा प्रदान किए जाने में विलंब के परिणामस्वरूप ₹ 7.24 करोड़ के प्रसारण प्रभारों का निरर्थक भुगतान हुआ।

अर्चना गुर्जर

जयपुर
दिनांक 17 अप्रैल 2024

(अर्चना गुर्जर)
महालेखाकार
(लेखापरीक्षा-II), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 6 मई 2024

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट–1

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.2; पृष्ठ 1)

विभागों का संक्षिप्त प्रालेख

क्र.सं.	विभाग का नाम	विभाग के कार्य/उद्देश्य
1.	नागरिक उड्डयन	विभाग का मुख्य उद्देश्य एक एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है जिससे नागरिक उड्डयन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हो, जो कि पर्यटन, उद्योगों को बढावा देगा, रोजगार वृद्धि तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढावा देगा।
2.	उपनिवेशन	विभाग का मुख्य उद्देश्य भूमि का विकास एवं आवंटन करना है।
3.	ऊर्जा	राज्य विद्युत क्षेत्र की कंपनियों का प्रशासनिक विभाग होने के नाते, विभाग का मुख्य कार्य ऐसी कंपनियों के मामलों को राजस्थान सरकार/वित्त विभाग/विश्व बैंक/विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार और अन्य एजेंसियों के साथ आगे बढ़ाना/निपटाना शामिल है। विभाग मुख्य रूप से सभी बिजली क्षेत्र की कंपनियों के बीच समन्वय के लिए जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त, यह इन कंपनियों को विभिन्न विषय-वस्तुओं पर दिशा-निर्देश भी जारी करता है। इसके अलावा, विभाग बिजली क्षेत्र की कंपनियों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्कीमों, योजनाओं, (केंद्रीय एजेंसियों और उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) आदि) की भी निगरानी करता है। विभाग इन कंपनियों द्वारा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों से संबंधित विभिन्न स्वीकृतियों की भी व्यवस्था करता है।
4.	पर्यावरण	विभाग का मुख्य उद्देश्य विकास योजनाओं का योजना स्तर पर पर्यावरण मूल्यांकन करना, पर्यावरण संरक्षण के लिये योजनायें, परियोजनायें, कार्यक्रम तैयार एवं निष्पादित करना तथा अन्य सरकारी एजेन्सियों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा तैयार किये गये पर्यावरण संबंधी प्रस्तावों की जांच करना है।
5.	कारखाना एवं बायलर्स	विभाग के मुख्य उद्देश्य कारखाना श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण को सुनिश्चित करना है। कारखानों में दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं की जांच करना और औद्योगिक श्रमिकों की चिकित्सा निगरानी करना है।
6.	वन	विभाग का मुख्य उद्देश्य वानस्पतिक आवरण को बढाकर पर्यावरण स्थिरता तथा पारिस्थितिकी सुरक्षा प्राप्त करना है। इसे राज्य के प्राकृतिक आवरण के विस्तार के लिये सघन वृक्षारोपण, मरूस्थलीकरण का मुकाबला कर, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, संरक्षण रिजर्व एवं सामुदायिक रिजर्व जैसे संरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क के माध्यम से वनस्पति एवं जैव विविधता एवं जीन पूल रिजर्व के संरक्षण से प्राप्त किया जाना है।
7.	उद्योग	विभाग का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों को बढावा देना, उनके उत्पादों के विपणन में सहायता करना, लवणीय क्षेत्रों का विकास, हस्तशिल्प कारीगरों का विकास, हथकरघा इत्यादि का विकास है। विभाग राज्य में औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना में विभिन्न रियायतें, सुविधायें तथा सहायता भी प्रदान करता है।

क्र.सं.	विभाग का नाम	विभाग के कार्य/उद्देश्य
8.	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राज्य के कार्यक्रमों और सेवाओं के प्रशासन में सुधार के लिए राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों/स्वायत्तशासी निकायों में प्रौद्योगिकी का उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए काम कर रहा है। विभाग तकनीकी मामलों तथा सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं का पुनरीक्षण भी करता है । विभाग राज्य में आईटी नीति बनाता है और लागू करता है ।
9.	खान एवं भूविज्ञान	खान एवं भू-विज्ञान विभाग राज्य में खनिज संसाधनों की खोज, विकास एवं प्रशासन के उद्देश्य से बनाया गया था । विभाग नवीन खनिज भण्डारों के लिये सर्वेक्षण एवं पूर्वेक्षण करता है तथा भू-वैज्ञानिक, भू-भौतिकीय, भू-रसायन तथा ड्रिलिंग तकनीकी से उनकी सुनिश्चितता का मूल्यांकन करता है जिससे उन्हें दोहन के लिये तैयार किया जा सके ।
10.	पेट्रोलियम	निदेशालय के मुख्य कार्य पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस और पेट्रोलियम खनन पट्टों के अनुदान के प्रस्तावों पर कार्रवाई करना, नियमों और विनियमों को प्रभावी ढंग से लागू करना जैसे कि तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 आदि । पेट्रोलियम क्षेत्र से राजस्व का संग्रह, न्यूनतम कार्य योजना के कार्यान्वयन जैसे विभिन्न मुद्दों का कार्यान्वयन, तेल, गैस और कोयला बेड मीथेन के लिए ब्लॉक दिए गए, नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति/सीबीएम नीति व्यवस्था और हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत छोटे क्षेत्र/खुले एकड़ लाइसेंसिंग के तहत नए ब्लॉक खोजे गए ।
11.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग राज्य के प्रत्येक नागरिक को पीने योग्य पानी उपलब्ध करने के लिये प्रतिबद्ध है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग राज्यव्यापी कार्यालय तंत्रप्रणाली के साथ तथा अत्याधुनिक रिवर्स ऑस्मोसिस, डी-फ्लोराइडेशन, स्काडा, सूचना प्रौद्योगिक, सौर ऊर्जा प्रोद्योगिकी के उपयोग से राजस्थान के दूरस्थ इलाकों में पीने योग्य सुरक्षित पानी उपलब्ध करवा रहा है । जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग चरणबद्ध तरीके से भू-जल आधारित योजनाओं से सतही जल स्रोत आधारित योजनाओं पर स्थानांतरित हो रहा है । इससे जल गुणवत्ता की समस्या से निपटने और पीने योग्य पानी की निर्बाध आपूर्ति में सहायता मिलेगी ।
12.	सार्वजनिक निर्माण	सार्वजनिक निर्माण विभाग को मुख्य रूप से सडकों, पुलों तथा राजकीय भवनों के निर्माण एवं रखरखाव का काम सौंपा गया है । यह विभाग इन मामलों में राज्य सरकार के तकनीकी सलाहकार के रूप में भी काम करता है ।
13.	राजस्थान राज्य मोटर गैरेज	विभाग का मुख्य उद्देश य राज्य सरकार की मोटर वाहन पॉलिसी को लागू करना है । इसके अतिरिक्त यह पदाधिकारियों को राज्य/जिला पूल से मोटर वाहनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है ।
14.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	विभाग का मुख्य उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नये क्षेत्रों को बढाना तथा राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी गतिविधियों के आयोजन, समन्वय और बढाने के लिये नोडल विभाग की भूमिका निभाना है ।
15.	राजकीय उपक्रम	विभाग का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पुनर्गठन से प्रभावित ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करना है ।
16.	परिवहन	विभाग के मुख्य उद्देश्यों में मोटर वाहनों का पंजीकरण तथा फिटनेस, मोटर वाहन कर का आरोपण एवं संग्रहण, परिचालन अनुज्ञप्तियां जारी करना, मोटर वाहनों को अनुमति-पत्र जारी करना, जनता के लाभ के लिये मार्गों का निर्धारण तथा वाहन प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में काम करना शामिल है ।

परिशिष्ट-2

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.5.1; पृष्ठ 4)

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षा अनुच्छेदों का आयु-वार विश्लेषण दर्शाने वाला विवरण पत्र

क्र.सं.	विभाग का नाम	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या				बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की संख्या				सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)			
		पांच वर्षों से पुराने	तीन से पांच वर्षों के मध्य	तीन वर्षों तक	योग	पांच वर्षों से पुराने	तीन से पांच वर्षों के मध्य	तीन वर्षों तक	योग	पांच वर्षों से पुराने	तीन से पांच वर्षों के मध्य	तीन वर्षों तक	योग
1	नागरिक उड्डयन	2	2	3	**7**	2	8	16	**26**	1.33	36.79	13.77	51.89
2	उपनिवेशन	9	5	0	**14**	14	13	0	**27**	42.04	27.06	0.00	69.10
3	ऊर्जा	0	0	5	**5**	0	0	15	**15**	0.00	0.00	4.14	4.14
4	पर्यावरण	5	2	3	**10**	31	18	21	**70**	138.21	474.84	27.70	640.74
5	कारखाना एवं बायलर्स	4	0	3	**7**	4	0	18	**22**	0.07	0.00	1.74	1.81
6	वन	196	94	119	**409**	571	433	752	**1756**	723.06	447.38	643.25	1813.70
7	उद्योग	19	8	14	**41**	42	18	84	**144**	19.87	33.38	114.42	167.66
8	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार	0	3	8	**11**	0	6	40	**46**	0.00	49.89	1592.54	1642.43
9	खान एवं भूविज्ञान	196	75	76	**347**	571	330	575	**1476**	1432.73	452.04	541.58	2426.35
10	पेट्रोलियम	0	1	3	**4**	0	1	7	**8**	0.00	0.00	137.64	137.64

क्र.सं.	विभाग का नाम	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या				बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की संख्या				सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)			
		पांच वर्षों से पुराने	तीन से पांच वर्षों के मध्य	तीन वर्षों तक	योग	पांच वर्षों से पुराने	तीन से पांच वर्षों के मध्य	तीन वर्षों तक	योग	पांच वर्षों से पुराने	तीन से पांच वर्षों के मध्य	तीन वर्षों तक	योग
11	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	721	231	214	**1166**	1976	1553	1536	**5065**	3885.18	4749.40	7842.03	16476.61
12	सार्वजनिक निर्माण	949	195	241	**1385**	4368	1138	1548	**7054**	3905.03	695.17	2389.28	6989.48
13	राजस्थान राज्य मोटर गैरेज	2	0	4	**6**	2	0	23	**25**	0.43	0.00	18.48	18.91
14	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	3	4	9	**16**	3	10	32	**45**	2.02	6.30	28.98	37.30
15	राजकीय उपक्रम	2	0	2	**4**	2	0	8	**10**	0.08	0.00	22.01	22.09
16	परिवहन	200	46	51	**297**	704	255	398	**1357**	22.61	17.76	31.35	71.72
योग		**2308**	**666**	**755**	**3729**	**8290**	**3783**	**5073**	**17146**	**10172.66**	**6990.01**	**13408.89**	**30571.57**

परिशिष्ट-3

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.7.10.1 (ii)(अ); पृष्ठ 47)

अधिशुल्क, डीएमएफटी, आरएसएमईटी में राशि की कटौती का अभाव या कम कटौती को दर्शाने वाला विवरण पत्र

निर्माण विभाग का नाम	कार्यालयों की संख्या	अधिशुल्क (₹ लाख में)				डीएमएफटी अंशदान (₹ लाख में)				आरएसएमईटी अंशदान (₹ लाख में)			
		कार्यो की संख्या	देय राशि	वसूली	कम वसूली राशि	कार्यो की संख्या	देय राशि	वसूली	कम वसूली राशि	कार्यो की संख्या	देय राशि	वसूली	कम वसूली राशि
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	9	75	92.73	61.51	31.22	89	5.67	0.34	5.33	47	0.19	0	0.19
सार्वजनिक निर्माण विभाग	8	43	51.18	24.75	26.43	523	16.87	4.74	12.13	70	0.14	0	0.14
जल संसाधन विभाग	3	24	11.51	0	11.51	63	3.55	0.40	3.15	20	0.50	0	0.50
नगर निगम भीलवाड़ा	1	2	0.64	0.26	0.38	2	0.06	0.02	0.04	0	0	0	0
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा	2	2	3.90	1.54	2.36	2	0.39	0.13	0.26	0	0	0	0
अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड़	1	6	22.38	17.68	4.70	6	2.24	1.27	0.97	0	0	0	0
नगर पालिका	1	20	0	0	0	20	1.61	0	1.61	0	0	0	0
योग	**25**	**172**	**182.34**	**105.74**	**76.60**	**705**	**30.39**	**6.90**	**23.49**	**137**	**0.83**	**0**	**0.83**

परिशिष्ट-4

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.10; पृष्ठ 53)

मूल्य भिन्नता संगणना पत्रक-खेतड़ी

संवेदक का नाम- मै. एल एंड टी लिमिटेड, कंस्ट्रक्शन, चेन्नई							
निविदा खोलने की तिथि- 19.07.2013				समझौता वार्ता की तिथि-19.08.2013			
कुल स्वीकृत लागत- ₹ 4,40,07,14,703/-							
निष्पादन अवधि	02.09.2013 से 01.09.2016						
सूत्र -0.75*Ps/100*R(Ls1-Ls0)/Ls0							
अवधि (1)	कारक (2)	सामग्री (3) Ps/100	निष्पादित कार्य (₹) (4) R	वर्तमान सूचकांक (5) Ls1	आधार सूचकांक (6) Ls0	मूल्य भिन्नता राशि (₹) (7)	भुगतान की गयी राशि (₹) (8)
10/13-12/13	0.75	0.35	18,33,63,113	151.70	149.80	6,10,496	39,88,148
1/14-3/14	0.75	0.35	25,88,21,986	153.10	149.80	14,96,693	75,70,543
4/14-6/14	0.75	0.35	36,07,55,486	151.50	149.80	10,74,680	1,34,74,217
7/14-9/14	0.75	0.35	50,91,31,206	149.90	149.80	89,217	2,05,05,259
10/14-12/14	0.75	0.35	36,34,21,594	148.20	149.80	-10,18,939	1,27,83,355
1/15-3/15	0.75	0.35	15,81,37,743	144.80	149.80	-13,85,553	46,13,669
4/15-6/15	0.75	0.35	55,00,89,338	138.50	149.80	-1,08,92,540	1,20,88,213
7/15-9/15	0.75	0.35	55,00,89,338	131.10	149.80	-1,80,25,708	61,05,992

अवधि (1)	कारक (2)	सामग्री (3) Ps/100	निष्पादित कार्य (₹) (4) R	वर्तमान सूचकांक (5) Ls1	आधार सूचकांक (6) Ls0	मूल्य भिन्नता राशि (₹) (7)	भुगतान की गयी राशि (₹) (8)
10/15-12/15	0.75	0.35	48,89,68,300	126.00	149.80	-2,03,92,720	28,60,465
1/16-3/16	0.75	0.35	36,67,26,225	125.00	149.80	-1,59,37,168	28,87,969
4/16-6/16	0.75	0.35	30,56,05,186	130.90	149.80	-1,01,21,387	68,76,117
7/16-9/16	0.75	0.35	3,09,23,695	127.80	149.80	-11,92,152	9,27,711
			4,12,60,33,210		**भुगतान योग्य राशि**	**-7,56,95,081**	**9,46,81,658**
					भुगतान की गयी राशि	**9,46,81,658**	
					अन्तर	**-17,03,76,739**	

परिशिष्ट-5

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.1; पृष्ठ 55)

लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों की सूची

क्र. सं.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/स्वायत्त निकाय का नाम
अ	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
1	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड
2	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड
3	राजस्थान राज्य स्थान एवं स्थनिज लिमिटेड
4	राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड
5	बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड
6	राजस्थान वित्त निगम
7	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड
8	राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
9	राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम
10	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
11	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
12	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
13	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
14	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
15	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड
16	राजस्थान सोलरपार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड
17	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड

क्र. सं.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/स्वायत्त निकाय का नाम
18	राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड
19	राजस्थान राज्य पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
20	छबड़ा पावर लिमिटेड
21	धौलपुर गैस पावर लिमिटेड
22	गिरल लिग्नाइट पावर लिमिटेड
23	बांसवाड़ा थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड
24	बाड़मेर थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड
25	जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
26	जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड
27	अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड
28	कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड
29	उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड
30	राजस्थान सिविल एविएशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
ब	**स्वायत्त निकाय**
1	राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग
2	राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
3	राजस्थान रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण
4	राजस्थान राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण

परिशिष्ट-6

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.5; पृष्ठ 57)

निरीक्षण प्रतिवेदनों पर प्रत्युत्तर के अभाव को दर्शाने वाला विवरण पत्र

क्र. सं.	राजकीय उपक्रम/स्वायत्त निकाय का नाम	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या				बकाया अनुच्छेदों की संख्या				संबद्ध राशि (₹ करोड़ में)			
		पाँच वर्षों से पुराने	तीन से पाँच वर्षों के मध्य	तीन वर्ष तक	योग	पाँच वर्षों से पुराने	तीन से पाँच वर्षों के मध्य	तीन वर्ष तक	योग	पाँच वर्षों से पुराने	तीन से पाँच वर्षों के मध्य	तीन वर्ष तक	योग
अ	**राजकीय उपक्रम**												
1	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	18	14	24	**56**	37	45	110	**192**	25.19	199.09	700.57	**924.85**
2	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	17	30	30	**77**	29	80	152	**261**	73.06	45.35	495.42	**613.83**
3	राजस्थान राज्य खान एंड खनिज लिमिटेड	9	7	7	**23**	15	21	47	**83**	18.03	60.96	113.73	**192.72**
4	राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड	2	2	3	**7**	8	6	45	**59**	0.44	0.22	665.80	**666.46**
5	बाड़मेर लिग्नाईट खनन कम्पनी लिमिटेड	0	1	3	**4**	0	1	15	**16**	0.00	0.00	13.97	**13.97**
6	राजस्थान वित्त निगम	23	18	25	**66**	43	42	90	**175**	44.15	92.99	44.09	**181.23**
7	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	5	2	3	**10**	16	9	30	**55**	5.67	0.24	1.26	**7.17**
8	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड	0	2	3	**5**	0	2	12	**14**	0.00	0.00	0.73	**0.73**

क्र. सं.	राजकीय उपक्रम/स्वायत्त निकाय का नाम	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या				बकाया अनुच्छेदों की संख्या				संबद्ध राशि (₹ करोड़ में)			
		पाँच वर्षों से पुराने	तीन से पाँच वर्षों के मध्य	तीन वर्ष तक	योग	पाँच वर्षों से पुराने	तीन से पाँच वर्षों के मध्य	तीन वर्ष तक	योग	पाँच वर्षों से पुराने	तीन से पाँच वर्षों के मध्य	तीन वर्ष तक	योग
9	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	18	28	29	**75**	38	287	358	**683**	3.77	374.78	322.45	**701.00**
10	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2	6	22	**30**	2	10	89	**101**	49.00	1058.19	31326.72	**32433.91**
11	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	0	8	21	**29**	0	7	71	**78**	0.00	19.84	104.16	**124.00**
12	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2	8	43	**53**	2	17	226	**245**	0.00	22.77	3036.06	**3058.83**
13	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2	12	27	**41**	2	24	125	**151**	0.00	95.12	6859.59	**6954.71**
14	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	7	14	34	**55**	10	31	175	**216**	1.81	52.27	6417.99	**6472.07**
15	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	0	1	3	**4**	0	3	25	**28**	0.00	2.63	51.64	**54.27**
16	राजस्थान सोलरपार्क डेवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	0	0	3	**3**	0	0	8	**8**	0.00	0.00	2.75	**2.75**
17	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	0	0	3	**3**	0	0	9	**9**	0.00	0.00	7.23	**7.23**
18	राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड	0	0	3	**3**	0	0	21	**21**	0.00	0.00	3.52	**3.52**
19	राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड	0	0	1	**1**	0	0	3	**3**	0.00	0.00	0.43	**0.43**
20	छबड़ा पावर लिमिटेड	0	0	4	**4**	0	0	8	**8**	0.00	0.00	774.22	**774.22**
21	धौलपुर गैस पावर लिमिटेड	0	3	0	**3**	0	4	0	**4**	0.00	1.86	0.00	**1.86**

क्र. सं.	राजकीय उपक्रम/स्वायत्त निकाय का नाम	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या				बकाया अनुच्छेदों की संख्या				संबद्ध राशि (₹ करोड़ में)			
		पाँच वर्षों से पुराने	तीन से पाँच वर्षों के मध्य	तीन वर्ष तक	योग	पाँच वर्षों से पुराने	तीन से पाँच वर्षों के मध्य	तीन वर्ष तक	योग	पाँच वर्षों से पुराने	तीन से पाँच वर्षों के मध्य	तीन वर्ष तक	योग
22	गिरल लिग्नाइट पावर लिमिटेड	0	1	1	**2**	0	2	4	**6**	0.00	27.96	9.71	**37.67**
23	बांसवाड़ा थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
24	बाड़मेर थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0.00	0.00	0.00	**0.00**
25	जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1	2	3	**6**	2	4	19	**25**	1.63	41.26	203.80	**246.69**
26	जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0	0	2	**2**	0	0	32	**32**	0.00	0.00	418.47	**418.47**
27	अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0	0	1	**1**	0	0	11	**11**	0.00	0.00	338.10	**338.10**
28	कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0	0	2	**2**	0	0	12	**12**	0.00	0.00	234.07	**234.07**
29	उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0	0	1	**1**	0	0	16	**16**	0.00	0.00	733.11	**733.11**
30	राजस्थान सिविल एविएशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1	0	0	**1**	1	0	0	**1**	4.49	0.00	0.00	**4.49**
31	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8	2	4	**14**	64	17	77	**158**	1067.42	282.30	1676.09	**3025.81**
	योग अ	**115**	**161**	**305**	**581**	**269**	**612**	**1790**	**2671**	**1294.66**	**2377.83**	**54555.68**	**58228.17**
ब	**स्वायत्त निकाय**												
1	राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग	0	0	3	**3**	0	0	9	**9**	0	0	73.66	**73.66**

क्र. सं.	राजकीय उपक्रम/स्वायत्त निकाय का नाम	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या				बकाया अनुच्छेदों की संख्या				संबद्ध राशि (₹ करोड़ में)			
		पाँच वर्षों से पुराने	तीन से पाँच वर्षों के मध्य	तीन वर्ष तक	योग	पाँच वर्षों से पुराने	तीन से पाँच वर्षों के मध्य	तीन वर्ष तक	योग	पाँच वर्षों से पुराने	तीन से पाँच वर्षों के मध्य	तीन वर्ष तक	योग
2	राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	4	2	2	**8**	14	6	12	**32**	30.27	3.61	3.54	**37.42**
3	राजस्थान रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
4	राजस्थान राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण	1	0	0	**1**	39	0	0	**39**	59.21	0	0	**59.21**
	योग ब	**5**	**2**	**5**	**12**	**53**	**6**	**21**	**80**	**89.48**	**3.61**	**77.20**	**170.29**
	कुल योग (अ+ब)	**120**	**163**	**310**	**593**	**322**	**618**	**1811**	**2751**	**1384.14**	**2381.44**	**54632.88**	**58398.46**

परिशिष्ट-7

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.7; पृष्ठ 58)

सीएंडएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) और 20(1) के तहत लेखापरीक्षित स्वायत्त निकायों को सौपे गए कार्यो की समीक्षा पर वार्षिक विवरणी

क्र. सं.	धारा के तहत लेखापरीक्षित संस्थान का नाम एवं पता	धारा के तहत सरकार द्वारा लेखापरीक्षा सौंपे जाने की अवधि	वर्ष जब तक खाते प्रस्तुत किए गये	वर्ष जब तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गये	विधानमंडल के समक्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना	वह वर्ष जिसके लेखे देय हैं	लेखा प्रस्तुत करने में विलंब की अवधि 31 दिसंबर 2021 तक
1	धारा 20(1) के तहत राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	धारा 20(1) के तहत 2017-18 से आगे	2019-20	2019-20	2019-20 (10.02.2022)	2020-21	2020-21 (6 महीने)
2	धारा 19(2) के तहत राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग	धारा 19(2) के तहत	2020-21 (22.09.2021)	2020-21 (एसएआर 06.01.2022 को जारी किया गया)	2019-20 (13.02.2022)	-	2020-21 (3 महीने)
3	धारा 19(2) के तहत राजस्थान रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण	2017-18 से 2020-21	2019-20	2019-20	2019-20	2020-21	2020-21 (6 महीने)
4	धारा 19(2) के तहत राजस्थान राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण	धारा 19(2) के तहत (एकमात्र लेखापरीक्षा)	2012-13	2012-13	2012-13	2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21	2013-14 (7.50 साल) 2014-15 (6.50 साल) 2015-16 (5.50 साल) 2016-17 (4.50 साल) 2017-18 (3.50 साल) 2018-19 (2.50 साल) 2019-20 (1.50 साल) 2020-21 (6 महीने)

परिशिष्ट-8

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.2; पृष्ठ 59)

आरईआरसी का विनियामक नियंत्रण

क्र. सं.	विवरण	क्षेत्र
अ	**विद्युत उत्पादन**	
1	राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	राजकीय उपक्रम
2	गिरल लिग्नाइट पावर लिमिटेड	राजकीय उपक्रम
3	राज वेस्ट पावर लिमिटेड यथा राजस्थान के व्यक्तिगत विद्युत उत्पादक (आईपीपी)	निजी क्षेत्र
ब	**विद्युत प्रसारण**	
1	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	राजकीय उपक्रम
2	मैसर्स अदानी ट्रांसमिशन (राजस्थान) लिमिटेड	निजी क्षेत्र
3	मैसर्स बाडमेर पावर ट्रांसमिशन सर्विसेज लिमिटेड।	निजी क्षेत्र
4	मैसर्स थार पावर ट्रांसमिशन सर्विसेज लिमिटेड	निजी क्षेत्र
5	मैसर्स हाडोती ट्रांसमिशन सर्विसेज लिमिटेड	निजी क्षेत्र
6	मैसर्स मारू ट्रांसमिशन सर्विसेज कंपनी लिमिटेड	निजी क्षेत्र
7	मैसर्स अरावली ट्रांसमिशन सर्विसेज कंपनी लिमिटेड	निजी क्षेत्र
8	मैसर्स केईसी बीकानेर-सीकर ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड	निजी क्षेत्र
स	**विद्युत वितरण**	
1	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	राजकीय उपक्रम
2	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	राजकीय उपक्रम
3	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	राजकीय उपक्रम

द	**विद्युत का व्यापार**	
1	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	राजकीय उपक्रम
इ	**भार प्रेषण**	
1	राज्य भार प्रेषण केंद्र (एसएलडीसी)	राजकीय उपक्रम की एक इकाई

परिशिष्ट-9

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.5; पृष्ठ 61)

आरईआरसी द्वारा बनाए गए प्रमुख विनियमों की स्थिति, जो 2016-21 के दौरान लागू रहे

विनियमों का प्रकृतिवार विवरण	अधिसूचना की तिथि (नवीनतम संशोधन)
टैरिफ विनियम	
आरईआरसी (टैरिफ निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2014 (टैरिफ विनियम 2014)	24 फरवरी 2014
आरईआरसी (टैरिफ निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम , 2019 (टैरिफ विनियम 2019)	10 मई 2019 (संशोधनः 28 फरवरी 2020)
प्रसारण अनुज्ञाप्तिधारी के निष्पादन के मानक	
आरईआरसी (प्रसारण अनुज्ञाप्तिधारी के निष्पादन के मानक) विनियम, 2004 (टी-एसओपी विनियम 2004)	20 अप्रैल 2004 (संशोधनः 19 जनवरी 2016)
आरईआरसी (प्रसारण अनुज्ञाप्तिधारी के निष्पादन के मानक) विनियम, 2021 (टी-एसओपी विनियम 2021)	3 फरवरी 2021
निष्पादन का मानक (वितरण अनुज्ञाप्तिधारी)	
आरईआरसी (वितरण अनुज्ञाप्तिधारी के निष्पादन के मानक) विनियम, 2014 (डी-एसओपी विनियम 2014)	17 फरवरी 2014
आरईआरसी (वितरण अनुज्ञाप्तिधारी के निष्पादन के मानक) विनियम, 2021 (डी-एसओपी विनियम 2021)	31 मार्च 2021
उपभोक्ता शिकायतें एवं लोकपाल	
आरईआरसी(शिकायतों के निवारण के लिए दिशानिर्देशा) विनियम, 2008	1 मार्च 2008
आरईआरसी(विद्युत लोकपाल द्वारा विवादों का निपटान) विनियम, 2010.	23 मार्च 2010 (संशोधनः 22 जनवरी 2020)
आरईआरसी(उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, विद्युत लोकपाल और उपभोक्ता वकालत) विनियम, 2021.	5 अप्रैल 2021
नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र और नवीकरणीय क्रय दायित्व	
आरईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा दायित्व) 2007	23 मार्च 2007 (संशोधनः 4 फरवरी 2020)
आरईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र और नवीकरणीय क्रय दायित्व अनुपालन ढांचा) विनियम, 2010.	23-12-2010 (संशोधनः 5 मार्च 2019)

राज्य सलाहकार समिति	
आरईआरसी (राज्य सलाहकार समिति) विनियम, 2009	9 जनवरी 2009
क्रय प्रक्रिया	
आरईआरसी (वितरण अनुज्ञाप्तिधारी की विद्युत क्रय एवं विद्युत क्रय प्रक्रिया)विनियम, 2004	26 मार्च 2004 (संशोधनः 11 जनवरी 2019)

परिशिष्ट-10

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.6.14; पृष्ठ 80)

2016-17 से 2020-21 के दौरान वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा अर्द्धवार्षिक एसओपी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को दर्शाने वाला विवरण पत्र

वर्ष	प्रतिवेदन अवधि	जयपुर		अजमेर		जोधपुर	
		अर्द्धवार्षिक एसओपी प्रतिवेदन जमा करने की तिथि	अर्द्धवार्षिक एसओपी प्रतिवेदन जमा करने में देरी (दिनों में)	अर्द्धवार्षिक एसओपी प्रतिवेदन जमा करने की तिथि	अर्द्धवार्षिक एसओपी प्रतिवेदन जमा करने में देरी (दिनों में)	अर्द्धवार्षिक एसओपी प्रतिवेदन जमा करने की तिथि	अर्द्धवार्षिक एसओपी प्रतिवेदन जमा करने में देरी (दिनों में)
2016-17	प्रथम छमाही	03 जनवरी 2017	50	12 जनवरी 2017	59	16 मई 2017	183
	द्वितीय छमाही	09 अक्टूबर 2017	147	13 जून 2017	29	15 मई 2017	0
2017-18	प्रथम छमाही	03 नवम्बर 2017	0	29 दिसम्बर 2017	45	03 नवम्बर 2017	0
	द्वितीय छमाही	25 जून 2018	41	12 जून 2018	28	28 मई 2018	13
2018-19	प्रथम छमाही	02 जनवरी 2019	49	14 दिसम्बर 2018	30	06 दिसम्बर 2018	22
	द्वितीय छमाही	11 जून 2019	27	29 मई 2019	14	16 मई 2019	1
2019-20	प्रथम छमाही	16 दिसम्बर 2019	32	09 दिसम्बर 2019	25	15 नवम्बर 2019	1
	द्वितीय छमाही	10 जून 2020	26	15 जून 2020	31	15 जून 2020	61
2020-21	प्रथम छमाही	11 दिसम्बर 2020	27	29 दिसम्बर 2020	45	12 जनवरी 2021	59
	द्वितीय छमाही	15 जून 2021	31	23 जून 2021	39	16 जुलाई 2021	62

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag2/rajasthan/hi